खण्ड-124, अंक-5
शुक्रवार, 16 श्रावण, शक संवत् 1875
(7 अगस्त, 1953 ई0)

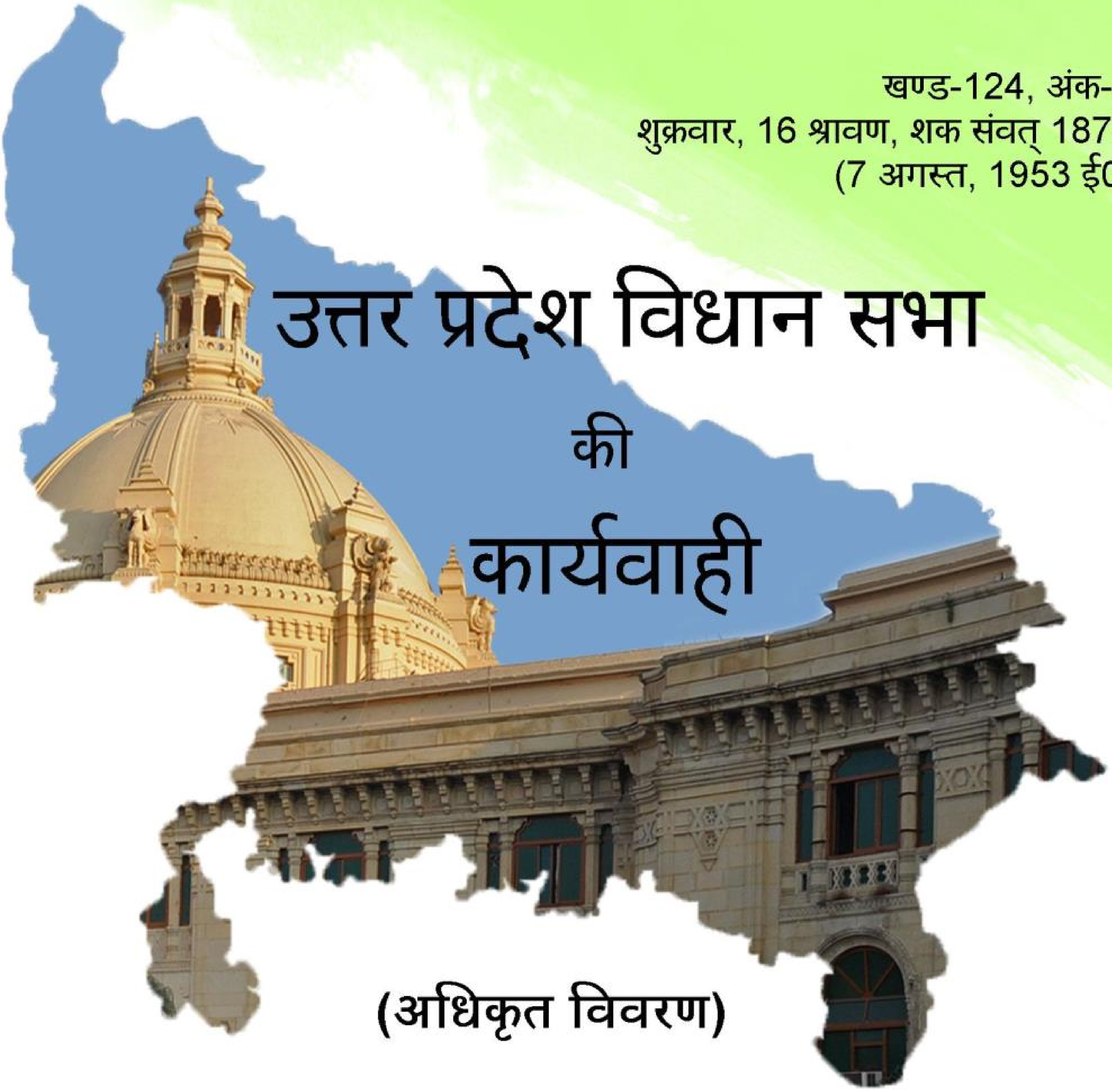

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 124 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

शुक्रवार, ७ अगस्त, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर, की अध्यक्षता में आरंभ हुई ।

---

## उपस्थित सदस्यों की सूची (३७७)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराहल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविंदवल्लभ पन्त, श्री

गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचंद, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानंद सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभू दयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेह सिंह, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री

बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दूबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमेश चन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधा कृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवाल, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णु दयाल वर्मा, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भू नाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री

सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविंद पंत, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हर सहाय गुप्त, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

# प्रश्नोत्तर

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### आजमगढ़ जिला प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा दिये गये स्मृति पत्र

*१--श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिला प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा २७, २८ और २९ मार्च, १९५३ को राज्य के मुख्य मंत्री, गृह मंत्री तथा माल मंत्री को दिये गये स्मृति-पत्र की जांच करने, उपमंत्री गृह विभाग ८ अप्रैल से १२ अप्रैल, सन् १९५३ तक आजमगढ़ रहे ?

*२--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उपमंत्री गृह विभाग, आजमगढ़ जिले के किन-किन स्थानों की जांच की तथा स्मृति-पत्र के संबंध में उनकी क्या रिपोर्ट है?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--जी हां, उपमंत्री गृह विभाग ने घोसी तहसील के कुछ गांवों की जांच की जिनमें मलेरी कोट, सऊंडी और रुधौली गांव शामिल हैं। जांच के फलस्वरूप असलियत यह मालूम हुई कि स्मृति-पत्र में लगाये गये आरोप सही नहीं हैं, क्योंकि जिन मामलों का जिक्र था उनमें काफी मामले अदालतों में विचाराधीन थे। काफी ऐसे थे जिसमें अदालतों से १४५ की कार्यवाही हुई, कुछ पर जांच चल रही थी और बाकी कुछ के संबंध में जो आरोप थे उनमें भी कोई असलियत नहीं थी।

*३--श्री राम सुन्दर पांडेय--क्या सरकार को पता है कि आजमगढ़ जिला प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री ने सरकार को ९ अगस्त, सन् १९५३ से सत्याग्रह करने की सूचना दी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

श्री राम सुन्दर पांडेय--क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मलेरीकोट, सोंधी और रुधौली गांव के अलावा माननीय उप-मंत्री गृह विभाग किन-किन गांवों में गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं उन गांवों के नाम ठीक नहीं कह सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मलेरीकोट के जो भूतपूर्व जमींदार हैं वे किस गांव के रहने वाले हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वे किस गांव के रहने वाले हैं इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतला सकते हैं कि स्मृतिपत्र जो सरकार के पास दिया गया था उसमें कितनी शिकायतें पुलिस के खिलाफ थीं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—३४।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतला सकते हैं कि उन ३४ शिकायतों में से माननीय उप-मंत्री गृह विभाग ने कितनी शिकायतों की जांच की?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हर शिकायत की जांच उन्होंने की।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब माननीय उप-मंत्री जी आजमगढ़ गये थे तो उनके पास ऐसी शिकायतें मिलीं या नहीं कि एस० डी० ओ० ने जो फैसले किये हैं वे गलत हुए हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी, कुछ लोगों ने ऐसा कहा।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतला सकते हैं कि माननीय उप-मंत्री गृह विभाग आजमगढ़ सरकारी डाक बंगले में तीन दिन तक लगातार कांग्रेसी, सोशलिस्ट और सरकारी अधिकारियों से केवल बातें ही करते रहे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, उनकी मजबूरी यह थी कि उन्होंने श्री रामसुन्दर पांडेय से कहा कि उन गांवों की सूची दे दीजिये जहां कि मुझे जाना है, लेकिन श्री राम सुन्दर पांडेय जी आज कल करते रहे। इस तरह से मजबूरन तीन दिन तक इन्तजार करने के बाद जहां उनकी समझ में आया वहां वहां वे गये। केवल चलते वक्त श्री राम सुन्दर पांडेय जी ने उनको कुछ थोड़े से गांवों की सूची दी। इस तरह से श्री रामसुन्दर पांडेय जी के इन्तजार में ही उनको डाक बंगले में तीन दिन तक रुकना पड़ा।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या माननीय गृह मंत्रीजी बतला सकते हैं कि क्या ऐसा स्मृति-पत्र रइसा और चकरा गांवों से आया था कि हाकिम परगना वहां आये ही नहीं और उन्होंने जमींदारों के पक्ष में उनकी दरख्वास्तों के मुताल्लिक कागजात में सही एंट्री मान ली?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, कुछ जगहों में हाकिम परगना नहीं गये।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या माननीय गृह मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि पुलिस के खिलाफ जो ३४ शिकायतें हुई हैं उन्हें किन लोगों ने दी हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस किस्म की जितनी शिकायतें हैं वे सब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से आई हैं।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि जिन दरख्वास्तों पर फैसले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने किसानों के पक्ष में कर दिये थे पुलिस के लोगों ने जमींदारों के पक्ष में उन खेतों को कटवा लिया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह आरोप बिल्कुल गलत है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय गृह मंत्री बतलायेंगे कि ९ अगस्त से सत्याग्रह किन-किन कारणों से होने जा रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुछ लोगों का ऐसा कहना है, जो मेरी समझ में बिल्कुल गलत है कि कुछ इन्दराज गलत है और उनके संबंध में जो मुनासिब कार्यवाही होनी चाहिये थी वह नहीं हुई। इसके खिलाफ वह किसी किस्म का आन्दोलन करना चाहते हैं जिसका कि वह सत्याग्रह कर रहे हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहबाद)—क्या माननीय गृह मंत्री बतलायेंगे कि उनके पास आजमगढ़ से ऐसी सूचना आई है कि कुछ लोग किसानों में गलत असंतोष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, ऐसी सूचनाओं की तो मेरे पास भरमार है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—जब सरकार के पास ऐसी सूचना है कि जो शिकायतें की जाती हैं वे गलत हैं और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी अब भी यह कहती है कि ये शिकायतें सही हैं तो सरकार ऐसी इंक्वायरी कमेटी बैठायेगी और पुनः जांच करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर उनके खिलाफ फैसला गलत हुआ है तो अदालत में जा कर चाराजोई कर सकते हैं।

श्री राजनारायण—क्या माननीय गृह मंत्री बतलायेंगे कि दफा ४ की कार्यवाही करने की कोशिश हुई वह इसलिये हुई कि किसान न्याय पा सकें?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक मेरा विश्वास है किसानों ने पूरा न्याय पाया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि इन्दराजात संबंधी झगड़े तय करने के लिये कुछ स्पेशल मैजिस्ट्रेट भेजे गये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ठीक से नहीं कह सकता। संभव है भेजे गये हों।

श्री राजनारायण—क्या माननीय गृह मंत्री को मालूम है कि डायरेक्ट जो दो स्पेशल मैजिस्ट्रेट भेजे गये थे उन्होंने जितने फैसले किये उनमें करीब ९० फीसदी केसेज किसानों के पक्ष में हुए और स्थानीय मजिस्ट्रेट ने जो फैसले किये उनमें ९५ फीसदी केसेज किसानों के विपक्ष में हुए ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं इन बातों को नहीं जानता, लेकिन इन बातों से कोई लाजिकल संबंध इसका नहीं निकलता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री बतला सकते हैं कि ऐसे भी खेत १४५ में कुर्क कर लिये गये हैं जिनके लिये किसी मैजिस्ट्रेट ने फैसला कर दिया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं एक खत की बाबत तो नहीं जानता, लेकिन किसी भी मैजिस्ट्रेट ने गैर कानूनी कार्यवाही की होगी यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री राजनारायण—क्या माननीय गृह मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि ८ अप्रैल को माननीय गृह मंत्री जी के आदेशानुसार मुजफ्फर हुसेन जी वहां गये थे और उनसे मैं, गेंदा सिंह जी और ईश्वरी सिंह जी मिले थे और वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने गलत

इन्दराज की दुरुस्ती के बारे में यह कबूल किया था कि उन्होंने प्रेजुडिस्ड होकर कुछ फैसले किये हैं ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--जहां तक मुजफ्फर हुसेन जी के जाने की बात है वह उस जिले में ८ अप्रैल से १२ अप्रैल तक रहे और उनसे वह सब लोग मिले जिनके अभी नाम लिये गये। मुजफ्फर हुसेन जी ने श्री गेंदा सिंह जी की बहुत तारीफ की है और लिखा है कि उनका रुख बहुत ही अच्छा रहा था मैं इसको स्वीकार करना चाहता हूं। लेकिन जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि रिपोर्ट में कोई जिक्र ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने यह कहा हो कि उन्होंने कोई प्रेजुडिस्ड हो कर फैसला किया।

**श्री राजनारायण**--क्या मुजफ्फर हुसेन जी के सामने मैंने केसेज रखे थे कि जिन केसेज के बारे में जमींदारों ने खुद किसानों के बारे में फैसले किये उसके बारे में भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उलटकर जमींदारों के पक्ष में फैसले कर दिये ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--अपनी ३१ पेज की रिपोर्ट में श्री मुजफ्फर हुसेन जी ने किसी ऐसी बात का जिक्र नहीं किया।

**श्री वीरेन्द्रपति यादव** (जिला मैनपुरी)--क्या जमींदारों के जो झगड़े थे उनका फैसला असिस्टेन्ट कलेक्टर ने किया या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा हुआ जैसा कि हमारे विरोधी दल के साथियों ने कहा है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--मैं इतने ब्योरे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन जो कानून होगा वही किया गया होगा।

**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कुछ ऐसे केसेज भी हुए हैं जिनमें तीन मरतबे फैसले हुए हैं ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--इतने ब्योरे की सूचना मेरे पास नहीं है।

**श्री गेंदा सिंह** (जिला देवरिया)--क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितनी दरख्वास्त कुल पड़ी थीं और कितनी दरख्वास्तों पर किस तरह का फैसला हुआ ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--१५ फरवरी से १० मार्च तक १२८८ दरख्वास्तों का फैसला हुआ था। जिनमें घोसी तहसील में फरवरी के अन्त तक लगभग १६ सौ दरख्वास्तें पड़ी थीं। उनमें से १४ प्रतिशत पूरी तरह से स्वीकार की गईं, ९ प्रतिशत अंशतः स्वीकार हुईं, ६४.५ प्रतिशत अस्वीकार हुईं। २ प्रतिशत कानून के अन्दर नहीं थीं, ९ प्रतिशत इन्दराज से पहले से मौजूद थीं और डेढ़ प्रतिशत आपसी समझौते से तय हुईं।

**श्री गेंदासिंह**--क्या यह बतलाना मुमकिन है कि जो दो स्पेशल मैजिस्ट्रेट भेजे गये थे उनके फैसले हुए। उनसे कितने शिकमी वालों के पक्ष में और कितने पुराने जमींदारों के पक्ष में फैसले हुए।

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--इस वक्त मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या माननीय गृह मंत्रीजी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन्द्रदेव चौहान मलेरकोट ने सरकार के पास दरख्वास्त भेजी है कि सब-इन्सपेक्टर घोसी ने उन्हें बुरी तरह से मारा और उप-गृह मंत्री के सामने भी उन्होंने यही बयान दिया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेरी समझ में नहीं आता कि जो यह सब-इंस्पेक्टर वाली बात है वह इसमें कैसे पैदा होती है। बहरहाल, हो तो भी उसकी सूचना मेरे पास इस वक्त नहीं है।

## तारांकित प्रश्न

### देवरिया जिले के तरया सुजान थाना के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

*१—श्री राजवंशी (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि देवरिया जिले के तरया सुजान थाना के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें अधिकारियों को मिला हैं? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं और उन पर क्या कार्रवाई हुई है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, दो शिकायतें हुई हैं।

(क) थाना तरया सुजान के दरोगा और दो कांस्टेबुलों के विरुद्ध मारपीट तथा घूसखोरी की शिकायतें हुईं परन्तु जांच करने पर उनकी पुष्टि न हो सकी।

(ख) डी० आई० एस० के कांस्टेबुल के खिलाफ एक लड़की की बरामदगी के संबंध में कुछ मारपीट की शिकायतें हुईं। वैभागिक कार्रवाई के फलस्वरूप उसकी तनख्वाह दो वर्ष के लिये कम कर दी गई।

श्री राजवंशी—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन शिकायतों की इंक्वायरी किसके जरिये से हुई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्री एन० ए० खां, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस।

श्री गेंदासिंह—यह दरख्वास्त किन लोगों की तरफ से दरोगा के खिलाफ पड़ी थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेरी सूचना तो यही है कि श्री गेंदा सिंह, एम० एल० ए० ने यह दरख्वास्त दी थी।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या गेंदा सिंह को इस बात का मौका दिया गया था कि वह अपने प्रमाण सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस के सामने पेश कर सकें?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसका ब्योरा मेरे पास नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—क्या गृह मंत्री जी एस० पी० से यह पूछने की कृपा करेंगे कि गेंदासिंह को क्यों मौका नहीं दिया गया कि वह अपने प्रमाण पेश कर सकें?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, इसका पता लगाया जायगा।

श्री उमाशंकर—क्या गृह मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पुलिस के खिलाफ जांच करने का नतीजा शिकायत करने वाले के पास भेजा जाता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, आमतौर पर नहीं भेजा जाता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय गृह मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि शिकायत करने वाले से भी शिकायत की जांच करने वाले कुछ छानबीन किया करें?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आमतौर पर ऐसा होता है लेकिन श्री गेंदासिंह जी की बात से ऐसा मालूम हुआ कि उनसे जांच नहीं की गई, इसलिये मैंने कहा कि पता लगाया जायगा?

श्री गेंदासिंह---डी० आई० एस० के कांस्टेबिल के खिलाफ़ लड़की के संबंध में जो शिकायत हुई क्या यह सही है कि उसने बुरी नियत से अपने घर में उसको छिपा लिया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---नियत की बात तो वह जानते होंगे, लेकिन जिसने शिकायत की थी उसने मारपीट की शिकायत की थी ।

## आगरा किसान सभा के सेक्रेटरी की नजरबन्दी

*२---श्री झारखंडे राय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगरा किसान सभा के सेक्रेटरी को नजरबन्द करने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---आगरा किसान सभा के कार्यकर्ता श्री गुरु दयाल सिंह जी को नोटिस जिलाधीश द्वारा दी गयी थी जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है । इसमें उनकी नजरबन्दी के कारण दर्ज हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३७१ पर ।)

*३---श्री झारखंडे राय---क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि उक्त नजरबन्दी के सिल-सिले में सूबा कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से तीन साथियों का डेपुटेशन उनसे ७-५-५३ को मिला और उन्होंने उन्हें एक स्मृति-पत्र भी दिया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां ।

*४---श्री झारखंडे राय---क्या सरकार बतायेगी कि उस मेमोरेन्डम के बाबत क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---स्मृति-पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच करवाई गई परन्तु वे निराधार पाये गये । इसलिये स्मृति-पत्र पर कोई अन्य कार्रवाई नहीं की गयी ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि स्मृति-पत्र में जब उनको लिख कर शिकायत दी गयी तो उसके बाद नजरबन्दी का जो कारण बताया गया उसमें संख्या २ और ४ की जांच की गयी कि वह सही हैं या ग़लत हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह तो वह देखेंगे कि जैसा अभी कहा गया कि उस स्मृति-पत्र में जितनी खास बातें थीं उन सबकी जांच करायी गई और उसमें जितनी शिकायतें हैं वह सब ग़लत हैं । नम्बर २ और ४ के बारे में भी जांच जरूर हुई ।

श्री झारखंडे राय---नम्बर २ और ४ में डिटेन्शन के जो कारण बताये गये हैं वह सही हैं ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक डिटेन्शन करने की बात है वह सब मामला एडवाइ-जरी बोर्ड के सामने गया और एडवाइजरी बोर्ड का कहना है कि वह कारण ग़लत नहीं है ।

श्री झारखंडे राय---माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कितने दिन के लिये उनको डिटेन किया गया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक मैं समझता हूं एक साल डिटेन करने के लिये डी० एम० की तरफ से आर्डर हुआ था ।

श्री झारखंडे राय---क्या वह अब भी डिटेन्शन में हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं ।

*५-७--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--[स्थगित किये गये।]

*८--श्री गेंदासिंह--[स्थगित किया गया।]

*९-१०--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)----[स्थगित किये गये।]

## इन्टरमीडियेट तक संस्कृत का अनिवार्य रूप

*११--श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार इन्टरमीडियेट तक संस्कृत का अनिवार्य रूप से अध्यापन कराने का विचार रखती है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--अभी सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है।

## आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ के पुरःस्थापन का स्थगन

श्री अध्यक्ष--कार्यक्रम के अनुसार नं० २ पर माननीय शिक्षा मंत्री आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित करने वाले थे लेकिन विधेयक की कापीज़ अभी नहीं आयी हैं, वह अभी आती होंगी, इसलिये इसे आज नहीं लिया जायगा। अब सोमवार को लिया जायगा।

## *उत्तर प्रदेश ओपियम स्मोकिंग (संशोधन) विधेयक, १९५३

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ओपियम स्मोकिंग (संशोधन) विधेयक, १९५३, पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह जो छोटा सा विधेयक है इसकी ग़र्ज़ सिर्फ इतनी है कि पुलिस के जो अख़्तियारात यू० पी० एक्साइज़ ऐक्ट, १९१० के अनुसार और ओपियम ऐक्ट जो गवर्नमेंट आफ इंडिया का है उसके मातहत हासिल हैं वही अख़्तियारात ओपियम स्मलिंग ऐक्ट, जो यू० पी० का सन् ३४ का है उसके द्वारा भी पुलिस को दे दिये जायं। जहां तक कि इस वक्त तक और दफ़ात इस क़ानून की हैं उनके ज़रिये मुख़्तलिफ क़िस्म के अख़्तियारात पुलिस को हैं, लेकिन अगर किसी जगह पर पुलिस को शक हो कि यहां अफीम हुक्के में पी जा रही है तो वहां पर जा कर वह लोगों की तलाशी नहीं ले सकते। इसी कमी को पूरा करने के लिये भी मौजूदा बिल पेश किया गया। इसमें सिर्फ २ दफ़ात हैं १९ (अ) और २०। १९ (अ) में कहा गया है कि कलेक्टर या पुलिस अफसर या एक्साइज़ डिपार्टमेंट का कोई अफ़सर अगर यह समझे कि कहीं पर इसके हल्के में कोई जुर्म हो रहा है तो वह बग़ैर वारन्ट के जाकर तलाशी ले सकते हैं लेकिन शर्त्त यह है कि अगर कलेक्टर अफसर को कि किस बुनियाद पर यह काम कर रहा है, उसको पहले से लिख देना चाहिये और फिर बाद में तलाशी ली जा सकती है। दफा २० में यह है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ात १०२ व १०३ में तलाशी के मुताल्लिक़ जो तरीक़े लिखे हुये हैं उनके मातहत वह अपनी कार्यवाही करेंगे और उसके मातहत अगर किसी को पकड़ना है तो वह वारन्ट उस पर तामील करेगा। दफ़ा २ जो है उसमें सिर्फ यह है कि वहां के जो काग़ज़ात हों या जो कुछ वहां निकले उसकी नक़ल मालिक मकान या क़ाबिज़ मकान को आम तौर से दाम देने पर या बग़ैर क़ीमत पर भी उनके हवाले की जा सकती है। इस विधेयक की ज़रूरत इसलिये पैदा हुई कि जैसा उसमें लिखा हुआ है अब मार्च ५९ तक अफ़ीम का इस्तेमाल ख़त्म होने वाला है और हर साल इसके इस्तेमाल में कमी की जा रही है, लिहाज़ा

*३ अगस्त, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

[ श्री सैयद अली जहीर ]

नाजायज तौर से इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है उसको दूर करने के वास्ते जरूरत हुई कि इस क़िस्म के अख्तियारात ओपियम ऐक्ट में ले लिये जायं ताकि ऐसे जरायम की रोकथाम हो सके। इसलिये यह सीधा सा बिल पेश है जिसके लिये ज्यादा तफ़सील की जरूरत नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां के सदस्य इसकी जरूरत को महसूस करेंगे और इसको मंजूर करेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक पेश किया गया है उसके उद्देश्य और कारणों में यह जिक्र है कि भारत सारकार ने यह निर्णय किया है कि अफ़ीम का मौखिक उपयोग मार्च, १९४९ से रोक दिया जाय। तदनुसार १९४९ से इस राज्य को दी जाने वाली अफीम की मात्रा का नवमांश प्रतिवर्ष कम किया जा रहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि ओपियम ऐक्ट के कार्यान्वित होने से अपराधों की संख्या और बढ़ गयी।

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय आबकारी मंत्री ने भी कहा और मैं उनको इस बात पर मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने साफ़-साफ़ यह बतलाया कि हमारे प्रदेश में सरकारी आबकारी नीति (एक्साइज पालिसी) बिलकुल असफल रही। उसके बावजूद भी उन्होंने दूसरा रहस्योद्घाटन किया, एक तरफ केंद्रीय सरकार और यू० पी० की सरकारें कोशिश कर रही हैं कि अफ़ीम का इस्तेमाल कम किया जाय लेकिन ज्यों-ज्यों आप की योजना बढ़ती जाती है त्यों-त्यों भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ते जाते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर माननीय आबकारी मंत्री और यू० पी० सरकार को ध्यान देना चाहिये। अभी बजट के वाद-विवाद के समय प्रोहिबिशन के बारे में माननीय मंत्री जी ने स्वयं ही स्वीकार किया कि ग्यारह जिलों में यू० पी० सरकार द्वारा चलाया हुआ प्रोहिबिशन बिलकुल फेल रहा है। जिन जिलों में प्रोहिबिशन हुआ है उन जिलों में और ज्यादा शराब बनायी और पी जाती है। इस संबंध में आबकारी मुहकमा भ्रष्टाचार का एक अखाड़ा बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आबकारी मुहकमें में बड़ी-बड़ी ऐसी जगहें समझी जाती हैं जिनमें भ्रष्टाचार खुले आम होता है। मैं यह भी दावे के साथ कहता हूं कि कम से कम एक्साइज मुहकमें में ऐसी ऐसी जगहें हैं जिन पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिये चार-चार, पांच-पांच हजार रुपया घूस दिया जाता है। ऐसी हालत में पुलिस अधिकारी या एक्साइज के किसी अधिकारी को यह अख्तियार देना कि जिसके घर में चाहे तलाशी के लिये प्रवेश करें, नामुनासिब बात है। अब तो पुलिस और एक्साइज विभाग ने एक्साइज ऐक्ट को पोलिटिकल पार्टीज के दमन करने का साधन बनाना शुरू कर दिया। जिस कार्यकर्ता को पुलिस वाले यह देखते हैं कि उनके रास्ते में आ रहा है उसको वह एक्साइज ऐक्ट में फंसा देते हैं। मैं माननीय आबकारी मंत्री का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि इस ऐक्ट में स्टेशन आफिसर को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वह जहां चाहें जाकर तलाशी लें। यह बात बिलकुल नामुनासिब है। इसमें कम से कम पुलिस विभाग या आबकारी विभाग के उस अफसर को अधिकार देना चाहिए, अगर अधिकार देना ही है, जो कम से कम गजटेड अफ़सर हो, क्योंकि इसमें अधिकारों के दुरुपयोग का मौक़ा है और जैसा आज कल सरकारी कर्मचारियों का रवैया है इसलिये गजटेड अफ़सर से नीचे के अधिकारी को यह अधिकार देना उचित नहीं है। दूसरे तलाशी के तरीक़े का वहां जिक्र नहीं किया गया है कि आस-पास के लोगों को लाया जाय और तब तलाशी ली जाय। यह बातें भी नोट करने के योग्य हैं। मैं समझता हूं कि अब भी वक्त है। आबकारी मंत्री सरकार की तरफ से कोई ऐसा रेजोल्यूशन ले आयें जिसमें अगर जरूरी ही समझा जाय तो कम से कम किसी गजटेड आफिसर को यह अधिकार दिया जाय।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक अभी एक्साइज मंत्री जी ने भवन के सामने पेश किया है उसका उद्देश्य जो है उसको देखते हुए तो उपयुक्त मालूम होता है। लेकिन श्रीमन्, मैं आप के जरिये से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि

इसमें कोई लाभ या जिस तरह से वह चाहते हैं कि अफीम पीना बन्द हो यह मैं समझता हूं कि बन्द नहीं हो सकता, बल्कि जिस नशाबन्दी की नीति को लेकर सरकार चल रही है वह टोटल फेल्योर है। जहां पर अफीम पीने के लिये सरकार मनाही कर रही है वहीं-वहीं पर, जहां पर नशाबन्दी है जुर्म ज्यादा होते हैं। और यह जुर्म सरकार को आज मालूम है कि वहीं पर होते हैं जहां पर नशाबन्दी है। जहां पर इस तरह के ओपियम के स्मोकिंग के मुताल्लिक़ या चंडू पीने के मुताल्लिक़ सख्ती नहीं है। तो मैं आप के जरिये सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिये कि यह जो प्रान्त में एक हंगामा मचा हुआ है, जिले-जिले में प्रान्त में, एक बड़ा भारी खर्चा बंधा हुआ है, एक्साइज डिपार्टमेंट की रोकथाम के लिये और तरह-तरह के अधिकार जो सरकार ले रही है, श्रीमन्, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे मित्र त्रिपाठी जी ने बतलाया कि इससे दुरुपयोग होने का भय है और हमने इसी वजह से आगे संशोधन भी दिया है कि इसका दुरुपयोग जो स्टेशन आफिसर्स हैं वह इस तरह से करेंगे कि जिससे वह नाराज हो गये उसके पास उन्होंने चुट्टे पुट्टे कहीं रख दिये और उनको पकड़ लिया। तो जो भले आदमी गांव में ठीक तरह से रहने वाले हैं, जो पुलिस के दबाव को, स्टेशन आफिसर के दमन या नाजायज दबाव को बरदाश्त नहीं करते हैं उनको दबाने के लिये यह एक हथियार हो जायगा और इससे कोई लाभ नहीं होगा। मैं आप को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार का जो यह उद्देश्य है कि ओपियम स्मोकिंग न हो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसका कोई परसेंटेज बन्द नहीं होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। दिन प्रतिदिन सरकार ने प्रोहिबिशन के जिले बढ़ाये हैं लेकिन क्राइम में कोई कमी न हुई, क्राइम बढ़ रहे हैं। इस तरह के अधिकार पुलिस को दे देने से या सरकार के ले लेने से कोई लाभ नहीं होगा। आप भले ही इसे पास कर दीजिये, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो भय है वह मैं आप के जरिये सरकार को बताना चाहता हूं कि इससे दुरुपयोग यह होगा कि स्टेशन अफसर जो थाने का इंचार्ज है वह अपने थाने में इस तरीक़े के आदमियों को अपने गुट में लाने के लिये या दबाव में डालने के लिये, या जैसा कि हमारे मित्र ने बतलाया वहां पोलिटिकल पार्टीज हैं, लोकल नेताज हैं, उनकी पार्टीज हैं आप के गुट में पार्टियों में पार्टियां हैं इसका नाजायज फायदा उठायेंगे कि किसी के घर चुट्टा-पुट्टा रखवा कर कानून के द्वारा जनता को परेशान किया जायगा और कोई फायदा नहीं है। अगर यह परेशानी नहीं होती तो मुझे ऐसा अधिकार सरकार को देने में कोई आपत्ति नहीं थी।

इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और चाहता हूं कि मंत्री जी इसको वापस ले लें।

**श्री नौरंगलाल** (जिला बरेली)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है इस पर क्या कहा जाय इसके सोचने से पूर्व और भी विधेयक जो इस तरह के पास हो चुके हैं उन पर भी थोड़ा सा विचार किया जा सकता है और उनसे तजुर्बा भी लिया जा सकता है।

मैं इस बात में सहमत हूं विरोधी पक्ष की कि जितने भी क़ानून हमने पास किये हैं नशेबन्दी के खिलाफ़, वह अब तक कामयाब साबित नहीं हुए हैं और इस बात को मानने में हमको शर्म नहीं होनी चाहिये। हमारा उद्देश्य सत्य होना चाहिये और हमें अपनी ग़लती माननी चाहिये। इसके साथ ही साथ हमें इस बात का भी प्रयत्न करना चाहिये कि यह हमारे कानून जो नशाबन्दी से संबंध रखते हैं, चाहे वह अफीम हो, गांजा हो, शराब हो ये कामयाब क्यों नहीं होते।

मैं विरोधी पक्ष की इस बात से तो सहमत हूं कि यह क़ानून हमारे कामयाब नहीं हुए और इनको कामयाब साबित होना चाहिये था, लेकिन इसके साथ ही साथ यह दलील कि पुलिस अफसर को ताक़त न मिले, जो कि स्टेशन इंचार्ज है, तलाशी करने की, इससे मैं सहमत नहीं हूं। पहला आर्गूमेंट अपनी जगह पर है, यह दूसरी बात विरोधी पक्ष की तर्करहित है। मंत्री

[श्री नौरंगलाल]

जी की मंशा तो सिर्फ यह है कि ऐसे मौक़े आ सकते हैं, जिसमें मैजिस्ट्रेट के सामने जाने में दिक्क़त हो सकती है। स्टेशन आफिसर देहात में रहता है और गांव वाले कोई मुखबरी कर सकते हैं कि फ़लां के घर में इस तरह से ओपियम पी जा रही है। तो अगर पुलिस आफिसर न जाकर कोई गजटेड आफिसर तलाशी करने को जाता है तो इसमें घंटे दो घंटे देर भी मुमकिन हो सकती है, २४ घंटे भी लग सकते हैं और तब तक की यह डिले बड़ी हानिदायक साबित हो सकती है, उस चीज के पकड़ने में जिसकी कि उन्हें तलाशी लेनी है। अस्तु मुझे तो कोई बाधा है नहीं कि यह अधिकार स्टेशन आफिसर को दिया जाना चाहिये कि वह तलाशी ले और एक बात यह भी है कि हमें अपने स्टेशन इंचार्ज के खिलाफ ही अविश्वास क्यों है, हम थानेदार बनाते हैं, उसको तनख्वाह देते हैं और उस पर अविश्वास करते हैं? मैं आपसे, सदन के अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अविश्वास बेचारे थानेदार के ही खिलाफ क्यों है? यदि यह अविश्वास है, ऐसी चीज है, पार्टीबंदी है, गुटबंदी है, तो यह अविश्वास कलेक्टर के खिलाफ, गजटेड आफिसर के खिलाफ भी हो सकता है। वे भी इससे बरी नहीं हो सकते। तो अगर यह विश्वास है कि एक आफिसर ऐसा करेगा तो दूसरा भी ऐसा कर सकता है। इसलिये यह दलील तो उचित नहीं।

अब रहा यह कि क्योंकि आफिसर ऐसा करे तो इसमें जरा डिस्क्रिशन की बात है। कुछ लोग कहेंगे कि बहुत आफिसर अच्छे हैं, कुछ कहेंगे कि बहुत खराब हैं तो इन दलीलों से तो कुछ नहीं बनता। इसलिये इन दलीलों को न मानते हुए कि पुलिस आफिसर को शक्ति न देनी चाहिये, उसको शक्ति मिलनी चाहिये। मैं यही कहूंगा अगर उसको शक्ति नहीं मिलती तो वह काम नहीं चला सकता। तलाशी एक ऐसी चीज है कि जिसमें दो मिनट में चीज गायब की जा सकती है।

अब मैं एक बेसिक बात कहना चाहता हूं और वह अंग्रेजी की एक कहावत है "Morality cannot be enforced" चाहे जितने प्रयत्न करिये, अगर यह आप चाहें कि नैतिकता को बलपूर्वक जनता से मनवा लिया जाय तो यह कदापि संभव नहीं है। ऐसे कानून के लिये जिसमें निगेशन के आदेश हुआ करते हैं, डू नाट डू ऐसा न करो, यह कदापि संभव नहीं है। मैंने एक अंग्रेजी राइटर की पुस्तक पढ़ी जिसका नाम है बेसिक आफ दि पोलिटिकल ओब्लीगेशन। उसमें विस्तार पूर्वक ऐसे कानूनों के लिये दिया हुआ है कि यह कानून कैसे कामयाब हो सकते हैं। उसमें चार स्टेज बतलाये गये हैं। किसी भी निषेधात्मक कानून को इन चारों स्टेजों से गुजरना पड़ेगा। अगर आपने एक भी स्टेज छोड़ दी तो आपका कानून हरगिज-हरगिज कामयाब नहीं हो सकता और आप पब्लिक धन बरबाद कर रहे हैं। पहला स्टेज जो उसने बतलाया है ऐसे कानूनों के कामयाब होने के लिये वह यह स्टेज है कि जो कानून ऐसा पास हो निषेध का वह पार्ट आफ जनरल बिल होना चाहिये। जनरल बिल एक वह चीज है जिसे वह एक बड़े रिफाइंड तरीके से लेता है। पहला स्टेज यह है कि यह जनरल बिल का पार्ट होना चाहिये। यदि वह जनरल बिल का पार्ट नहीं है तो श्रीगणेश ही गलत है। मैं इसको साधारण शब्दों में कहूं, उसमें जनहित होना चाहिये। यदि आप जनहित को उसमें नहीं रखते, उसको इसका पार्ट नहीं करते तो वह कानून सफल नहीं हो सकता। यह बात तो सभी मानेंगे इधर के लोग भी मानेंगे और उधर के लोग भी मानेंगे। दूसरा स्टेज जो उन्होंने बतलाया है वह यह है कि उसे पार्ट आफ दि जनरल बिल के लिये जाग्रत होना चाहिये पापुलर बिल में। इसका अर्थ यह हुआ कि जो जनहित है उस जनहित को मनवाना चाहिये पब्लिक से कि यह जनहित वास्तव में जनहित है और पब्लिक उसको स्वीकार कर ले। यह दूसरा स्टेज है कि जिस स्टेज से ऐसे कानूनों को गुजरना पड़ता है। अब यह चीज कि पब्लिक इस चीज को स्वीकार करती है या नहीं, यह गवर्नमेंट की बुद्धिमत्ता पर निर्भर है। जल्दबाज गवर्नमेंट मामूली प्रोपगंडे से यह समझ लेती है

कि पब्लिक इसको चाहती है तो यह पब्लिक का चाहना नहीं हुआ। मैं शराब पीने को बुरा कहता हूं लेकिन घर पर जाकर पीता हूं। तो इस तरीके से पब्लिक इस चीज को पसन्द नहीं करती। इसलिये गवर्नमेंट की बुद्धिमत्ता यह है कि वह यह देखे कि पब्लिक इस चीज को पसंद करती है या नहीं, पब्लिक इसको जनहित मानती है या नहीं। यह दूसरा स्टेज होता है। इसके बाद तीसरा स्टेज भी बतलाया है। तीसरा स्टेज इसका होता है कि गवर्नमेंट को और उन लोगों को जो कि रिफार्मस हैं यह प्रयत्न करना चाहिये कि इस जनहित का इतना प्रोपेगेंडा करें, इतना प्रोपेगेंडा करें कि पब्लिक खुद ही उसको इन्फोर्स करने लगे और जितने उसके तोड़ने वाले हैं वे स्वयं ही उसको तोड़ना छोड़ दें, इतना प्रोपेगेंडा उसके लिये किया जाय। उन्होंने यह तीसरी स्टेज उसकी बतलाई है। इसके बाद चौथी स्टेज यह बतलाई है कि जब ऐसी स्टेज आ जाय कि जुर्म करने वालों में से ८० आदमी स्वयं ही उसको छोड़ दें, तो थोड़े से अनविलिंग आदमियों के लिये कानून बनाया जाय और उसको इनफोर्स किया जाय और तब वह कानून कामयाब होता है। वह यह कहता है कि जो ला इन चारों स्टेज से गुजरता हुआ जायगा वह कामयाब होगा अन्यथा नहीं। हम यह देखते हैं कि हमने शराब बन्दी कानून बनाया लेकिन हमने इन चारों स्टेजेज का खयाल नहीं किया। हमने एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी स्टेज का ध्यान नहीं दिया। हमने यह समझा कि अगर हम कानून बना देंगे तो हमारा मकसद हल हो जायगा। इसलिये अगर हमको ओपियम की स्मोकिंग को बन्द करना है तो हमें इन चारों स्टेजेज से जाना पड़ेगा। पहली स्टेज आप ने तय कर ली, उसमें जन-हित है, लेकिन दूसरी स्टेज हमारे देश और हमारे प्रांत के अन्दर मौजूद नहीं है। पब्लिक इस चीज को नहीं समझती है कि यह जनहित में है। जहां तक तीसरी स्टेज की बात है कि हम इतना प्रोपेगेंडा करें कि लोग स्वयं छोड़ दें, यह भी हमारे प्रांत में नहीं है। चौथी स्टेज आप ला रहे हैं। दो स्टेज आपने छोड़ दीं। इस तरह हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। एक ऐब्सर्ड चीज है मैं यह बतला दूं कि एक जगह आप ने ड्राई एरिया डेक्लेयर कर दिया, वहां आप का दावा यह है कि अगर कोई शराब पियेगा तो उसको सजा हो जायगी। उसके पास ही एक ऐसा बार्डर लैन्ड है जो ड्राई एरिया नहीं है। वहां का कलेक्टर, वहां का कमिश्नर, वहां का थानेदार हर एक लीडर और हर एक किसान शराब पी सकता है, क्योंकि वहां उसका पीना जुर्म नहीं है। उसके पास ही जहां ड्राई एरिया है वहां कोई नहीं पी सकता है। एक जगह एक चीज पाप है और दूसरी जगह पुण्य है। एक जगह उसकी पूजा की जाती है, देवताओं के सिर पर चढ़ाई जाती है और दूसरी जगह वही क्राइम हो जाती है। यह एक हंसी की बात है। ऐसी दशा में वह ला कैसे कामयाब हो सकता है। जो आदमी ड्राई एरिया में रहता है वह जिधर ड्राई एरिया नहीं है उधर देखता है कि क्या मजाक की चीज है कि वहां कोई कानून नहीं है और मैं फांसा जा रहा हूं। इस तरह उसका जो मारल फोर्स है वह गिर जाता है। जबर्दस्ती आप चाहे जो कुछ करा लें वह दूसरी बात है लेकिन उसके विरुद्ध जो स्टैमिना मारल फोर्स का होता है वह बिलकुल निकल जाता है। यह तो मैंने 'बाई दि वे' कहा। यह तो सिर्फ इसलिये है कि अगर नशाबन्दी कामयाब होनी है तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आप के जरिये मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि आप को प्रचार करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि प्रचार तो हम करते हैं और खूब करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कितने गवर्नमेंट पेड प्रीचर्स हैं जो शराबबंदी का खास प्रचार कर रहे हैं। अगर कोई पब्लिक का आदमी काम कर रहा है और वह इस बात का प्रचार कर रहा है तो उसको आप के तहसीलदार से, आप के थानेदार से कितनी सहायता मिलती है। जब तक आपकी सारी मशीनरी, आप का सारा प्रोपेगेंडा और आपके एक्सपेंसेज इस बात में नहीं लगेंगे कि गांव गांव में यह प्रचार किया जाय कि शराब न पियो, गांजा न पियो, सुल्फा न पियो, तब तक काम नहीं चल सकता है। जितना रुपया आप कानून में और दूसरी चीजों में खर्च करते हैं उतना रुपया भी अगर प्रचार के काम में लगाया जाय तो बहुत कुछ काम चल सकता है। इससे कोई फायदा नहीं होगा कि आप कानून बनायें और उसका इंफोर्समेंट न हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि वाकयात बहुत कुछ असर डालते हैं। एक तमाशा हो जाय और आप एक कानून पास

[श्री नौरंग लाल]

कर दीजिये, जरा पब्लिक भी देख ले और हम भी देख लें कि मिनिस्टर्स पार्लियामेंटर्स मेम्बर्स, लेजिस्लेचर्स, आफिसर्स छोटे से बड़े तक सब के लिये यह कर दिया जाय कि वे सरकारी सर्विसेज तब पायेंगे जब वे शराब, गांजा और सुल्फा नहीं पियेंगे। यह एक मजाक की चीज मालूम होती है लेकिन अगर आप यह कंडीशन रख दें कि हम आफिसर्स पर नशाबन्दी बलप्रयोग से लागू करेंगे तो इसका अच्छा असर पड़ेगा। जहां तक हम यह कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं यह हमारी कमजोरी है। हमने पहली स्टेज को पास नहीं किया है वैसे दिखाने के लिये हम चाहे जो कुछ रक्खें, यह दूसरी बात है। लेकिन ह्वेर देयर इज ए बिल, देयर इज ए वे, बट हियर देयर इज नो बिल, देयर फोर देयर इज नो वे।

**श्री सैयद अली ज़हीर**---प्वाइंट आफ आर्डर सर। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य अपनी तकरीर में इस बिल को जोकि पेश है, उसी हद तक महदूद रखें जहां तक कि यह है क्योंकि अगर पूरे मद्यनिषेध की पालिसी, जिसके कानून पहले से बने हुये हैं और जो नाफिज हैं और जिसके जरिये से अफीम ममनून है इस पर बहस की गई जैसा कि अभी एक दोस्त की तकरीर से मालूम होता है तो तीन-चार दिन तक बहस होती रहेगी। इसलिये मैं इस्तदुआ करूंगा कि इस बिल के जरिये से सिर्फ पुलिस को कुछ मजीद अख्तियारात दिये जा रहे हैं कि बगैर वारन्ट के सर्च कर सकें इसी पर बहस की जाय।

**श्री अध्यक्ष**---आपका कहना वाजिब है। माननीय सदस्य उसी विषय पर विवाद महमूद रखें जोकि बिल में है।

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य** (जिला मथुरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सचमुच अपने विरोधी दल के मित्रों और श्री नौरंगलाल जी के भाषण से हैरानी हुयी। वैसे तो माननीय मंत्री ने एक प्रकार से स्पष्ट ही कर दिया और यह सही है कि आखिर में इसमें जिक्र प्रोहिबिशन का आया जिसका इससे ताल्लुक नहीं है। आपने कुछ बेसिक प्रिंसिपिल्स आफ पोलिटिकल विजडम के संबंध में बताया था। हमारे माननीय विरोधी मित्रों का यह ख्याल है कि हमको विधेयक नहीं बनाना चाहिये जैसा कि माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने कहा कि आप विधेयक बनाते जाते हैं और प्रोहिबिशन बढ़ता जाता है यानी विधेयकों से अफीम पीने वालों की तादाद बढ़ती जाती है, तो मैं तो इसका सैद्धांतिक रूप से ही विरोध करता हूं। यह प्रोहिबिशन का प्रश्न तो बहुत लम्बा है और उसके संबंध में स्थान स्थान पर बहुत काफी चर्चा होती है, बातें होती हैं, मेरा ख्याल है कि यह वह स्थान नहीं है, यह मौका नहीं है बल्कि जबकि हम उस संबंध में इस सदन के सामने कुछ विचार करें। लेकिन हमारे समाज में प्रोहिबिशन का वही स्थान है जोकि किसी दिन शारदा ऐक्ट का था। शारदा ऐक्ट जब बना था तो उसके बारे में ....

**श्री अध्यक्ष**---माननीय सदस्य स्वयं उस तरफ चले गये।

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**---मैं सिर्फ तरतीबन इस चीज का जिक्र कर रहा था। मेरा मतलब यह नहीं था कि प्रोहिबिशन के बारे में कोई चर्चा करनी है। मैं तो केवल यह कह रहा था कि प्रोहिबिशन का जिक्र यहां न हो। अगर हमारे मित्रों का ख्याल यह हो कि कानून बनने से बुराई बढ़ेगी तो मैं उसका विरोध करता हूं, क्योंकि बनाने से तो कोई ऐसी बात होती नहीं है बल्कि उसमें रोकथाम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन उसकी रोकथाम से उसमें जो अपवाद हैं कि कानून उल्लंघन होता है और अगर यह कानुन न होता तो कानून उल्लंघन का प्रश्न नहीं आता इसका मैं विरोध करता हूं।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है मैं केवल तीन चीजें आपके समक्ष रखूंगा। संभव है कि मेरे मित्रों को यह न मालूम हो कि सरकार ने जिन कठिनाइयों को सामने रख कर इस विधेयक के द्वारा पेरेंट ओपियम स्मोकिंग ऐक्ट में कुछ सुधार करने का जो प्रयास किया है

वह सरकार ने अपराधी के प्रति थोड़ा सा लिबरल व्यू लेने का प्रयास किया है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारायें १०२ और १०३ ओपियम स्मोकिंग ऐक्ट पर एप्लाई नहीं करती थीं और उसके संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट की नजरें भी हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १ के अन्तर्गत चूंकि ओपियम स्मोकिंग ऐक्ट एक विशेष ऐक्ट है इसलिये उस पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का कोई एप्लीकेशन नहीं है। इसलिये धारा १०२ और १०३ जो कि तलाशी से संबंधित हैं यानी उसका अर्थ यह होता है कि तलाशी के समय उस लोकैलिटी के दो साक्षी होने चाहिये। यह है धारा १०३। यदि २ साक्षी नहीं होते तो वह तलाशी बेकार हो जाती है। मुझे यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि १०३ और १०२ अपराधी को बचाने का एक बहुत बड़ा मार्ग है। लोकैलिटी के गवाह प्रायः अदालत के सामने जाकर उलटी गवाही दे देते हैं जिसके परिणामस्वरूप अपराधी बहुत सरलता से छूट जाता है। यह जो प्राविजन इनकारपोरेट किया गया है इससे कानून एक प्रकार से अपराधी के लिये ज्यादा सख्त हो जायगा इस मानी में कि सबूत पक्ष को अधिक कार्य करना पड़ेगा। धारा १९ ए बहुत सीधी सी है। इस पर वीरेन्द्रशाह जी के संशोधन के मुताबिक मैं यह इसलिये नहीं कह रहा हूं कि संशोधन इस समय पेश है, स्टेशन आफिसर की जगह सी० आई० होना चाहिये। मैं कहता हूं कि फिर तो सी० आई० के स्थान पर भी एस० पी० ही क्यों न हो क्योंकि कहीं तो उसका अन्त होना चाहिये। मेरी समझ में इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है। गैम्बिलिंग ऐक्ट आदि की कुछ प्राविजन्स लेकर ओपियम स्मोकिंग ऐक्ट में रखी गई हैं। इसके लिये यह कहना कि इससे अपराध की पुनरावृत्ति हो या माननीय रामनारायण जी के शब्दों में, जितना कानून को सख्त किया जायगा उतने ही अपराध अधिक होंगे, मैं इसका विरोध करता हूं। मैं कहता हूं कि कानून भी एक सीढ़ी है जिसके द्वारा हम समाज का निर्माण कर सकते हैं। मैं तो एक्सपोजीशन पर नहीं जाना चाहता जो कि मेरे मित्र नौरंगलाल जी ने रखी लेकिन केवल इतना कहना चाहता हूं कि इसके द्वारा पुराने कानून में थोड़ा सा अधिकार और दिया जा रहा है जिससे १९५९ तक चूंकि हम ओपियम स्मोकिंग को बिलकुल समाप्त करना चाहते हैं, उस तक हम पूरे पहुंच सकें। ऐसा मेरा खयाल है।

श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक का विरोध मेरे विरोधी पक्ष के मित्र माननीय रामनारायण त्रिपाठी और माननीय वीरेन्द्र शाह ने इसलिये किया है कि उनको पुलिस को अधिक अधिकार मिलने पर भ्रष्टाचार बढ़ने की आशंका है परन्तु उन्होंने भी इस विधेयक का जो आधारभूत सिद्धान्त है उससे मतभेद नहीं किया है। मैं समझता हूं कि उसका विरोध करना केवल विरोध के लिये है। मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरा सम्बन्ध इत्तिफाक से एक ऐसे जिले से है जिस के माथे पर रियासती जमाने से ही कुछ लोगों के कुकर्मों की वजह से अफीम आदि के व्यापार को लेकर एक कलंक का टीका लगा चला आ रहा है। हालांकि इस बात का सम्बन्ध विधेयक से सीधा नहीं है लेकिन किसी बुरी बात को अधिकारियों के लिये तभी संभव हो सकता है जब कि उनको उसकी पूरी शक्ति प्राप्त हो इस बात को साबित करने के लिये मैं दो उदाहरण आपके समक्ष उपस्थित करता हूं कि रामपुर में अफीम का रोजगार बेजा और शराब का बेजा रोजगार बहुत दिनों से काफी होता चला आ रहा है। पिछले ही दिनों वहां एक्साइज इन्सपेक्टर और सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने दो शराब की ऐसी भट्ठियों को पकड़ा था जहां २१ टीन और २०० के लगभग घड़े मौजूद थे और इसी प्रकार एक मकान से साढ़े बीस सेर अफीम पुलिस ने पकड़ी। यदि पुलिस को अधिकार नहीं होते तो वह नहीं पकड़ सकती थी।

जो पुलिस को तलाशी लेने के अधिकार इस विधेयक द्वारा दिये जा रहे हैं मैं समझता हूं कि वह मुनासिब है और जरूरी है। यदि अधिकार होंगे तो जो व्यक्ति अच्छे होंगे वह उनसे अपने कर्तव्य पालन में फायदा उठा सकते हैं और करप्शन रोक सकते हैं। अगर अधिकार

[श्री कृष्ण शरण आर्य]

नहीं होंगे तो वह कुछ नहीं कर सकते हैं। अधिकारी भ्रष्टाचार इसलिये नहीं करते हैं कि उनको अधिकार होते हैं बल्कि ऐसा होता इसलिये है कि उनमें मोरल डिग्रडेशन होता है, उनको पैसे का चालच होता है और उसे पूरा करने के लिये वह खराबी करते हैं तथा अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं।

**श्री सियाराम चौधरी** ( जिला बहराइच )—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन के मेम्बरों के सामने यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों का इस अधिनियम से कोई विरोध नहीं है। जो विधेयक आज सदन में प्रस्तुत है उससे उनका कोई विरोध नहीं है, सिर्फ उनका विरोध है कि पुलिस को अधिकार न दिये जायं। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि पुलिस को और भी बहुत सी दफाओं में अधिकार हैं कि वह जहां चाहे तलाशी ले सकती है। उनमें हमारे भाइयों को कोई विरोध नहीं होता है लेकिन इसमें वह क्यों विरोध करते हैं यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। हमारे दो पूर्व वक्ताओं ने जो विरोधी दल के हैं उन्होंने हमारी पार्टी पर अटैक किया है और कहा है कि पुलिस के जरिये कांग्रेस पार्टी के लोग पुलिस पर दबाव डाल कर दूसरों को गिरफ्तार करायेंगे। यह शंका श्रीमन् विरोधी दल वालों ने बतलाई है। मैं कह सकता हूं कि हमारी पार्टी में नशा खाने वालों को कहीं कोई जगह नहीं दी जाती है। इसलिये लोग नशा इस्तेमाल करने से बहुत डरते हैं मगर दूसरी पार्टियों में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है अगर नशा खाने वाले लोग मिलते हैं तो वह अधिकांश दूसरी पार्टियों में ही मिलते हैं इसलिये उन्हें इस अधिकार से भय प्रतीत होता है। मैं कहूंगा कि जब पुलिस को और बहुत से ऐसे अधिकार प्राप्त हैं तो फिर इन अधिकारों को देने में हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

श्रीमन्, मैं कह सकता हूं कि किसी चीज की रोकथाम के लिये एक मात्र साधन केवल कानून का होता है जिसके जरिये से किसी चीज की रोकथाम की जा सकती है। इसके अतिरिक्त हमारे मित्र ने कोई ऐसा सुझाव नहीं दिया है जिससे इसकी रोकथाम की जा सके। वैसे तो इन चीजों के निषेध के बारे में हमारी सरकार ने प्रचारक मुकर्रर कर रखे हैं जो स्पीचेज देते हैं और लोगों की भावना को बदलते हैं। लेकिन जब इससे काम नहीं चल सका तो सरकार ने मुनासिब समझा कि इस कानून को थोड़ा सा और सख्त कर दिया जाय जिससे इन चीजों से लोग बच सकें और मुल्क का कल्याण हो सके। श्रीमन्, मैं आप के सामने और कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। मेरी यही राय है कि जो विधेयक आज सदन के सामने प्रस्तुत है वह पास कर दिया जाय।

**श्री गंगाधर शर्मा** (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, माननीय न्याय मंत्री जी ने पुलिस को कुछ ज्यादा अधिकार दे देने के संबंध में जो बिल आज आपके सामने रखा है उसका औचित्य प्रकट करने के लिये मैं आपसे कुछ समय लेता हूं। जहां पुलिस के अन्य जो अधिकार हैं चलते हैं उसके साथ ही साथ जब हम पुलिस को यह अधिकार दें कि वह बिला वारन्ट तलाशी ले सके और गिरफ्तार कर सके तो इसमें एक विशेषता आ ही जाती है, अफीम का उपयोग चाहे वह मदक की शक्ल में हो, चाहे खाने की शक्ल में हो और चाहे बच्चों को जो मातायें कभी-कभी सुलाने के लिये दे दिया करती हैं उस शक्ल में हो, हर हालत में अफीम हमारे लिये हानिकर है। मैंने यह सोचा कि आखिर अफीम के संबंध में क्यों इतनी चर्चा हो गई कि सन् ५९ तक इसे खत्म कर देना चाहिये। चीन काफी तादाद में अफीम का इस्तेमाल करता था और वहां के दो-दो और तीन-तीन वर्ष के बच्चे काफी तादाद में इसे पीते थे लेकिन चीन ने उसे एक दम बन्द कर दिया और उसी के आधार पर हिन्दोस्तान ने पोस्ते की काश्त बन्द कर दी। आज सवाल उठता है अन्य मद्य और मादक वस्तुओं के भी त्याग का। मैं हैरान था कि अफीम के लिये ही क्यों ऐसी बात है। मैंने सोचा कि चाहे प्रांतीय सरकार के कर्मचारी हों और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों वे किसी मदक या अफीम की पीनक में नहीं रहते हैं। इसलिये इसको बन्द करने का बड़ा जोर चल रहा है। लेकिन उसी जगह पर शराब, सिगरेट, बीड़ी की तरफ जब मैं ख्याल करता हूं तो सोचता हूं कि इन्हें

इनका नशा ऐसा लगा हुआ है कि वह नहीं छूटता है। इसी लिये उसकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं देता है। जहां मुझे प्रसन्नता हुई कि माननीय न्याय मंत्री जी ने इस बिल को इस सदन के सामने ला कर एक अच्छा काम किया है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के काम में मदद पहुंचा रहे हैं वहां अपनी गवर्नमेंट के जरिये से सेन्ट्रल गवर्नमेंट तक मैं यह पहुंचाना चाहता हूं कि कृपा करके वह एक ऐसा विधेयक शराब, सिगरेट और बीड़ी के लिये भी बनाएं ताकि जो हमारे दो-दो वर्ष के बच्चे के कलेजे जल रहे हैं वे बच सकें और एक ऐसा दिन आये कि हम धन्यवाद दें अपने माननीय मंत्री जी को कि जिस तरह से अफीम खाने पीने को रोका जा रहा है वैसे ही शराब आदि के उपयोग को, जिसको ऊपर से नीचे तक के लोग कर रहे हैं, बन्द किया जा सके। आप लोग मुझे ऐसा कहने में दोषी समझेंगे लेकिन वास्तव में हमारे सदन में एवं हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में ही नहीं इस किस्म के लोग हैं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ऐसे लोग हैं जो इस मद्य आदि मादक वस्तु सेवन को बुरा कहते हैं। इसलिये जो आज वातावरण फैला हुआ है इसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। मैं इन बातों के साथ अपने माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि वह ऐसा विधेयक लाये। मुमकिन है कि इसके जरिये से पुलिस को अपने हथकन्डे बढ़ाने का और मौक़ा मिल जाय लेकिन मैं आशा करता हूं कि वह नेकनियती के साथ इस काम को करेंगे।

**श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पुराना ऐक्ट संशोधन के बिना छछा कारतूस था। इस संशोधन के द्वारा पुलिस को कुछ और अधिकार दिये जा रहे हैं उसके बारे में ऐसी शंका करने का कोई कारण नहीं दिखलायी पड़ता कि वे लोग अपने अधिकारों को ग़लत इस्तेमाल करेंगे। संशोधन में लिखा हुआ है कि उसके लिये उसको लेखी कारण देना पड़ेगा। जब ऐसा है तो फिर कैसे अधिकारों का दुरुपयोग हो सकता है। कहा जाता है "Law grinds the weak persons and strong rule the laws" यानी दुर्बल को कानून द्वारा भी पीसा जाता है ऐसी शंका इसमें करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके अन्दर इस बात का पूरा विचार रखा गया है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय न्याय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक का मैं विरोध करता हूं। जहां तक मैंने समझा है माननीय न्याय मंत्री की मंशा यह है कि जो लोग अफीम खाते हैं या पीते हैं उनको पीने या खाने से रोकने के लिये आफीसरान को पहले से अधिक अधिकार दिये जायं जिससे वे उनको पकड़ सकें। मैंने पुराने ऐक्ट को भी देखा, उसमें भी ये अधिकार दिये गये हैं सिर्फ फ़र्क़ इतना हो गया है कि अगर किसी पुलिस अफसर को यह शिकायत होती थी कि फलां आदमी अफीम बना रहा है या गैर कानूनी तरीक़े से पी रहा है, वह मजिस्ट्रेट की इजाजत से वारंट हासिल कर लेता था और तब जाकर वह तलाशी ले सकता था या गिरफ्तारी कर सकता था। उसे यह भी अधिकार थे कि वह जाती मुचलके पर उसे छोड़ सकता था या हिरासत में रख सकता था। ये सब अख्तियारात तो पहले से ही मौजूद हैं लेकिन माननीय न्याय मंत्री ने जो सबब बतलाया है, जिस कारण से कि वे इस क़ानून को बना रहे हैं उसमें यह लिखा गया है कि चूंकि वे अगले वर्षों में यानी सन् १९५९ तक पूरे सूबे में अफीम पीने की प्रथा को बन्द कर देना चाहते हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि जब से इस ओर सख्ती की जाने लगी है तब से अपराध बढ़ गये हैं। अगर हम यह बात मान भी लें कि अफीम पीने पर सख़्ती करने की वजह से अपराध बढ़ गये हैं तब भी एक सन्देह मन में होता है कि जब से यह आदत छुड़ाई जाने लगी तब से अपराधों की संख्या बढ़ने लगी है। जैसा कि माननीय नौरंग लाल जी ने विस्तार से चर्चा करते हुये कहा कि गवर्नमेंट को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि इस प्रकार के समाज सुधार के लिये जो कार्य क्रम हो वह ऐसा होना चाहिये जिसमें ज्यादा लोगों को सख्त सजायें न देना पड़े।

मैं भी उसी ओर माननीय न्याय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, जब मैंने इस विधेयक को देखा तो याद पड़ा कि आज भी अफीम की खेती और अफीम के पीने वाले लोग मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि अफीम के पीने

[श्री गेदा सिंह]

वालों की तादाद बहुत कम हो गयी है। दुर्भाग्यवश अध्यक्ष महोदय, मैं उस जगह से आता हूं जहां अफीम की खेती होती थी लेकिन आज अफीम की खेती नहीं होती है लेकिन आज पड़ोस में अफीम की खेती होती है। गोरखपुर के बांसी गांव में अफीम की खेती होती है। कुछ खेती सलमपुर तहसील में देवरिया जिले में भी होती है। हमारा अनुभव यह है कि जहां पर हम लोग अफीम पैदा करते रहे हैं तो वहां पर पीने वालो की तादाद बढ़ रही है। परन्तु जहां पर अफीम एक्सपोर्ट की जाती है वहां पर अगर अफीम पीन वालों की तादाद बढ़ रही ह, उसको हम माननीय मंत्री जी से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। मैं अपनी तरफ से यह सफाई देना चाहता हूं और अपने भाई जो गाजीपुर के हैं और जो भाई गोरखपुर से आते हैं कि इनके यहां पर अफीम क पीने वालें की तादाद नहीं बढ़ रही है। मैं समझता हूं कि अफीम पीने वालों की तादाद हमारे यहां नहीं बढ़ रही है और न उस प्रकार के कानून की कोई जरूरत ही मालूम होती है। इस तरह के अख्तियारात दरोग़ा लोगों को दिये जा रहे हैं, जिनके दुरुपयोग होने की संभावना है। मैं बहुत अदब के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि जिन दरोग़ा लोगों को यह अख्तियार माननीय मंत्री जी दिलाना चाहते हैं उनमें से एक अच्छी तादाद ऐसी है जो अफीम पीने वाले तो नहीं हैं मगर कुछ और पीने वाले हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे दरोग़ा लोगों से अफीम पीने वाले नहीं पकड़े जायंगे। बल्कि यह लोग दूसरे भले आदमियों को भले ही पकड़ लें। इस तरह से पुलिस के हथकंडे और बढ़ जायंगे। मैं समझता हूं कि इसमें सदन का एक ही मत हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था कि दरोग़ा लोगों की एक बहुत अच्छी तादाद ऐसी ही है। हां मैं एक बात की तरफ माननीय अध्यक्ष महोदय आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कुछ जिले ऐसे हैं जो नैपाल से लगते हैं, वहां पर मैंने देखा कि अफीम का व्यापार तो नहीं होता है मगर गांजा का व्यापार बहुत अच्छी तरह से होता है। इसमें पुलिस का हाथ बहुत अच्छी तरह से होता है। एक आदमी जो गांजा का व्यापार करता है वह एक दिन में सौ २ डेढ़ २ सौ और दो-दो सौ रुपया कमाता है। वह पुलिस को रिश्वत में सौ या दो सौ रुपया बहुत आसानी से दे सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से माननीय न्याय मंत्री जी से बहुत अदब से निवेदन करूंगा कि वह इस तरह के अख्तियारात पुलिस को देकर कुछ उलझनें पैदा कर देंगे और कुछ भले आदमियों को परेशान करने के लिये पुलिस वालों को हथकंडे मिल जायेंगे। भले आदमियों का मैं यह अर्थ लगाता हूं कि कुछ ग़रीब आदमी आते हैं जिन्हें सरकार ने बेगार आदि से रक्षा के लिये कुछ कानून बनाये हैं वह उन पुराने जालिम तबियत लोगों से बचने की कोशिश करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि इस कानून से कोई खास फायदा तो नहीं होगा परन्तु खेती करने वाले मजदूर हैं उनको पुलिस पुराने जमींदारों की साजिश में होकर किसी न किसी तरह से उनके घर में गांजा रखवा देगी और गिरफ्तार कर लेगी और उन पर मुकदमा चलेगा जिसका फैसला साल या ६ महीने में होगा। इससे उन लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं तो यह कहता हूं कि इस कानून की क़तई जरूरत नहीं है, और जो कानून है वही काफी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में अफीम पीने वालों की तादाद कम है, शराब पीने वालों की तादाद जरूर बढ़ गयी है उसको रोकने की चेष्टा की जाय। उसको रोकने के लिये जो चेष्टा की जा रही है वह कारगर नहीं है और कुछ सोचना चाहिये लेकिन अफीम पीने वालों की तादाद बहुत तेजी से घट रही है। मैं बचपन में बहुत देखता कि हमारे दरवाजे पर बहुत सी तहसीलों के चपरासी आते थे और वह जब तक चले नहीं जाते थे तब तक वह अफीम पीने के चक्कर में ही पड़े रहते थे, क्योंकि हमारे गांव में अफीम पैदा की जाती थी और वह इसी चक्कर में रहते थे कि वहां से अफीम पीने को मिले। लेकिन, अब मैं देखता हूं कि १०, १५ वर्ष के भीतर वहां कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो अफीम पीता हो। मेरा तो इतना ही निवेदन है कि जहां पर अफीम पी जाती हो, वहां के माननीय सदस्य भी अपने विचारों से हम लोगों को फायदा पहुंचाने में मदद करने की कृपा करेंगे और माननीय मंत्री जी भी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनको इस तरह की शिकायत कहां से मिली कि अफीम पीने वालों की तादाद बढ़ गयी है। अगर उनको इस तरह की सही शिकायत मिली है तब तो वह

इस पर गौर करें, वरना मैं तो यही कहूंगा कि उनके पास अभी बहुत बड़े-बड़े कार्य पड़े हुये हैं उन सब को छोड़ कर वह इसमें अपना समय बर्बाद न करें और पुलिस के अधिकारियों को इस प्रकार मौक़ा न दें कि वह किसी के दरवाजे पर जायं और सूघें कि कहां से अफीम की महक आ रही है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जब मैंने धारा १९ को ग़ौर से पढ़ा और धारा २० को भी मैंने पढ़ा तो मुझे उसमें कोई फ़र्क़ नहीं दिखलाई दिया। उसमें काफी अख़्तियारात हैं कि वह अफीम पीने वालों को पकड़ सकें, चाहें तो छोड़ सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही फर्क है कि उनको पहले से मैजिस्ट्रेट को लिखना पड़ेगा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे कोई बड़ा भारी फर्क पड़ता हो। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह उम्मीद करता हूं कि वह इसमें अपना समय ख़राब न करें।

**श्री चन्द्रसिंह रावत** (जिला गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक आज सदन में उपस्थित है मैंने उसकी धारा १८ और १९ को अच्छी तरह से पढ़ा है। आज जो हमारे मुल्क के विकास का स्तर है हमें उसे भूल नहीं जाना चाहिये। जब हम किसी समाज विकास के लिये कोई कानून बनाते हैं तो उस समय हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि हमारे मुल्क की मारेलिटी का स्टैन्डर्ड क्या है और उसका क्या स्तर है। अगर हमारी अपने मुल्क के विकास के साथ सद्भावना हो और हमारा बहुत ही अच्छा उसूल हो और कानून तो अच्छा हम बना दें परन्तु उस कानून की आड़ में अगर कोई अनहित होने का अन्देशा हो जाता है तो यह हमारे लेजिस्लेचर का काम है, यह उनकी प्राइमरी ड्यूटी है कि वह यह देखें कि आया इस कानून के बन जाने से जिस एम और आब्जेक्ट को हम आशा करते हैं वह प्राप्त होता है या नहीं या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कानून की आड़ में बहुत गन्दगी पैदा होने की गुंजाइश है। इस लिये मैं इस सदन के लेजिस्लेचर को सतर्क कर देना चाहता हूं कि कोई भी कानून जो बन जाता है, उसके मक़सद को हल करने में उस के अन्दर कोई इस प्रकार की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिये कि जिसमें बेगुनाह आदमियों को फंसाया जा सकता हो, जिससे उनका हैरासमेंट किया जा सकता हो तथा जिसके पास हो जाने से बेगुनाह लोगों को खाईं में डाल दिया जाता हो, इस प्रकार का क़ानून हमें नहीं बनाना चाहिये। इसलिये मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि जब पुलिस को इस क़िस्म के अधिकार मिल जाते हैं तो वह बेगुनाह लोगों को फांसने का प्रयास करते रहते हैं। हम जानते हैं कि इस क़िस्म के कई इन्स्टान्सेज हैं। इसके अतिरिक्त हम यह भी जानते हैं कि आज कल के पुलिस वालों की मारेलिटी क्या है यहां के पुलिस आफिसरों को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे इस बात का तजुर्बा है और मुझे दुःख होता है इस बात के कहने में कि हमारे एक "कांग्रेसी भाई जोगी हो गये जो कि हमारे ही साथ जेल में रहे। वह एक बार बद्री नारायण तीर्थ करने जा रहे थे। उनके पास सौ सौ के दो नोट थे। जब वह रुद्र प्रयाग पहुंचे तो पुलिस वालों की नजर उन नोटों पर पड़ गई और उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया और कुछ अफीम उनकी पोटली में रख कर उनके ऊपर केस चलाया गया। वहां से उनको पौड़ी ले जाया गया। जब वह पौड़ी पहुंचे तो उनको इस बात की ख़बर मिली कि उन्हीं के यहां कोई वकील वहां रहते हैं, किसी के जरिये ख़बर वकील साहब तक पहुंची। जब उनका सन्देशा मिला तो हम लोग भी काफी परेशान हुये, हमको बहुत रुपया ख़र्च करना पड़ा और बड़ी मुश्किल से उनको छुड़ा पाये।" यह एक ऐसी बात है जिसका कि मुझे अधिक दुःख है। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो लोग कसूरवार हैं उनको अवश्य पकड़ा जाय लेकिन कानून इतना लूज न हो, उसके अन्दर इतनी गुंजाइश न हो कि उस कानून के बलबूते पर बेगुनाह लोगों को हरासमेंट करने की कोई गुंजायश हो। उस गुंजायश को हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। लेकिन १९ ए, जैसा कि वह स्टैंड करता है, मैं यह देखता हूं और ईमानदारी के साथ मुझे इसके कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हमें तो समाज की व्यवस्था का विकास करने के लिये कानून बनाना है और यह हमारी प्राइमरी ड्यूटी है कि अगर लेजिस्लेचर अपना फंक्शन नहीं करता है, या उसे एवायड करता है, उसे नजरअन्दाज

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

करता है तो उसकी आड़ में बहुत अनहित हो सकता है। इसलिये मेरी राय में उसकी वर्डिंग इतनी लूज न हो क्योंकि उसमें काफी गुंजाइश है कि बेगुनाह लोगों का प्राइवेट ऐनिमिटी के कारण या दूसरे गन्दे रिश्ते के कारण हरासमेंट हो सकता है इसलिये मैं यह चाहता हूं और माननीय मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि उसकी वर्डिंग को इस तरह से बना दिया जाय कि उसके अन्दर बेगुनाह आदमियों के हरासमेंट होने का कोई अन्देशा न हो। इसके अन्दर कोई प्रोविजन ऐसा न रहे तो जिस समाज का आप विकास करने जा रहे हैं उसका विकास अवश्य होगा वरना इस लूज वर्डिंग से तो हमारे समाज का अनहित हो सकता है। ग़रीब परेशान किये जा सकते हैं, और पुलिस मनमाना कर सकती है। और क्या गारन्टी है इस प्राविजन के अन्दर जब कि कोई केस कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं हो, मैजिस्ट्रेट को कोई इत्तिला न हो तो खामख्वाह घूस खा कर केस को हशप किया जा सकता है, मैजिस्ट्रेट को जब कोई इत्तिला नहीं होगी तो केस हशप किया जा सकता है। इसलिये इस पासिबलिटी को हमें रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिये। एक लेजिस्लेचर के नाते हमारा फर्ज है कि हम अपने विचार पूर्ण अधिकार और आजादी के साथ इस मुल्क के विकास के लिये इस सदन में रख सकें।

**श्री भगवती प्रसाद शुक्ल** (जिला प्रतापगढ़)—अध्यक्ष महोदय, यह दो धाराओं का विधेयक जो इस भवन के सामने प्रस्तुत किया गया है इसके ऊपर बहुत सज्जन अपने-अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। मुझे तो आश्चर्य इस बात का हुआ कि विरोधी दल के उपनेता यह बात कह कर इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इस प्रकार के नशा बन्द होने के अधिनियम इस भवन के द्वारा या केन्द्रीय सरकार के द्वारा पास किये जाते हैं फिर भी इस प्रकार के अधिनियम से कोई फायदा नहीं होता है बल्कि जुर्म ज्यादा होते जाते हैं। लेकिन उसी दल के दूसरे सदस्य श्री गेंदा सिंह जी ने बड़े सौम्य शब्दों के साथ इसलिये विरोध किया कि अब अफीम पीने वाले लोग बहुत कम हैं इसलिये अधिनियम न लागू किया जाय। और उनके ही बगल में बैठने वाले राजा साहब ने तो इसका बहुत जोरों से विरोध इसलिये किया कि मालूम यह पड़ता है कि इस प्रकार के कानून बनाने से जो शराब, गांजा, अफीम या ऐसे मादक पदार्थों का उपयोग करते हैं उनके कार्यों में कुछ बाधा आती है। अध्यक्ष महोदय, मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि उसके लिये इतनी गहराई में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह जो भवन का समय है उसे बड़े-बड़े प्रश्नों को छोड़ कर, दो एक धाराओं में जो बातें लिखी हुई हैं उनको बढ़ा कर उस पर वादा विवाद कर के बरबाद करना उचित नहीं है। इसमें तो सिर्फ दो बातें लिखी हुई हैं यदि हम किसी अधिकारी को अधिकार देते हैं कि वह जा कर तलाशी करे कोई सूचना मिलने के पश्चात् तो वह लिखित रूप में कारण बतलायेगा कि मैं इन कारणों से मुझे विश्वास है कि फलां जगह कोई जुर्म करने वाला जा रहा है या कर रहा है, वहां मैं जा कर तलाशी लेना उचित समझता हूं। अगर मैं इसमें विलम्ब करूंगा तो वह वहां से सामान हटा देगा या वहां से सामान चला जायगा या उसको मिलना मुश्किल हो जायगा। जब वह यह कारण लिख देता है तो वह वहां जा कर तलाशी ले सकता है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब पुलिस अधिकारी अपने थाने से बाहर जाते हैं तो उनको जनरल डायरी में यह लिखना पड़ता है कि फलां-फलां जगह इस कार्य के लिये जा रहा हूं। अगर विरोधी दल यह समझता है कि इससे पुलिस वालों को ज्यादा अधिकार मिल गये तो मैं इसको यह समझता हूं कि उनके अधिकार कम किये जा रहे हैं। मैं इसको स्पष्टरूप से आप को बतलाना चाहता हूं अगर वह कोई जाल करते हैं तो मेरा विश्वास है अदालत में जा कर वह बनावटी चीज असली साबित नहीं हो सकती। जो कारण लिख कर वह खर्च के लिये जाते हैं वह काग़ज़ मैजिस्ट्रेट के पास जाता है। वहां उस कारण की अच्छी तरह से छानबीन होती है। अगर उसमें त्रुटियां मिलती हैं और अगर उसमें जाल मालूम होता है तो वकील अपने मुवक्किल को छुड़ा सकता है। यह कहना कि ऐसे अधिकार न दिये जायं तो यह बात सही न होगी। यदि किसी अधिनियम की धारा को हम बनाते हैं और उस धारा में कोई

दोष नहीं है बल्कि उसको आचरण में लाने वाले अधिकारी बेईमान हैं, उसका वह दुरुपयोग करेंगे इस डर से वह धारा न बनाई जाय इससे मैं सहमत नहीं हूं। अधिकार दिया जा रहा है इसलिये कि जहां आवश्यकता होगी वहां इसका प्रयोग किया जायगा। यह नहीं कि सूचना मिली और मैजिस्ट्रेट नजदीक है तो वहां भी बिला कारण दिये हुये सीधे जा कर सर्च ली जायगी, वहां अधिकारी को सूचना मैजिस्ट्रेट को देनी होगी। अगर मैजिस्ट्रेट दूर के फासले पर है वहां अधिकारी जा नहीं सकता तो वह वैसा कारण लिख देगा कि मैं पहुंच नहीं सकता, या पहुंचने पर विलंब होगा। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो धारायें बढ़ाई जा रही हैं इस अधिनियम में यह आवश्यक प्रतीत होता है और इसके साथ ही साथ हमारे इस प्रान्त में एक एक्साइज ऐक्ट मौजूद है जिसमें धारा ५३ इस प्रकार की है कि उसमें भी अगर कोई सब इंस्पेक्टर को यह सूचना मिलती है कि मैजिस्ट्रेट नजदीक नहीं है तो वह अपना कारण कागज पर लिख कर वहां पहुंचता है और सर्च लेता है। वह चीज मिलती है तो मुकदमा चलता है। यदि यह अधिनियम हमारे पास मौजूद है तो वही अधिकार हम इस धारा के द्वारा दे रहे हैं, इसमें कोई घबड़ाने की बात नहीं है। जहां तक दुरुपयोग का सवाल है हमको यह देखना है कि जो अधिकारी इस धारा के द्वारा कार्य करेंगे उनके ऊपर हम सुचारु रूप से कंट्रोल रख सकते हैं या नहीं, यह दूसरी बात है। वहां के जो बड़े अधिकारी हैं उनको चाहिये कि वह नीचे के अधिकारियों के काम की अच्छी तरह से देखभाल रक्खें और मेरा विश्वास है कि अगर ऐसा होगा तो इस धारा का दुरुपयोग कभी नहीं हो सकता। यह इस अधिनियम से अलग की बात है। वैसे इसमें कोई बात नहीं है। केवल डर की वजह से या किसी शंका की वजह से इस विधेयक का विरोध करना उचित नहीं मालूम होता। इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मुझे आशा है कि यह सदन इसको स्वीकार करेगा।

**श्री पद्मनाथ सिंह** (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, नशा निषेध का प्रश्न एक बहुत ही अहम सवाल है और उसको बन्द करने के लिये जो भी कानून या जो भी विधेयक लाया जाय उससे किसी को इन्कार नहीं हो सकता और न होना चाहिये। विरोधी दल के उपनेता ने यह कहा था कि केवल गजटेड आफिसर को ही यह अधिकार मिलना चाहिये कि सर्च वगैरा की जो भी कार्यवाही वह मुनासिब समझे करे। इस संबंध में मैं यह नम्र निवेदन करूंगा कि पुलिस का थानेदार दफा ३०२ और ३९६ इंडियन पैनल कोड के अनुसार भयंकर और भीषण अपराधों की तजरूब से वही इन्वेस्टीगेशन करता है और उसके नतीजे के आधार पर ही मुकदमे चला करते हैं। जब वह ऐसे भीषण अपराधों की छानबीन करता है तो इस नशा निषेध के अपराध तो मामूली अपराध होते हैं और इनके संबंध में यदि उसको कोई अधिकार मिलता है तो यह कोई भारी बात नहीं है। लेकिन इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में एक वाक्य आया हुआ है कि "अपराधों का सफलतापूर्वक पता चलाने के लिये यू० पी० ओपियम स्मोकिंग ऐक्ट में ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक प्रतीत होता है अतएव इस विधेयक में व्यवस्था की गयी है कि कलेक्टर, एक्साइज विभाग का कोई अधिकारी तथा पुलिस का कोई अधिकारी जिसका पद थाना इंचार्ज से निम्न न हो बिना वारन्ट के भी किसी स्थान में प्रवेश कर सकता है"। यह वाक्य आया है। जब हम इस वाक्य पर ध्यान देते हैं तो हम लेजिस्लेचर की हैसियत से ऐसे विधेयक के संबंध में विस्तृत दृष्टिकोण रखना पसन्द करेंगे। वास्तव में हमारे देश में नशे के सम्बन्ध में एक बड़ी ही भ्रान्ति फैली हुई है और प्रचार है तो नशे के संबंध में कानून भी है—एक नहीं, दो नहीं बल्कि बहुत से कानून हैं। एक्साइज के संबंध में जब कोई विधेयक यहां पर आता है और वह यहां से पास होकर कानून बनता है और उसमें किसी थानेदार को किसी घर में तलाश करने का अधिकार मिलता है तो उस समय न केवल हम लोग कानून के संबंध में विचार करते हैं बल्कि उसके उन उद्देश्य और कारणों पर विचार करते हैं जिन बातों को रोकने के लिये वह कानून बनाया जाता है। उसमें किसी भी सब-इन्सपेक्टर को कोई अधिकार दिया जाय इसमें किसी को एतराज नहीं हो सकता और न होना चाहिये, लेकिन

[श्री पद्मनाथ सिंह]

मैं नम्रतापूर्वक माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि लेजिस्लेचर को यह पूरा अधिकार है और होना भी चाहिये कि जब देश ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करे तो हमें पूरा अधिकार है कि उस प्रश्न पर अपना व्यापक दृष्टिकोण रखते हुये दृष्टि डालें। जो अदालतों में मुकदमा की पैरवी करते हैं उनको इस बात का अनुभव होगा कि एक्साइज के संबंध में जो मुकदमें वहां आते हैं जो अफीम के मुकदमें वहां पर आते हैं वह इस गन्दे तरीके पर चलाये जाते हैं कि अपराधी को उसमें बचने की कोई गुंजायश नहीं रहती है कोई भी डिफेन्स का स्कोप उसमें नहीं रहता है और उसको कुछ न कुछ सजा हो ही जाती है या कुछ न कुछ जुर्माना २,४,६, ८, १० रुपये उस पर हो ही जाता है। मेरा निजी अनुभव है और मेरा ख्याल यह है और दूसरे लोगों का भी इसका अनुभव होगा और यह परेशानी हमारे सामने भी आयी है तो उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। जैसा कि अभी हमारे एक मित्र ने बताया कि उनके एक साथी के साथ ऐसा हुआ तो जब इस सदन के सम्मुख इस विधेयक पर हम विचार कर रहे हैं जब हम पुलिस के एक दरोगा को अधिकार दिये जाने के कानूनी प्रश्न पर विचार कर रहे हैं तो उस समय उसके औचित्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। इस प्रकार के प्रश्न पर यह आवश्यकता नहीं होती है कि उनको कानूनी अधिकार दिया जाय बल्कि प्रश्न यह रहता है और आवश्यकता इस बात की है कि उसको कैसे बन्द किया जाय।

चीन के अन्दर बहुत अफीम पी जाती थी और सारा चीन अफीमची हो गया था लेकिन अब वहां पर उन्होंने उसको बन्द कर दिया है और चीन के अन्दर कोई भी अफीमची नहीं है। अब प्रश्न यह है कि क्या सब-इन्सपेक्टर को अधिकार देकर इसको रोका जा सकता है। मैं जानता हूं कि नेपाल से सैकड़ों मन गांजा इस देश में आया करता है और हमारे सभी प्रदेशों में इसका व्यापार होता रहता है और लोग पिया करते हैं। हम कोशिश तो बराबर करते हैं लेकिन मूलभूत सफलता नहीं मिलती है। आज इन दोनों ही सवालों को हमें हल करना है और वह तभी हल हो सकता है जब कि उसके मूल कारणों पर ध्यान दिया जाय।

मैं एक बात की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि मैं इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहा हूं। आप दरोगा को या सब-इन्सपेक्टर को कहीं पर जाने का अधिकार दे दें कि वह वहां जाकर कार्यवाही कर सकता है। उसकी कार्यवाही करने के बारे में हमको कोई एतराज नहीं है क्योंकि कानून ही ऐसा है और अभी हमारे मित्र श्री नौरंगलाल जी ने कहा कि अभी इस बारे में पूरा प्रचार नहीं है। जनता की क्या मर्जी है यह मालूम नहीं है। जनता के हित के लिये भी यह एक जरूरी चीज है।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जनता स्वयं लेजिस्लेटर्स पर विश्वास नहीं करती कि हमारी नियत इस मामले में साफ है कि हम जो कानून बना रहे हैं उस पर अमल हो और न जनता विश्वास करती है कि हमारे अफसर ईमानदारी से किसी कानून को या इस कानून को चलाते हैं। जनता का यह आरोप है कि हम और हमारे अफसर नशा निषेध की पालिसी में विश्वास ही नहीं रखते हैं। हम कह सकते हैं कि अनलेस एन्ड अनटिल वी आर इन्सपायर्ड बाई दि इन्टेशन.....हम कामयाब नहीं हो सकते और न सफलता ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिये उद्देश्य और कारणों में जो लिखा है कि पुलिस को यह अधिकार देकर हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में मैं कह सकता हूं कि जो उपस्थित धारा है वह पास भी हो जायगी लेकिन मैं नम्रता पूर्वक आपकी आज्ञा से दो तीन बातें करना चाहता हूं कि जिनको आपको करना पड़ेगा तभी सफलता मिल सकती है। पहली बात मुझे यह अर्ज करनी है कि हमें एक "एपीयरेन्स आफ गुड विल एन्ड आनेस्टी" दिखलाना होगा। यह एक साइकोलोजी की बात है और हमें इस मामले में जनता की ओपिनियन अपनी तरफ से साफ करनी होगी ताकि वह समझ सके कि हम अपने इरादों में साफ और मजबूत हैं वर्ना एक दो धाराओं के संशोधन से नशाबन्दी नहीं हो सकती और न कोई मारेल एफेक्ट ही क्रियेट हो सकेगा। दूसरी बात जो मुझे बहुत ही नम्रता-

पूर्वक कहनी है वह यह है कि नशा निषेध में सफलता प्राप्त करने के लिये केवल एक, दो, दस कानून पास करने से लाभ नहीं हो सकता और खास तौर से इस बीसवीं शताब्दि में तो हमारी कठिनाई और भी अधिक हो जाती है । ५–६ महीने पहले एक दूसरा क़ानून आया था, आज यह क़ानून आ गया और फिर दो चार महीने बाद और दूसरा कानून आ सकता है लेकिन इस तरीक़े से काम चलने वाला नहीं है । हमें एक कनसालिडेटेड विचार इस विषय में करना होगा और ईमानदारी से अपने इरादे पर हमें दृढ़ बनना होगा और तब जो कानून आये वह बीसवीं शताब्दि के अनुकूल आये और फिर उनका इम्पलीमेन्टेशन इस तरीक़े से हो कि जनता भी समझे कि अब के सरकार का इरादा वाक़ई नशानिषेध का है ।

तीसरी बात यह है और उसको भी मैं नम्रतापूर्वक ही कहना चाहता हूं कि इस बिल का समर्थन करते हुये भी मेरा यह विश्वास है कि इसके इम्पलीमेन्टेशन में यह दिक्क़त होगी कि सरकार के सब-इंस्पेक्टर कैसे भी हों और कैसे भी सरकार के आदमी हों वह गांव में जाकर कुछ न कुछ अपने अख़्तियार का मिसयूज़ कर सकते हैं और उससे जो परेशानियां पब्लिक को होती हैं उनसे बचाने के लिये भी कोई प्राविज़न इसमें जोड़ दें तो किसी क़िस्म की छीछालेदर का अवसर उनको न मिलेगा । इन सुझावों को उपस्थित करके मैं बहुत नम्रतापूर्वक इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

**श्री हनुमान प्रसाद मिश्र** (जिला सीतापुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी द्वारा जो विधेयक उपस्थित किया गया है उसमें जो विशेषकर पुलिस को अधिकार दिये जा रहे हैं उनका विरोध करता हूं । जैसा कि मेरे अन्य साथियों ने इस विधेयक के ऊपर अपनी राय रखी है, मैं उसकी अमली शक्ल देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि इस विधेयक के द्वारा पुलिस को जो अधिकार दिये जा रहे हैं उसका परिणाम यह होगा कि २५ फीसदी ऐसे वाक़यात हो सकते हैं जिन पर पुलिस सही तरीक़े से अमल करे, लेकिन ७५ फीसदी वाक़यात होंगे जिनमें आधे से ज्यादा पुलिस बनायेगी और ७५ फीसदी में आधे से रुपया पैसा लेकर छोड़ देगी और आधे बेगुनाह इसके ज़रिये से चालान किये जायंगे । उसकी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि उसका सम्हालना मुश्किल हो जायगा । मैं तो आपसे कहूंगा कि यह विधेयक जिस तरीक़े से रखा गया है अगर इसको आउट आफ डेट कहा जाय तो बेजा न होगा । अफीम पीने की आज तादाद कम हो रही है । हमारे ख्याल में पुलिस की रिपोर्ट और उसके आंकड़े के आधार पर जो ग़लत बनाये जाते हैं, यह मान लिया गया है कि इस सूबे में अफीम पीने वालों की तादाद बढ़ रही है । जब कि वाक़या यह है कि अफीम पीने वालों की तादाद कम हो गयी है । सीतापुर ज़िले में अफीम का व्यापार होता था । आज वहां एक भी आदमी अफीम पैदा करने वाला नहीं मिल सकता है । आपको मालूम हो कि आजकल पुलिस अफीम क्या गांजा और भंग के सैकड़ों केसेज़ बनाती है और बेगुनाह, भले आदमियों को, ग़रीब किसान और मज़दूरों को, पुलिस या पुलिस के दोस्त अहबाब जिनसे नाख़ुश होते हैं उनके यहां गांजा, भंग रखवा कर चालान करते कराते हैं । अभी पिछले हफ्ते में एक ग़रीब किसान का गलत चालान किया गया और उस पर ५० रुपया जुर्माना कराया गया । इस तरह से इस कानून द्वारा ग़रीबों की ग़रीबी बढ़ाई जा सकती है । मैं तो आपसे यह निवेदन करूंगा कि पुलिस को जो अधिकार दिये गये हैं, उतने ही अधिकारों पर काबू पाने की शक्ति जब इस सरकार में नहीं है तो न्याय मंत्री के लिये तो यह बहुत अनुचित सी बात होगी कि पुलिस को और अधिकार दिये जायं । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ़ आकर्षित करना चाहता हूं कि अमली शक्ल इस क़ानून की जब हम देहातों में देखते हैं तो बड़ी भयंकरता नज़र आती है । कुछ भाइयों ने कहा कि एक छोटा सा विधेयक यहां हाउस के सामने रखा गया और उसका भी लोग विरोध करते हैं । मैं समझता हूं कि जिन भाइयों ने इस चीज़ को रखा है वह खुद ही इसकी भयंकरता की शक्ल देहातों के अन्दर देख रहे होंगे । लेकिन न मालूम क्यों आज हमारी तरफ से जो कोई बात कही जाती है उसका वह इस तरीक़े से जवाब देते हैं । मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अफीम, गांजा, भांग, यह तो पुलिस के लिये आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, इसके अलावा असलहा तक रखकर जाली केस बनाकर के

[ श्री हनुमान प्रसाद मिश्र ]

आज जनता को त्रसित किया जाता है । अगर माननीय मंत्री महोदय, इसका हिसाब लगा लें कि कितने ऐसे केसेज हैं जो असली हैं और कितने केसेज ऐसे हैं जो जाली बनाये जाते हैं और दोनों के आंकड़े मिलने के बाद अगर उनकी (सच्चे) तादाद ज्यादा है तो ऐसा कानून बनाने में कोई हर्ज नहीं हो सकता । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज पुलिसका जैसा रवैया है वह हमसे छिपा नहीं है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पुलिस को अधिकार देने वाली धारा को अगर रखा जायगा तो सूबे के अन्दर ज्यादा जुर्म बढ़ेंगे, रिश्वत और घूस बढ़ेगी और बेगुनाह ग़रीब किसान मजदूर पीसा जायगा जिसकी आवाज़ कानून के ज़रिये, अदालत के ज़रिये और कानून के अलावा आपके पास नहीं आ सकेगी । और पैसे की कमी की वजह से अपनी कमज़ोरी और अविद्या के कारण वे न्याय नहीं प्राप्त कर सकेंगे । अगर आप इस धारा को हटाते नहीं हैं तो आपको उसके लिये कुछ उपाय करना पड़ेगा और उसके लिये दूसरी धारा भी होनी चाहिये । इसलिये मैं खास तौर से इस धारा का विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी से अध्यक्ष महोदय के द्वारा निवेदन करता हूं कि इस पर गम्भीरता के साथ विचार करें । छोटा कानून है लेकिन इसके द्वारा कितनी बड़ी तक़लीफ़ होगी इसका अनुमान भी लगाना जरूरी है

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सैयद अली ज़हीर---अध्यक्ष महोदय, जो क़ानून अब पेश किया गया है इसके ज़रिये से जैसा मैंने अपनी इब्तदाई तक़रीर में कहा था, कुछ अख़्तियारायत पुलिस को दिये जा रहे हैं कि जो इनको पहले से दूसरे क़ानूनों के मातहत हासिल हैं । जहां पर यह अधिकार लिखे हुये हैं वहां ले लीजिये, दफ़ा ५३ यू० पी० एक्साइज़ ऐक्ट, १९१० पहले से मौजूद है । उसमें यह अख़्तियारात पुलिस को मिले हुए हैं ।

"Whenever a Collector or an Officer of the Excise Department not below such rank as the State Government may prescribe or a police officer not below the rank of an officer in charge of a police station has reason to believe that an offence punishable under section so and so and so and so has been, is being or is likely to be committed in any place, and that a search-warrant cannot be obtained without affording the offender an opportunity of escape or of concealing evidence of the offence he may, at any time, by day or night, enter and search such place:

Provided that any officer other than a Collector taking action under this sub-section shall before entering such place record the grounds of his belief as aforesaid."

इसी का दूसरा हिस्सा है कि---

"The Collector or other Officer as aforesaid may seize anything found in such place which he has reason to be liable to confiscation under this Acts and may detain and search and if he thinks proper, arrest any person found in such place whom he has reason to believe to be guilty of such offence as aforesaid."

इस दफ़ा के पढ़ने से मालूम होगा कि इसमें जो अख़्तियारात पुलिस को दिये गए हैं वह उससे कहीं ज्यादा हैं जो मौजूदा ऐक्ट में दिए जा रहे हैं । मसलन इसमें इसका अख़्तियार है कि जिस वक्त सर्च करें तो उसके बाद जो शख्स वहां पर मिले उसको अरेस्ट भी कर सकता है और हिरासत में भी ले सकता है । तो यह अख़्तियार जो इसमें दिया गया है उसको हमने मौजूदा

ऐक्ट में पुलिस को नहीं दिया है। उसमें सिर्फ तलाशी का अख्तियार तो दिया गया है लेकिन अरेस्ट का अख्तियार जो पहले से दफ़ा में मौजूद है वह नहीं दिया गया है।

इसी तरह से ओपियम ऐक्ट जो गवर्नमेंट आफ इंडिया का है उसकी दफ़ा चौदहवीं आप देखें—

"Any Officer of any of the departments of Excise, Police, Customs, Salt, Opium or Revenue superior in rank to a peon or constable who may in right of his office be authorized by the Provincial Government in this behalf, and who has reason to believe, from personal knowledge or from information given by any persons and taken down in writing, that opium liable to confiscation under this Act is kept or concealed in any building, vessel or enclosed place, may between sunrise and sunset:

(*a*) enter into any such building, vessel or place;

(*b*) in case of resistance, break open any door and remove any other obstacle to such entry;

(*c*) seize such opium

Which he has reason to believe to be liable to confiscation under section 11 or any other law for the time being in force relating to opium; and

(*d*) detain and search, and, if he think proper, arrest, any person whom he has reason to believe to be guilty of any offecnce relating to such opium under this or any other law for the time being in force."

तो यह मैं अर्ज कर रहा था कि दोनों ऐक्ट इसी तरह के ऐक्ट हैं जैसे कि ओपियम स्मोकिंग ऐक्ट है। उसी तरह से ओपियम ऐक्ट में लिखा हुआ है कि पुलिस अफसर जो कि सबइंस-पेक्टर इंचार्ज की रैंक का हो उसको अख्तियार है कि जाकर के बगैर वारंट के सर्च कर सकता है बल्कि सर्च ही नहीं कर सकता हिरासत में भी ले स ता है। इन सब बातों के साथ-साथ यह ऐक्ट जो था इसमें दफ़ा १९ पहले से मौजूद है। दफ़ा १९ में मैजिस्ट्रेट को यह अख्तियार है कि वह पुलिस आफिसर के नाम या किसी एक्साइज आफिसर के नाम वारंट ईशू कर सकता है और उनको हुक्म दे सकता है—

"19. If a Magistrate, upon information received and atfer such enquiry (if any) as he considers necessary has reason to believe that any place is used for the commission of an offence under this Act, he may issue a warrant to an officer of the Excise Department not below such rank as the State Government may prescribe authorizing him—

(*a*) to enter such place by day or by night with any persons whose assistance such officer may consider necessary;

(*b*) to search all or parts of such place in which such officer has reason to believe that any prepared opium or any apparatus for the manufacture of prepared opium or for smoking prepared oupium is concealed and all or any persons whom he may find in such place;

(*c*) to arrest any person found in such place whom he has reason to believe to be guilty of an offence under this Act; and

(*d*) to seize all prepared opium, apparatus for smoking prepared opium or for the manufacture of prepared opium and any other article used for the commission of an offence under this act, which may be found in such place.

ये अख्तियारात पुलिस को पहले से मौजूद हैं। ऐसी हालत में मेरे ख्याल से इस क़िस्म की तक़रीरें जैसी कि अभी आखिरी तक़रीर हमारे विरोधी दल की तरफ़ से हुई कि जिसमें पुलिस को कहा गया कि उन पर एतमाद नहीं है, वह उनसे और ज्यादा बेजा फायदा उठायेंगे और लोगों के ऊपर जबरदस्ती करेंगे, यह किसी तरह से मुनासिब नहीं है। मालूम नहीं, आइन्दा क्या

[श्री सैयद अली जहीर]

जमाना होगा । जाहिर है कि हमेशा एक ही हुकूमत तो जहां जम्हूरियत का निजाम होता है वहां कायम नहीं रहती । क्या विरोधी दल का यह ख्याल है कि अगर वह हुकूमत बनायेंगे तो वह बगैर पुलिस के इंतजाम करेंगे ? या किसके जरिये करेंगे ? पता नहीं क्या उनका मंशा है । मखसूस पुलिस आफिसर जिनमें ऐसे भी हैं जो बुरे हैं और ऐसे भी हैं जो अच्छे हैं मगर पुलिस ऐज सच को ही बुरा कहना कि पुलिस ऐसी है, पुलिस ऐसा करेगी ठीक नहीं है, मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सी दुनिया के तहजीबयाफ्ता मुल्क में यह काम पुलिस के जरिये न लिया जाकर दूसरे से लिया जाता है । हां, कुछ मुल्क ऐसे है जहां खुफिया पुलिस है या बाज जगहों पर फौजें उनका काम करती हैं । लेकिन हमारे यहां जहां कि जम्हूरियत कायम है वहां तो पुलिस रहेगी । अच्छे बुरे अफसर जो कोई भी हों हमें उन्हीं से काम लेना है । उनमें जो बुरे हैं उनको दुरुस्त करना है । उनमें जो खराबियां हैं, उनको दूर करना है उनमें जो भी आदमी बुरे हैं, वह भी हमारे ही भाई हैं, हमारे ही घर से लोग वहां जाते हैं उनको हमें ठीक करना है । लेकिन पुलिस के लिये ऐसी बातें करने से सिवाय इसके कि हमारे काम में और दिक्कतें हों और कुछ नहीं हो सकता । इस तरह से मैं यह अर्ज करूंगा कि बिल के सिलसिले में जो आम लेक्चर दिया गया कि यह मद्य निषेध की पालिसी के मुताल्लिक दिया गया है यह बिल्कुल गलत है । मैं यह अर्ज करूंगा कि ओपियम स्मोकिंग का जो लफ्ज है तो गालिबन अपने मुल्क में इसके लिए कोई लफ्ज नहीं है । हम पीना चाहते हैं जो कि स्मोकिंग बिल्कुल दूसरी चीज है । ओपियम ऐसे भी इस्तेमाल होती है कि लोग उसको पानी में घोल कर पीते हैं । लेकिन हुक्के में या सिग्रेट में जिस तरह से लोग पीते हैं उसके लिये तो कोई लफ्ज हमारे मुल्क में मिलता नहीं । मैं इससे जो नतीजा निकालना चाहता हूं वह यह है कि यह तो और मुल्कों में यानी जो कि तहजीबयाफ्ता मुल्क हैं, जहां कि शराब और इस किस्म की चीजें अलानियां पी जाती हैं और उनका पीना बुरा नहीं समझा जाता, बल्कि उनकी तिजारत की जाती है और उनकी तिजारत को तरक्की दी जाती है उन मुल्कों में भी ओपियम का इस्तेमाल होता है यह बुरा समझा गया है । यह आदत इंसान की हालत को और तन्दुरुस्ती को गारत कर देती है और कभी किसी हालत में यह इन्सान के लिए मुफीद नहीं हो सकती । इसीलिए ओपियम ऐक्ट अलग से गवर्नमेंट आफ इंडिया का है और यू० पी० गवर्नमेंट ने भी अपना ओपियम ऐक्ट बनाया है ।

इसका कोई ताल्लुक किसी और नशे की चीज से नहीं है । यह तो खुद एक बुरी चीज है और इसको हमें रोकना ही है । उसमें किसी वजह से अभी तक इस किस्म की दफा नहीं थी इस वजह से हमने यह दफा बनायी है जो कि आज आपके सामने पेश है :

"Whenever the Collector or any officer of the Excise Department authorised in that behalf by the State Government, or a police officer not below the rank of an officer incharge of a police station has reasonable grounds for believing that an offence punishable under this Act has been or is being committed in any place and anything necessary for purposes of investigation into the offence may be found in any place within the limits of his territorial jurisdiction and that such a thing cannot, in his opinion, be otherwise obtained without undue delay, he may after recording in writing the ground of his belief search or cause a search to be made of any such place."

आप देखेंगे कि हमने इसमें यह जिक्र किया है कि अफसरान कब्ल इसके कि वह कहीं तलाशी लें वह वजूहात कि किस वजह से तलाशी लेने जा रहे हैं लिख दें क्योंकि ऐसा न हो कि वह किसी को हिरासत में लेने के लिये या किसी को परेशान करने के लिये किसी की तलाशी ले लें । उसके पास वजूहात होने चाहिये ।

इससे यकीनन कोई न कोई मजबूत वजूहात होंगे जिसकी बुनियाद पर वह इस अपने अख्तियार को इस्तेमाल करेगा। इसमें अरेस्ट के लिये कोई प्राविजन नहीं है। अगर उसकी जरूरत मालूम होती है तो उसके लिये पहले से ही दफा १९ मौजूद है। उसके मातहत वह मजिस्ट्रेट से वारन्ट हासिल करके पकड़ सकेगा। लेकिन इसमें अन्देशा यह है कि अगर किसी जगह पर कुछ लोग पी रहे हैं और इसका पता लग गया तो जब तक कि उसके लिये वारन्ट हासिल किया जायगा उतनी देर में वहां के सारे सबूत गायब कर दिये जायेंगे। इस किस्म की दिक्कतें महसूस हुईं और इस वजह से इसमें यह दफा शामिल की गयी है।

माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि जहां तक उनको इल्म है स्मोकिंग बहुत कम हो रही है, अफीम पीने वालों का शुमार बहुत घट रहा है। शायद गोरखपुर और गाजीपुर में इसके इस्तेमाल और काश्त में कमी हो गयी है। यह बिल्कुल सही है। बारबार गवर्नमेंट आफ इंडिया की कोशिश से इसका १/९ हिस्सा हर साल कम होता जा रहा है। सन् १९५९ में जैसा कि हमने खुद लिखा है अपने ऐक्ट में कि अफ़ीम का बिकना बिल्कुल खत्म हो जायगा। लेकिन ऐसी हालत में जहां इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है और जहां इसके असरात हैं वह जगहें हैं जहां हमने मद्य-निषेध जारी किया है वहां पर शराब वग़ैरह नहीं मिलती है वहां पर इसका इस्तेमाल बहैसियत पीने के हुक्के के जरिये या पानी में घोलकर और तरह-तरह से इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है वहां के लिये ही हमको इस बात की जरूरत महसूस हुई कि हम इस किस्म के कानून को लागू करें। मसलन कानपुर ऐसी जगह है जहां पर कि इतनी बड़ी तादाद है, मजदूर हैं और वहां पर नशाबन्दी का कानून रायज है वहां आमतौर से छोटे दरजे के लोग होते हैं और वहां पर ही इस किस्म की चीजें रायज होती हैं जिससे कि उनकी तन्दुरुस्ती को नुक़सान पहुंचता है और कानपुर खासतौर से एक ऐसी जगह है जहां पर हर मुहल्ले में बड़ी सख्ती के साथ इसकी रोकथाम करनी पड़ेगी गरज कि जहां-जहां कि नशेबन्दी है वहां पर इस किस्म के जो जरायम बढ़ रहे हैं उनकी रोकथाम के लिये हमको इसकी जरूरत होगी।

इसी सिलसिले में मैं चन्द एतराजात का और जवाब दे देना चाहता हूं जो कि बाज मेम्बरों की तरफ से हुये हैं। मसलन रामनारायण त्रिपाठी जी की तकरीर में यह था कि तलाशी के लिये जो गवाहों की जरूरत होगी वह गवाह करीब के होंगे या बाहर के, इसका इसमें कोई प्राविजन नहीं है।

मैं उनकी तवज्जह अपने क़ानून की दूसरी दफा की तरफ दिलाऊंगा। इसमें हमने जाब्ता फौजदारी की दफायें १०२ और १०३ को लागू किया है जिनमें यह है कि गवाह कैसे होंगे और वे आसपास के होने चाहियें और फ़ेहरिस्त वग़ैरह के बारे में।

यह भी कहा गया कि महज गजेटेड आफिसर को यह अख्त्यार देना चाहिये था जो इस कानून में दिये गये हैं यह काम उनको नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनके पास और बहुत से काम हैं। स्टेशन आफीसर इसे बखूबी कर सकता है।

इन वजूहात से मैं यह अर्ज करूंगा कि इस कानून में कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर किसी को एतराज होना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि सदन इसे मंजूर करेगा।

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ओपियम स्मोकिंग (संशोधन) विधेयक, १९५३, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

१९३४ का यू०पी० ऐक्ट संख्या ३ में नई धारा १९ (ए) का रखा जाना।

२—यू० पी० ओपियम स्मोकिंग ऐक्ट, १९३४ में (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) धारा १९ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा 19-A के रूप में रख दिया जाय:

Power to search.

"19 A—Whenever the Collector or any officer of the Excise Department authorised in that behalf by the State Government, or a police officer not below the rank of an officer incharge of a police station has reasonable grounds for believing that an offence punishable under this Act has been or is being committed in any place and anything necessary for purposes of investigation into the offence may be found in any place within the limits of his territorial jurisdiction and that such a thing cannot, in his opinion, be otherwise obtained without undue delay, he may after recording in writing the grounds of his belief search or cause a search to be made of any such place."

**राजा वीरेन्द्र शाह**—माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन रखना चाहता हूं कि खंड २ में प्रस्तावित नई धारा 19-A की पंक्ति ३ के शब्द officer के बाद शब्द "not below the rank of an officer in-charge of a police station" निकालकर उसके स्थान पर शब्द "not below the rank of a C. I. police." रख दिये जायं।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे इस संशोधन का अभिप्राय सभी मेम्बर समझते हैं। हमें इस बात का भय है कि स्टेशन आफीसर को यह अधिकार देने से इसका दुरुपयोग होगा। वे लोगों को अपने यहां दबाने के काम में यह कानून लावेंगे। उनका जो मंशा है कि इससे पीने वालों की आदत कम हो और फायदा हो, वह सर्किल इन्सपेक्टर कर देने से अधिक पूरा होगा। उसका हल्का बड़ा होता है और स्टेशन आफीसर उसे इत्तिला कर सकता है। सी० आई० किसी पार्टी के दबाव में नहीं आ सकता। मैं आशा करता हूं कि भवन हमारे इस संशोधन को स्वीकार करेगा।

**श्री वीरेन्द्रपति यादव** (जिला मैनपुरी)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। मैं यह समझता हूं कि एक एस० आई० और सी० आई० में अधिक अन्तर नहीं है। हम देखते हैं कि बहुत से सी० आई०, ऐस० एस० आई० ज० में से ही हैं और वे उनकी जगह ऐक्टिंग के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि आपको जरायम को रोकना है लेकिन आपके पास इतने अधिकारी नहीं हैं जो जरायम को रोक सकें। अगर सर्किल इन्सपेक्टर को यह अधिकार दे दिये जाते हैं तो अधिकांश जिलों में केवल दो या तीन सर्किल इंसपेक्टर ही रहते हैं अगर किसी जिले के एक कोने में जरायम होता है और सर्किल इन्सपेक्टर को उसकी इत्तिला दी जाती है कि अमुक गांव में जुर्म हो रहा है या अफीम रखी हुई है उसको पकड़ना मैं समझता हूं कि बड़ा कठिन हो जायगा।

मैं इतना कह देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी की बड़ी कृपा होती अगर वह आफिसर इंचार्ज के बजाय केवल सब इंसपेक्टर रख दें। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं क्योंकि जो जरायम सब इन्सपेक्टर द्वारा पकड़े जाने वाले होंगे वह भी नहीं पकड़े जा सकेंगे।

**श्री सैयद अली जहीर**—अध्यक्ष महोदय, मैं इस तरमीम को मंजूर नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने पहली तरमीम में अर्ज किया कि यह काम हमें पुलिस को देना है और जो

ऑफिसर रहे अगर वह कोई खराबी करता है या उसके खिलाफ कोई शिकायत होती है या वह गलती करता है तो जाहिर है कि उसको हमेशा सजा मिल सकती है और वह पकड़ा जा सकता है । लेकिन यह कहना कि सब-इन्सपेक्टर जो आफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन है वह ज्यादती करेगा या सर्किल इंसपेक्टर से ज्यादा इंसाफ मिलेगा या वह ज्यादा काबिल ऐतमाद होंगे, वह सही नहीं होगा । जैसा कहा गया है कि हर तरह के सब-इसपेक्टर्स होते हैं और हर तरह के सर्किल इन्सपेक्टर्स होते हैं । यह भी उसी तरह का काम है जैसे कि और जरायम होते हैं । उनको पकड़ने की जिम्मेदारी सब-इन्सपेक्टर की होती है उसी तरह इसकी भी जिम्मेदारी सब-इन्सपेक्टर के ही ऊपर डाली जाय जो इंचार्ज स्टेशन हो । यह तरमीम नाकाबिल अमल है । इसलिये जैसा ऐक्ट में है उसी तरह से रहना चाहिये ।

**राजा वीरेन्द्र शाह**—अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी का उत्तर सुना मुझे दुख है कि जिस मंशा से मैंने इस प्रस्ताव को रखा था उसको हमारे मंत्री जी ने नहीं समझा और हमारे माननीय सदस्य ने भी यही कहा कि सब-इन्सपेक्टर, पुलिस स्टेशन इंचार्ज और सर्किल इन्सपेक्टर सब एक ही हैं । यह तो मैं मानता हूं कि सब एक ही विभाग के हैं लेकिन सर्किल इन्सपेक्टर्स सुपीरियर आफिसर्स हैं और उनकी जिम्मेदारी अधिक होती है, इसलिये अगर वह जानेंगे कि उनके इस इलाके में किसी पार्टी से या किसी खास वजह से, या किसी दुश्मनी से कोई बात हुई है तो वह ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसकी वजह से कोई बेकसूर सताया जा सके । इन कारणों से मैंने यहां सर्किल इन्सपेक्टर रखा था जिसको न तो माननीय सदस्य ही समझ सकें और न माननीय मंत्री जी ही समझ सके । मैं अपने इस संशोधन पर इसलिये जोर दे रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य जो सरकार की पार्टी के हैं वह भी इस बात को मानते हैं कि इसका दुरुपयोग हो सकता है और हमारे कई मित्रों ने उदाहरण भी दिये हैं । फिर मुझे अफसोस है कि इस भवन के अन्दर इस बात को न माना जाय कि स्टेशन आफिसर द्वारा इसका दुरुपयोग होगा ।

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी पुनः इस पर विचार करेंगे और इस लाइट की बिना पर इसको देखेंगे कि उनकी पार्टी के लोग भी इसको मानते हैं । पुलिस में आज कल वातावरण है कि आतंक द्वारा या दबाव के द्वारा लोग अपने पुलिस स्टेशन पर काम करते हैं उसको देखते हुये हम यह समझते हैं कि स्टेशन आफिसर के रहने से पब्लिक को बड़ा नुकसान होगा और बड़ा दुख होगा । तो फिर आपके द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह हमारे संशोधन को स्वीकार कर लें ।

**श्री सैयद अली जहीर**—मुझे और कुछ ज्यादा नहीं कहना है । सिर्फ यह कहना है कि हमारे दो ऐक्ट हैं जिनका मैंने हवाला दिया है और इसी किस्म के अख्तियारात उनमें भी हैं उसमें भी अधिकार स्टेशन आफिसर को मिले हुये हैं उसी तरह से हम यह बना रहे हैं । एक कमी है जो इस ऐक्ट में रह गई थी उसको हम पूरा कर रहे हैं । इस लिये कोई वजह मालूम नहीं होती है कि इसमें क्यों सर्किल इन्सपेक्टर रखा जाय । लिहाजा इस तरमीम को मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं ।

**श्री अध्यक्ष**—(राजा वीरेन्द्र शाह से) क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ।

**राजा वीरेन्द्र शाह**—जी नहीं ।

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित नई धारा 19—A की पंक्ति ३ के शब्द "officer" के बाद शब्द "not below the rank of an officer incharge of a police station" निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "not below the rank of a C. I. police" रख दिये जायं ।

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—१८

विपक्ष में—१३७।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं कि:—

खंड २ में प्रस्तावित नई धारा 19—A की पंक्ति ८ में शब्द "and that" के बाद शब्द (such a thing.....any such place) निकाल कर उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं—

"Such a thing cannot in his opinion be otherwise obtained without affording the offender an opportunity of escape or of concealing or removing evidence of the offence he may after recording in writing the grounds of his belief as aforesaid may at any time before sunset enter or search or cause a search to be made of any such place."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ! माननीय न्याय मंत्री द्वारा धारा 19—A उस में मेरा संशोधन जुड़ जाने से वह धारा इस प्रकार हो जायगी।

"19 A—Whenever the Collector or any officer of the Excise Department authorised in that behalf by the State Government, or a police officer not below the rank of an officer incharge of a police station has reasonable grounds for believing that an offence punishable under this Act has been or is being committed in any place and anything necessary for purposes of investigation into the offence may be found in any place within the limits of his territorial jurisdiction and that such a thing can not in his opinion be otherwise obtained without affording the offender an opportunity of escape or of concealing or removing evidence of the offence he may after recording in writing the grounds of his belief as aforesaid may at any time before sunset enter or search or cause a search to be made of any such place."

सरकार ने विधेयक में केवल undue delay की बात कही है मैं यह मान सकता हूं कि सबूत को हटा देने की परिस्थिति में देर होने की वजह से आगे काम करने में दिक्कत पड़ सकती है जो सबूत पेश किये जाते हैं उन में गड़बड़ी की जा सकती है जैसा कि मैंने अपने संशोधन में निवेदन किया है दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि रात में तलाशी न हो। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इस बात को मान बैठे हैं कि जैसा कि उन्होंने कहा है कि हम लोग तमाम इक्जीक्यूटिव अफसरों और पुलिस अफसरों को बेईमान समझते हैं ऐसी बात नहीं है। अफसरों में सभी बेईमान नहीं है। मान लीजिये कि १०० में १०५ आदमी ऐसे हैं तब भी संभव है कि इसका गलत इस्तेमाल हो जाये। यह बात माननीय मंत्री की जानकारी में भी है न्याय और इस विधान सभा के माननीय सदस्यों की भी जानकारी में है कि अगर रात को पुलिस कोई शरारत करना चाहे तो बहुत आसानी से किसी के घर में अफीम रख सकती है। सूरज डूबने के बाद तलाशी न हो क्योंकि इस में ऐसी दिक्कतें पैदा होने की संभावना है। यह अफीम का मामला है। माननीय मंत्री जी को अपने तजुरबे के आधार पर नहीं हम लोगों के तजुरबे के आधार पर चलना चाहिये। इस तरह से पुलिस वाले कोई चालाकी नहीं कर सकेंगे। अफीम की जब आदत ही है तो एक दिन के बाद भी पकड़ी जा सकती है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि देरी हो जाने की वजह से उसमें कोई दिक्कत पैदा हो जाय। यह चोरी का मामला नहीं है।

मैं समझता हूं कि माननीय न्याय मंत्री इन अल्फाज को मान लेंगे जब कि उनकी मंशा का कतई इसमें विरोध नहीं है। इसलिये न्याय मंत्री जी को इस संशोधन को मान लेने में कोई आपत्ति न होगी।

**श्री सैयद अली जहीर**—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसको मान लेने में कोई एतराज न होता मगर मुश्किल यह है कि इस किस्म की जो बातें होती है और खासकर ओपियम स्मोकिंग तो रात में ही होती है, अगर रात में सर्च करने का अख्तियार उसमें न दिया गया तो इसके माने यह होते हैं कि उनको शायद कभी नहीं पकड़ा जा सकता है। क्योंकि वह दिन में तो पियेंगे नहीं और रात में पकड़े नहीं जा सकेंगे क्योंकि रात में सर्च किया नहीं जायेगा तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। जहां तक इसके अनड्यू डिले का ताल्लुक है तो हमने दफा १६५ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बिना पर अल्फाज को लिया है और उसके अल्फाज यह है कि अगर सर्च करने की जरूरत महसूस हो तो वह रात में भी हो सकती है। जाप्ता फौजदारी की दफा १६५ इस तरह है :—

165. (i) Whenever an officer incharge of a police station or a police Officer making an investigation has reasonable grounds for believing that anything necessary for the purposes of an investigation into any offence which he is authorised to investigate may be found in any place within the limits of the police-station of which he is in charge, or to which he is attached, and that such thing cannot in his opinion be otherwise obtained without undue delay, such officer may, after recording in writing the grounds of his belief and specifying in such writing, so far as possible, the thing for which search is to be made, search, or cause search to be made, for such thing in any place within the limits of such station.

तो इसलिये जो यह अनड्यू डिले के अल्फाज जो रक्खे गये हैं वह गैर मामूली नहीं हैं बल्कि दफा १६५ जाप्ता फौजदारी जो इस मुल्क में सन् १८९८ से रायज हैं, उसी से यह अल्फाज रक्खे गये हैं। दूसरी बात जो इसमें सनसेट की कही गई है, अगर आप तमाम कानूनों को देखेंगे जिनका आबजेक्ट ऐंड रीजन्स में हवाला दिया हुआ है तो आपको मालूम होगा कि उसमें भी यही है कि हर वक्त इसकी तलाशी हो सकती है। चाहे वह दिन का वक्त हो और चाहे वह रात का वक्त हो।

एक्साइज ऐक्ट की दफा है जिसका हवाला इसमें दिया हुआ है यह है दफा ५३। उसमें भी यही लिखा हुआ है कि सर्च किसी वक्त भी हो सकता है दफा ५३ में यह लफ्ज दिये हुये हैं कि "ही मे, ऐट ऐनी टाइम बाई डे आर नाइट, इन्टर ऐंड सर्च सच प्लेस।"

इस वजह से जो एतराज किये गये हैं और जो तरमीमें उसके जरिये से करनी मकसूद है मेरे ख्याल में वह कोई जरूरी नही है और जब तक जिस हालत में यह दफा रक्खी गयी है उस हालत में अगर यह मंजूर नहीं की गई तो उसका असली मकसद जो है वह फौत हो जायगा लिहाजा यह जो तरमीम रक्खी गई है मैं उसका विरोध करता हूं।

**श्री रामनारायण त्रिपाठी**—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने दो बातें कही हैं, एक तो रात के "अफीम पीने" की और दिन के पीने की। मुझे इस बात की खुशी है कि जिन लोगों के खिलाफ माननीय न्याय मंत्री कार्यवाही करने जा रहे हैं वह कम से कम दिन में नहीं पीते हैं बल्कि रात को पीते हैं।

तो जो इतना एहतियात बरतते हैं, रात में तलाशी न लेने से बच भी जायं तो उनसे तो अच्छे ही हैं जो कि और जगह बैठ कर रात दिन पिया करते हैं। रात का प्रावीजन हटा देने से फायदा जरूर हो जायगा और जो शरारत करने वाले हैं, पुलिस आफिसर न सही अगर वह ४,६ आदमियों को लेकर अपने साथ जाता है तो अगर उनकी नीयत न भी हो तो गांव वाले दुश्मनी

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

की वजह से हो सकता है कि कोई चीज उठा कर रात में रख दें। तो रात का प्राविजन रख देने से काफी दिक्कत होगी। और जो हमारा संशोधन है उसमें काफी तफसील के साथ बातें दी गयी हैं अनडयू डिले, यह तो एक गोल लफ्ज है। हमारे माननीय मंत्री जी खुद ही कहते हैं कि बहुत पुराना ऐक्ट है। तो पुराने ऐक्ट के लिये जमाना है कि जहां तक हो सके उसको विस्तृत किया जाय और उसमें तरमीम की जाय। पुराना लकीर का फकीर बनने से कोई फायदा नहीं है। इसलिये मैं मजबूर हूं कि उनकी सलाह मान कर मैं इसको वापस नहीं ले सकता।

श्री सैयद अली जहीर--मुझे और कुछ नहीं अर्ज करना है। जो एक दो बातें थीं मैंने पहले ही बतला दीं और मैं उसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित नई धारा 19-A की पंक्ति ८ में शब्द "and that" के बाद शब्द " such a thing.....any such place " निकाल कर उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं

"Such a thing cannot in his opinion be otherwise obtained without affording the offender an opportunity of escape or of concealing or removing evidence of the offence he may after recording in writing the grounds of his belief as aforesaid may at any time before sunset enter or search or cause a search to be made of any such place."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--संशोधन नं० ३ पर कोई संशोधन तो है नहीं। इसके विरोध में अगर कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकता है।

(कुछ देर पश्चात्)

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

| | |
|---|---|
| १९३४ का यू० पी० ऐक्ट संख्या ३ की धारा २० का संशोधन। | ३--मूल अधिनियम की धारा २० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय। |

"20—(1) The provisions of the Code of Criminal Procedure 1898, including provisions as to the searches contained in sections 102 and 103 therof, shall, as far as may be applicable, apply to the excution of warrants for arrest and to a search made under this Act.

(2) Where a search is made under ection 19 A, copies of any record made under that section shall forthwith be sent to the nearest Magistrate empowered to take cognizance of the offence and the owner or occupier of the place of search shall on application be furnished with a copy of the same by the Magistrate;

Provided that he shall pay for the same unless the Magistrate for some special reason thinks fit to furnish it free of cost."

श्री गणेश प्रसाद जायसवाल (जिला इलाहाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ३ में प्रस्तावित नई धारा २० की उपधारा (१) की पंक्ति ३ में शब्द "as far as may be applicable" के स्थान पर शब्द "in so far as not inconsistent with the provisions ot this Act." रख दिये जायं।

इसके बदलने से यह इस प्रकार हो जायगा:

"The provisions of the Code of the Criminal Procedure 1898, including provisions as to the searches contained in sectoins 102 and 103 thereof, shall, in so far as not inconsistent with the provisions of this Act, apply to the execution of warrants for arrest and to a search made under this Act."

उपाध्यक्ष महोदय, शुरू बहस में इस बात पर जोर दिया हमारे विरोधी भाइयों ने कि सब-इंसपेक्टर के हाथ में यह चीज नहीं जानी चाहिये और उस समय उनका यह ख्याल था कि इससे ऐसी ज्यादती या अन्याय होगा कि दरोगा जो जायेंगे वे गलत तरीके से कोई चीज रख कर उनको गिरफ्तार करवायेंगे या जिनके यहां तलाशी लेने जायेंगे उनको तंग करेंगे। इस सिलसिले में आपने यह रखा है जो १०२ और १०३ प्राविजंस हैं उनमें लिखा हुआ है कि कोई अधिकारी जब किसी के यहां तलाशी लेने जावे तो उसके लिये आवश्यक है कि वह वहां के जो इज्जतदार आदमियों को बुलावें और उनके सामने तलाशी लें। इसके साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि उस आदमी का वहां मौजूद होना जरूरी है जिसके यहां कि तलाशी होती है और अगर वह चाहे तो उसकी पूरी नकल मांग सकता है और उस पर दस्तखत होगा उस अधिकारी का जो कि तलाशी लेगा और उन गवाहों के जो कि वहां मौजूद रहेंगे।

तो ऐसी सूरत में उसमें जब यह शब्द "एज फार एज मे बी एप्लिकेबिल" हैं तो उसमें यह दिक्कत हो सकती है कि उसका अधिकारी फायदा उठा सकते हैं। जो अधिकारी वहां जा कर तलाशी लेगा वह कह देगा" "एप्लिकेबिल" नहीं था इसलिये हम अपने साथ कुछ आदमी लेते चले गये या बिना गवाहियों के साथ तलाशी ले ले और यह भी गुंजाइश हो सकती है कि बाहर से कोई चीज रख दी जाय। लेकिन अगर मेरे इस संशोधन को मंजूर कर लिया जाय तो फिर कोई फर्क नहीं रहता और कोई दिक्कत लोगों को पेश नहीं आयेगी।

जैसा त्रिपाठी जी ने रात वाली बात कही, उनकी रात वाली बात मेरे भी ध्यान में थी, तलाशी रात में ही होगी क्योंकि गुनाह इस तरह के रात में ज्यादा हुआ करते हैं। बचपन की बात मुझे याद आई। जहां मैं रहता था वहां एक मदकखाना था। मुझे निजी अनुभव है वहां रात के १२ बजे तक लोग मदक पीते थे। न खुद सोते थे और न दूसरों को सोने देते थे क्योंकि रात को ही इस तरह की चीजें होती हैं। इसलिये रात को तलाशी लेना जरूरी होगा। इसलिये इस संशोधन का मंजूर करना जरूरी है। इसमें ढील देने से ऐसा हो सकता है कि बेगुनाह आदमी फंस जाय। न्याय में बेगुनाह को नहीं फंसना चाहिये चाहे बेगुनाहगार छूट जाय, यह न्याय का एक मूल मंत्र है। मैं इन शब्दों के साथ प्रार्थना करता हूं कि माननीय मंत्री इसको स्वीकार करेंगे। मैं कोई शाब्दिक संशोधन नहीं पेश कर रहा हूं। उनके ध्यान में भी यह चीज अवश्य रही होगी।

दूसरी बात अफीम के बारे में कहना चाहता हूं। यह एक बड़ा खराब नशा है। इससे देश को बड़ा नुकसान हुआ है। माननीय न्याय मंत्री जी बता रहे थे कि १/९ हिस्सा वह बराबर खत्म करते जा रहे हैं और रिपोर्ट में बार बार यह आता है कि सरकार की पालिसी इसे खत्म करने की है। खत्म करने से पहले यह जरूरी है कि इसकी आदत छुड़ाई जाय। अगर एक दम से बन्द करेंगे तो गलत तरीके से चीजें आयेंगी और बिकेंगी। अन्त में मैं न्याय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस चीज को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

**श्री सैयद अली जहीर**--उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के सिलसिले में मुझ से रामनारायण जी से भी बातचीत हुई थी और उन्होंने भी इस किस्म के शकूक जाहिर किये थे। अगर यह अल्फाज इसमें रह जायेंगे जो पहले से छपे हुये हैं, "एज फार एज मे बी एप्लिकेबिल" तो मुमकिन है कि अमल करने के वक्त चन्द जरूरी बातें जिनकी अहमियत १०२ और १०३ जाब्ते फौजदारी में की गई है उनका लिहाज न किया जाय। लिहाजा मुझ पर उसका असर हुआ और चूंकि यह तरमीम मेरे एक दोस्त की तरफ से आई है लिहाजा मैं इसके मंजूर करने में कोई हर्ज नहीं समझता।

**श्री उपाध्यक्ष**--प्रश्न यह है कि खंड ३ में प्रस्तावित नई धारा २० की उपधारा (१) की पंक्ति ३ में शब्द " as far as may be applicable " के स्थान पर शब्द "in so far as not inconsistent with the porvisions of this act" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री रामनारायण त्रिपाठी**--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं।

खंड ३ में प्रस्तावित नई धारा २० की उपधारा (२) की पंक्ति ४ व ५ में शब्द "shall" के बाद शब्द "on application" और शब्द "same" के बाद शब्द "by the magistrate" निकाल दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश ओपियम स्मोकिंग (संशोधन) विधेयक, १९५३ के अन्दर धारा २० का (२) इस प्रकार से है।

(2) Whenever a search is made under section 19A, copies of any record made under that section shall forthwith be sent to the nearest Magistrate empowered to take cognizance of the offence and the owner or occupeir of the place of seacrh shall on application be furnished with a copy of the same by the Magistrate;

इस संशोधन के मुताबिक पांचवीं लाइन से ( on application ) निकाल दिया जायगा और उसी लाइन में (same) के बाद (by the Magistrate) निकाल दिया जाय तो फिर यह इस प्रकार से हो जायगा।

(2) "Whenever a search is made under section 19A, copies of any record made under that section shall forthwith be sent to the nearest Magistrate empowered to take cognizance of the offence and the owner or occupier of the place of search shall be furnished with a copy of the same;"

उपस्थित विधेयक में दो बात रखी गई है एक तो यह कि "दरख्वास्त देना पड़ा" और दूसरे यह कि मजिस्ट्रेट के यहां से उसको कापी मिले। इस संशोधन के स्वीकार होने पर यह जरूरी नहीं होगा कि वह अप्लीकेशन दे। हर हालत में यह मुनासिब होगा कि बिला अप्लीकेशन के उसको उसकी कापी दी जाय। जब उसको कापी मिलेगी तो उस हालत में बाई दि मजिस्ट्रेट के रखने का कोई मतलब नहीं रहता है। मुमकिन है कि वह नकल विभाग का मजिस्ट्रेट उससे ताल्लुक रखता हो या न रखता हो। इसलिये मैं यह समझता हूं कि उसके रखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी हालत में अभियुक्त को सहूलियत जरूर दी जानी चाहिये। अगर एक नकल उनको बिला अप्लीकेशन के दी जाय और जल्दी दी जाय तो इससे उनको बहुत सहूलियत होगी। आजकल का काम भी ज्यादा बढ़ गया है और मुकदमें भी काफी बढ़ गये हैं जिसके कारण लोगों को कापी मिलने में काफी देर होती है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि माननीय मंत्री रूल बनाते समय इसका ध्यान रक्खें और प्रावीजन कर दें तो वह कापी उसको जल्द से जल्द मिल जायगी चाहे वह अप्लीकेशन दे या न दे। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को कोई दिक्कत इसके मंजूर करने में नहीं होगी।

श्री सैयद अली जहीर—मैं यह अर्ज करूंगा कि गालिबन जो यह तजवीज पेश की गयी है वह गलतफहमी की वजह से है क्योंकि जहां तक "बाई दि मजिस्ट्रेट" का ताल्लुक है हमेशा दरख्वास्त मजिस्ट्रेट को दी जाती है किसी भी नक़ल के बारे में उनसे ही हुकुम मिलेगा। बिला हुकुम के नकल नहीं मिल सकती है। न मालूम किस कागज की नकल है मजिस्ट्रेट उसको क्या समझता है। तो बगैर उनकी इत्तिला के नकल मिलना मुनासिब नहीं है। इस तरमीम की सूरत में अगर कोई मजिस्ट्रेट किसी वजह से नकल देना नहीं चाहता है तो वह भी दी जा सकती है। लिहाजा यह जरूरी है कि कोई भी नकल प्रसाइडिंग आफिसर की इजाजत के बगैर न दी जाय और यही कायदा भी है।

जहां तक दूसरी तरमीम का ताल्लुक है। उसकी कीमत का सवाल तो नहीं उठाया गया है लेकिन उसके अलफाज यह है कि "The owner shall be furnished with a copy of the same."

"इसके मायने यह हैं कि चाहे वह मांगे या न मागें उसको नकल दी जायगी। मैं यह समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं है कि बगैर मांगे हुये उसको नकल दी जाय। एक बात और कही गयी कि देर होती है। बाज-बाज दफ्तरों से यह इत्तिला आयी है कि नकल मिलने में देर होती है। हम उसके लिये कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा टाइप राइटर वगैरा उनके लिये मुहैया कर रहे हैं ताकि जल्दी नकल मिलने का इन्तजाम हो जाय। दरख्वारत देने पर फौरन उनको नकल मिल जायगी और अगर वह इतना गरीब है कि पैसा नहीं दे सकता है तो मैजिस्ट्रेट को इतनी पावर है कि वह बिला कीमत लिये हुये उसको नकल देदे।

इन दोनों बातों का इंतजाम है और इसलिये मैं इस को मंजूर नहीं कर सकता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री वीरेंद्रपति यादव—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उनका एक दूसरे से संबंध है। यदि आप की आज्ञा हो तो दोनों को एक साथ ही ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—दोनों साथ ही उपस्थित कर सकते हैं।

श्री वीरेंद्रपति यादव—उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं:

"खंड ३ में प्रस्तावित नई धारा २० की उपधारा (२) की पंक्ति ५ में शब्द" "with a copy of the same" के पश्चात् तथा शब्द "by the magistrate" के पूर्व शब्द (free of cost) बढ़ा दिया जाय" और खंड ३ में प्रस्तावित नई धारा २० की उपधारा (२) की पंक्ति ५ तथा अंतिम पंक्ति में शब्द (by the magistrate) के पश्चात् शब्द "if he is in jail or custody" जोड़ दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि यह हो सकता है कि जिस के ऊपर सन्देह किया जा रहा है उसके घर में पुलिस अफसर तलाशी लेने के लिये जाय और उसे छोड़ दें या गिरफ्तार कर लें और उसको पुलिस कस्टडी में भी लिया जा सकता है और जेल में भी भेजा जा सकता है। मेरा संशोधन यह है कि जब अभियुक्त पुलिस कस्टडी या जेल में हो तो उसे कुछ सुविधा मिलनी चाहिये जिस तरह से कि और कानून में अभियुक्तों को दी जाती है। हो सकता है कि जिस के यहां अफीम निकले वह गरीब हो और देखने में आया है कि अधिकांश में इसके शिकार गरीब आदमी ही होते हैं शराब के लिये तो कहा जा सकता है कि बड़े बड़े आदमी और बीच के तबके के लोग पीते हैं लेकिन अफीम का नशा तो छोटे आदमी ही करते हैं। संभव है कि जब अभियुक्त जेल में हो तो उसके पास पैसा न हो कि वह मैजिस्ट्रेट के पास जा कर प्रार्थनापत्र दे सके। तो जिस तरह से कि और कानून में अभियुक्त के लिये सुविधा है कि अगर वह जेल में है और जमानत के लिये

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

प्रार्थनापत्र देता है तो टिकट उसे नहीं लगाना पड़ता और जिस तरह से अभियुक्त को जेल में रहते हुये सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत मैजिस्ट्रेट के निर्णय की कापी फ्री आफ कास्ट मिल जाती है। इसी तरह से मंत्री जी से मांग करूंगा कि जब अभियुक्त जेल में चला गया है तो ऐसे केसेज हो सकते हैं कि अभियुक्त के पास पैसा न हो और ऐसी हालत में अभियुक्त से प्रार्थनापत्रढ की फीस न लेना चाहिये। यही मेरा संशोधन है।

**श्री सैयद अली जहीर**—मुझे नहीं मालूम कि यादव जी को उन लोगों से क्यों हमदर्दी है कि जो लोग घर पर अफीम पिलाया करते हैं। जहां तक मैं समझता हूं वह लोग पैसे वाले होते हैं और गरीब नहीं हैं और उन के साथ यह हमदर्दी कि उनको नकल मुफ्त में दी जाय या उनको किसी तरह की रियायत दी जाय, इस की कोई जरूरत नहीं है। अगर वह जेल में हैं या पुलिस कस्टडी में हैं और उनको जवाबदेही के लिये किसी कागज की जरूरत है तो उसको नकल जेल में मुफ्त मिलेगी वह तो कानून में है ही। सी० आर० पी० सी० के मातहत जो कायदा है वह तो है ही और इसलिये अलग से यहां उसका इंतजाम करना गैरजरूरी मालूम होता है। जहां तक गरीब आदमियों का सवाल है वह तो अहतमाम कर दिया गया है उसमें पहले लिख दिया गया है कि अगर मजिस्ट्रेट खास वजह से जरूरत समझे तो उसे मुफ्त कापी दिलवा सकता है। लेकिन आम तौर पर हर शख्स, चाहे वह वर्षों या महीनों से यह जुर्म करता आया हो और वह इसका फायदा चाहे कि हम को कापी मुफ्त मिल जाय तो मेरे ख्याल में उसके साथ इस किस्म की किसी रियायत की जरूरत नहीं है।

**श्री वीरेंद्रपति यादव**—उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के अन्तर्गत यह प्रावीजन कर दिया गया है कि जो प्रतिलिपि कार्यवाही होगी वह पेमेंट के बाद दी जायगी। तो जब आपने उसमें दे दिया है कि पेमेंट के बाद प्रतिलिपि दी जायगी तो मैं समझता हूं कि वहां पर क्रिमिनल प्रोसीजर्स कोड लागू नहीं होगा। यहां पर यह आपका स्पेशल एनैक्टमेंट है जिसमें आपने प्रावीजन कर दिया है कि पेमेंट पर कापी दी जायगी तो मैं समझता हूं कि यहां पर इसका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये। अगर माननीय मंत्री जी इसकी आवश्यकता न समझें तो वापस ले लेता हूं। लेकिन मेरे विचार से इसका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये। क्योंकि वहां इसका इंटरप्रिटेशन यह लगाया जायगा कि चूंकि यह स्पेशल एनैक्टमेंट है, इसलिये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारायें इस पर लागू नहीं होंगी।

**श्री सैयद अली जहीर**—मैं इस संशोधन को मंजूर नहीं कर सकता।

**श्री वीरेंद्रपति यादव**—चूंकि माननीय मंत्री जी के ख्याल से यह बिलकुल आवश्यक नहीं है इसलिये उसे वापस लेना ही उचित मालूम पड़ता है।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिये गये)

**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन में थोड़ी सी त्रुटि रह गयी है। पहले वह ठीक कर ली जाय। जहां यह लिखा है कि पंक्ति ५ और ६ निकाल दी जायं वहां पर होना चाहिये कि पंक्ति "५, ६, ७ और ८" निकाल दी जायं।

**आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ में प्रस्तावित नई धारा २० की उपधारा (२) की पंक्ति ५, ६, ७ और ८ निकाल दी जायं और उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं**

"be furnished on the spot with a copy of the same by the officer conducting the search.

मैंने यह संशोधन इस कारण रखा है कि जिस आदमी के घर की तलाशी होती है उसको यह जानना चाहिये कि मेरे यहां से क्या चीज बरामद हुई और उसकी कापी लाजिमी तौर से उसी वक्त मिल जानी चाहिये। इसमें इसका अंदेशा नहीं रहता कि किसी तरह से सर्च लिस्ट में कुछ घटाया या बढ़ाया गया है। इसके लिये हमें इस पर नहीं मुनहसर रहना चाहिये कि वह प्रार्थनापत्र देकर मजिस्ट्रेट से कापी हासिल करे। बहुत से आदमी ऐसे हैं जिनको अदालत का अनुभव नहीं, जब फंस जातें हैं तो उनको यह भी पता नहीं चल पाता कि उनके विरुद्ध क्या हो रहा है और क्यों? ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन को पता नहीं रहता कि किस जुर्म में वे हवालात में बन्द कर दिये गये हैं। इस वजह से मैं समझता हूं कि सर्च लिस्ट की नक़ल को तो उसी वक्त लाजमी तौरसे उसको दे देना चाहिये जिसके घरकी तलाशी हो। सर्च विटनेसेज जैसे हमारे होते हैं उनको देखते हुये अक्सर इस बात का आक्षेप होता है कि यह सर्च लिस्ट में तरमीम हो गयी या फिर से बढ़ा दी गयी। इसकी गुंजाइश न रहे इस वजह से मैंने यह संशोधन पेश किया है और मैं आशा करता हूं कि यह मंजूर किया जायगा।

**श्री सैयद अली जहीर**—उपाध्यक्ष महोदय, जो इस तरमीम के मातहत ख्याल है उससे तो मुझे कोई विरोध नहीं करना है, लेकिन बात यह है कि पहले यह लिख दिया गया है कि पैराग्राफ२० (१) में कि क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड की दफा १०२ और १०३ जहां तक इस ऐक्ट से इनकास्टिंट नहीं है वह अप्लाई होगीं, यानी उन्हीं के मातहत सर्च ली जायगी और दफा १०३ में यह लिखा हुआ है कि

"Before making a search under this Chapter,the office or other person about to make it shall call upon two or more respectable inhabitants of the locality in whibh the place to be searched is situated to attend and witness the search and may issue an order in writing to them or any of them so to do.

(2) The search shall be made in their presence, and a list of all things seized in the course of such search and of the places in which they are respectively found shall be prepared by such officer or other person and signed by such witnesses; but no person witnessing a search under this section shall be required to attend the court as a withness of the search unless specially summoned by it.

और उसी के बाद में लिखा है

"When any person is searched under section 102, sub section (3), a list of all things taken possession of shall be prepared, and a copy thereof shall be delivered to such person at his request."

तो ये चीजें १०२ और १०३ में लिखी हुई हैं। इसलिये इसका हवाला दे दिया गया है कि इसमें जो सर्चेज होंगी वह क्रिमिनल कोड के मातहत समझी जायंगी और खुसूसन दफात १०२ और १०३ लागू होंगी।

जब यह लिख दिया गया है तो इस तरमीम की जरूरत महसूस नहीं होती और मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप इसको वापस ले लें।

**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी**—मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि यह सवाल हमेशा रह जाता है कि चूंकि रिक्वेस्ट नहीं की गयी उस अफसर ने जो सर्च ले रहा था सर्च लिस्ट नहीं दी इसलिये मैं समझता हूं कि यह मेंडेटरी हो जाय, तो जो आदमी अक्यूज्ड है उसके हित की रक्षा होगी। अगर इस संशोधनको स्वीकार नहीं किया जायगा तो कोई काम नहीं होगा। जहां तक मैजिस्ट्रेट के कापी देने का सवाल है कापीज डिपार्टमेंट से मिल सकती है। यह तो पब्लिक रिकार्ड है, जैसे औरों को मिलती है वैसे इसकी भी मिल सकती है। हमको तो अक्यूज्ड की रक्षा करनी है। इस वजह से कापी देना मेंडटरी हो जाना चाहिये ताकि यह कहने को न रहे कि

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

रिक्वेस्ट नहीं की इस वजह से कापी नहीं दी। इसलिये मैं समझता हूं कि इस तरमीम को जरूर मंजूर कर लिया जाय। अगर दूसरी कापी की जरूरत होगी तो फिर मजिस्ट्रेट के यहां जा करके ले सकता है।

**श्री सैयद अली जहीर**—उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह नहीं समझता कि यह सवाल बहुत ज्यादा उठेगा या इसका सबूत देना मुश्किल होगा कि आया मुल्जिम ने इसकी दरख्वास्त दी है या नहीं दी कि सर्च लिस्ट की कापी दी जाय। ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि वह एक तहरीरी दरख्वास्त दे देगा और यह अहतियात बरतेगा कि दरख्वास्त की नकल पर दस्तखत ले लेगा कि यह दरख्वास्त हमको मिल गयी। इस तरह से वह जिम्मेदार हो जाता है और यह सवाल दरपेश नहीं होता कि रिक्वेस्ट की गयी या नहीं की गयी। जिस तरह से यह ऐक्ट बना हुआ है उसको मंजूर करना चाहिये और उसमें जो यह अहतियात दफा १०२ और १०३ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड की गयी है वह इसीलिये की गयी है कि वह लागू होंगी।

जहां तक बड़े-बड़े जुर्म होते हैं और तलाशी होती है चोरी और डाके के मामले में तो उनमें भी दफा १०२ और १०३ का इतलाक़ होता है तो अफीम स्मोकिंग जैसे छोटे मामले में यह ख्याल कर लेना कि इस किस्म के सवालात उठेंगे मेरे ख्याल में यह सही नहीं मालूम होता। महज शक की बिना पर यह तरमीम रख दी गयी है। लिहाजा मैं इसको मंजूर करने के लिये तैयार नहीं हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**—क्या माननीय मंत्री सदस्य इस संशोधन को वापस लेते हैं।

**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी**—जी हां, मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से वापस लिया गया)

**श्री उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

## शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

---

### उत्तर प्रदेश ओपियम स्मोकिंग (संशोधन) विधेयक, १९५३

१९३४ का यू० पी० ऐक्ट संख्या ३।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० ओपियम स्मोकिंग ऐक्ट, १९३४ में संशोधन करने का

### विधेयक

१९३४ का यू० पी० ऐक्ट संख्या ३।

यहां पर आगे चल कर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त यू०पी० ओपियम स्मोकिंग ऐक्ट, १९३४ में संशोधन करना आवश्यक है: अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ओपियम स्मोकिंग (संशोधन) अधिनियम, १९५३ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त लागू होगा।

**श्री उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक का अंग मानें जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**श्री सैयद अली जहीर**--उपाध्यक्ष महोदय, मैं तजवीज करता हूं कि उत्तर प्रदेश ओपियम स्मोकिंग अमेंडमेंट बिल १९५३, जैसा कि वह संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

**श्री उपाध्यक्ष**--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ओपियम स्मोकिंग (संशोधन) विधेयक, १९५३ जैसा कि वह संशोधित हुआ है पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

## उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) विधेयक, १९५३

**अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)**--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) विधेयक सन् १९५३ पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, यह कंट्रोल आफ सप्लाइज अधिनियम हमारे प्रांत में सन् १९४७ से लागू है। सर्वप्रथम इस सदन ने सन् १९४७ में यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाइज बिल यहां पर पास किया था जिसके द्वारा बहुत सी आवश्यकता की वस्तुओंपर कंट्रोल लगाया गया था। वास्तव में यू० पी० का यह अधिनियम सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से एसेंशियल सप्लाइज ऐक्ट जो पास किया गया है यह उसका पूरक है। मुख्य कानून तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है लेकिन चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नियंत्रण किया उसको लागू करने के लिये उसमें बहुत सी कानूनी कमियां छोड़ दी थीं, इसलिये वितरण और जहां तक कि इस प्रांत के अन्दर व्यवस्था करने का प्रश्न था उसकी व्यवस्था करना हमारी प्रान्तीय सरकार का कर्तव्य है। इसलिये सन् १९४७ में सर्वप्रथम यह विधेयक वहां पर आया और सदन के द्वारा पास किया गया। समय-समय पर इस अधिनियम की अवधि इस सदन के द्वारा बढ़ाई जाती रही है। सबसे पहले तो यह यहां पर ३० सितम्बर सन् १९४७ तक था लेकिन जो मूल अधिनियम था, मूल अधिनियम की धारा १, उपधारा ४ के अनुसार प्रान्तीय सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि विधेयक समाप्त होने पर यदि वह उचित समझे तो इसकी अवधि को बढ़ा सकती है। सन् ४७ में प्रांतीय सरकार ने एक विज्ञप्ति द्वारा इसकी अवधि को ३० सितम्बर सन् ४८ तक बढ़ा दिया और फिर इसी दौरान में २५ सितम्बर सन् १९४८ को प्रांतीय सरकार ने एक आर्डिनेंस के द्वारा इसकी अवधि को बढ़ाया फिर १५ अक्टूबर सन् १९४८ को यहां संशोधक विधेयक के द्वारा इसकी अवधि को ३० सितम्बर सन् १९५० तक के लिये बढ़ा दिया गया। पुनः सन् १९५० में इसकी अवधि को बढ़ाया गया। अब उस अधिनियम की अवधि ३० सितम्बर सन् १९५३ को खत्म होने जा रही है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि एसेंशियल सप्लाइज ऐक्ट केन्द्रीय सरकारका कानून है और वह २५ जनवरी सन् १९५५ तक अमल में रहेगा इसलिये इस विधेयक के द्वारा इसकी अवधि भी २५ जनवरी सन् १९५५ तक बढ़ाने की आज्ञा सदन के द्वारा मांगी जा रही है। तो पहले जितने भी संशोधन विधेयक आते थे उनके द्वारा तो केवल इसकी अवधि बढायी जाती थी लेकिन जिस रूप में यह विधेयक सदन के सामने, प्रस्तुत है उसमें कुछ कानूनी अड़चनें आ जाने की वजह से इसके स्वरूप को कुछ बदल दिया गया है। सन् १९५१ ई० में हमारे प्रांत की हाई कोर्ट ने इस बात का फैसला किया कि धारा १ की उपधारा ४ के अनुसार प्रान्त की सरकार ने जो इस अधिनियम की अवधि बढ़ायी वह एक आबलीगेटरी लेजिस्लेशन है जिसका अधिकार प्रान्तीय सरकार को नहीं है और अल्ट्रा वायर्स करार दे दिया। उसके बाद में हाई कोर्ट का यह भी मत हुआ कि बाद में जितने भी संशोधन विधेयक आये या आर्डिनेंस पास हुये, क्योंकि यहां पर कोई ऐक्ट ही नहीं था, इसलिये उनका एक्सटेंशन कैसे हो सकता था। इस संबंध में भिन्न-भिन्न मत हैं। हमारे कानूनदाओं का यह मत है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है दूसरे फैसलों के अन्दर कि प्रान्तीय सरकार के अन्दर प्रान्तीय सरकार को अवधि बढ़ाने का अधिकार है और इस प्रकार से पावर्स डेलीगेट की जा सकती हैं लेकिन चूंकि यह प्रश्न अभी तक हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट की पूरी बेंच के द्वारा निश्चित हो नहीं पाया है और आजकल हमारी जितनी सबार्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके सामने एक

[श्री बनारसी दास]

कंट्रोवर्सी है, उनके सामने एक कठिनाई है इसलिये इस कठिनाई को दूर करने के लिये सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा मामला तय होगा लेकिन इससे पहले कुछ दिक्कतें पैदा होती हैं, इसलिये इस अधिनियम के द्वारा जो मूल अधिनियम सन् १९४७ ई० का है उसको फिर से यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिये इसकी धारा के द्वारा उसमें कहा गया है कि इसको भी हम इनैक्ट करते हैं और वास्तव में सन् १९४७ ई० का जो अधिनियम है और जो विधेयक उस समय प्रस्तुत है उसमें कोई अन्तर नहीं है। इस दौरान में काफी परिस्थिति बदल गई है और नियंत्रण काफी वस्तुओं से हट गया है। शुरू में यहां पर जो अनुसूची उन वस्तुओं की जिनपर कि नियंत्रण था उसमें १५ कमोडिटीज थीं। सन् ५० के अन्दर उस अनुसूची के अन्दर दो और कमोडिटीज शामिल कर दी गयीं। उसके साथ ही सन् १९५०-५१ के अन्दर पांच कमोडिटीज को उसमेंसे निकाल दिया गया लेकिन चूंकि एसेंशियल सप्लाइज ऐक्ट केन्द्रीय सरकार का कानून है, सीमेंट पर केन्द्रीय सरकार का आज भी नियंत्रण, है, आइरन स्टील पर आज भी उनका नियंत्रण है, तो इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि हम भी जो हमारी केन्द्रीय सरकार के नियम हैं, अधिनियम हैं हम उनकी पूर्ति करें। इसलिये कि जो कानून केन्द्रीय सरकार के हैं वह तो तमाम देश के लिये सीमेंट के बटवारे का प्रबन्ध करते हैं लेकिन हमारे प्रान्त के अन्दर वितरण की व्यवस्था हो, उसकी कीमत के ऊपर हम किस प्रकार से नियंत्रण, करें, यह केंद्रीय कानून के अन्दर नहीं है, इसलिये उसकी पूर्ति करने के लिये यह विधेयक इस सदन के सामने उपस्थित है। इसी प्रकार से जंगल की लकड़ियों का प्रश्न है। आज इस बात के कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे प्रांत में लकड़ी का उत्पादन बहुत कम होता जा रहा है और मांग बराबर बढ़ती चली जा रही है। लकड़ी की मांग हमारे देश में बराबर है और उत्पादन हमारे देश के अन्दर कम है। हमारे प्रदेश के ४५ नगरों में आज नियंत्रण से लकड़ी सप्लाई की जाती है जिसका आज असर यह हुआ है कि लकड़ी के दाम ज्यादा नहीं बढ़ पाये हैं। रिटेल के अन्दर ही लकड़ी मिलती है और फ्री मार्केट में जो लकड़ी मिलती है उनके भाव के अन्दर कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। ४५ नगरों में हमारा नियंत्रण है और इन तीन चार सालों में जो हमने अनुभव किया है उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आज भी जो नियंत्रित लकड़ी उन नगरों में दी जाती है वह करीब-करीब ४० प्रतिशत से अधिक होती है फिर नियंत्रित लकड़ी के अलावा दूसरी लकड़ी पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है। आज हमारे प्रान्त के अन्दर कोल्हू है, व्यायलिंग पैन्स है उनके किराये के ऊपर नियंत्रण है जिससे कोल्हू और व्यायलिंग पैन्स के मालिक किसानों से ज्यादा दाम और किराया वसूल न कर पायें। इसलिये इसके ऊपर भी नियंत्रण आवश्यक था फिर कुछ चीजें, जैसे ईंट, दियासलाई इत्यादि, भी उस अनुसूची के अन्दर हैं जिन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। लेकिन सन् १९५१ में जब ईंटों से नियंत्रण हटाया गया था हम यह आशा करते थे कि ईंटों की मांग और सप्लाई दोनों में संतुलन होगा और उनका भाव नही बढ़ेगा। लेकिन नियंत्रण हटने के बाद ईंटों के दाम बराबर बढ़ते चले गये। कोयले की कमी होती चली जा रही है क्योंकि हमारे प्रान्त का कोटा काफी कम हो गया है। इसलिये आवश्यक हो गया है कि यदि आवश्यकता पड़े तो ईंटों पर भी नियंत्रण किया जाय। आयरन और स्टील में काफी चीजों पर से अभी तक कंट्रोल हटा दिया गया है। गत साल हमको लगभग ८ हजार टन जी० सी० शीट्स मिली थीं लेकिन इस साल ३० जून तक हमें लगभग ४ हजार टन शीट्स ही मिली हैं। इससे हमें इस साल भी ८ हजार टन से ज्यादा शीट्स मिलने की आशा नहीं है। यदि हम यह भी मान लें कि पारसाल के बराबर हमारे प्रान्त की आवश्यकता है तो भी इस वर्ष ५० प्रतिशत से अधिक हमको नहीं मिलेगी। इसलिये जी० सी० शीट्स को उचित मूल्य पर देने के लिये इस अधिनियम की आवश्यकता है जिसे मैं विचारार्थ पेश कर रहा हूं।

**श्री नारायण दत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने माननीय सभासचिव महोदय ने यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पो-

रेरी पावर्स) विधेयक, १९५३, रखा जिसके द्वारा उन्होंने प्रस्ताव किया है कि एक ऐसे अधिनियम को फिर रिइनेक्ट किया जाय जो कि सन् ४७ से लागू है। उन्होंने यह भी बतलाया कि हाई कोर्ट की एक व्यवस्था के कारण, जो कि सन् १९५१ में हुई थी, सन् १९५१ में जोड़े देता हूं, उसके कारण कानूनी अड़चनों की वजह से हमें इस विधेयक को नया स्वरूप देना पड़ा। क्या मैं आपकी आज्ञा से उनसे पूछ सकता हूं कि जब पिछले साल २ सितम्बर, १९५२ के दिन, आज से क़रीब ११ महीने पहले, उन्होंने इसी अधिनियम को १ साल के लिये हमसे बढ़वाया था और उसमें माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन को २ साल से १ साल वाले को माना था, उस समय क्या उन्हें हाई कोर्ट की व्यवस्था का कोई ज्ञान नहीं था क्योंकि फैसला हाई कोर्ट ने सन् १९५१ में दिया था और सन् ५२ में आपने उसकी अवहेलना की जब कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला नहीं हुआ। सन् १९५३ में माननीय मंत्री जी के कहने के अनुसार, उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है। तब आप कानूनी मसले को ठीक करने जा रहे हैं।

**श्री बनारसी दास**--आपके समझने में अन्तर है।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**--मैं डिप्टी लीगल रिमेंम्ब्रेंसर साहब से इस बारे में खास तौर से मिला और उन्होंने भी मुझे यही बतलाया है। इसके बाद श्रीमन् एक और आश्चर्य की बात इसमें है। कानूनी या ड्राफ्टिंग की गल्ती इसमें है या नहीं यह तो मैंने आपके सामने रख दिया है। इसकी धारा १६ शिडयूल की तरफ में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिससे रिपील किया गया है--

"The United Provinces Control of Supplies (Temporary Powers) Ordinance, 1946 (U.P. Ordinance II of 1946) is hereby repealed."

श्रीमन् इसके हम क्या अर्थ लगायें कि सन् ४६ का आर्डिनेंस और १९४७ का ऐक्ट दोनों साथ साथ चल रहे थे या यह सदन लगातार इस ऐक्ट को अमेंड करता चला जा रहा था, इसकी अवधि बढ़ती चली जा रही थी। फिर भी आर्डीनेंस काम कर रहा था। यह क्या चमत्कार है श्रीमन्, कि दोनों चीजें साथ साथ चल रही थीं सन् १९५३ ई० तक। इस प्रकार की यह द्वैतवृत्ति क्यों है? माननीय मंत्री जरा इसको स्पष्ट करने की कृपा करें कि दोनों एक साथ कैसे चलें। खास तौर से जब कि भारतीय विधान को हमने स्वीकार कर लिया था तो छः हफ्ते बाद यह आर्डीनेंस चलना नहीं चाहिये था तो यह अब रिपील कैसे हो रहा है। अगर इसको रखने की आवश्यकता थी तो यह आज रिपील कैसे हो रहा है। कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि विधेयक को आप रिइनऐक्ट करें। यह क्या बात है। मैं यह दो कानूनी अड़चनें सदन के समने रखता हूं।

साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि हमें एसेंशियल सप्लाईज ऐक्ट के अनुसार उसकी पूर्ति करने के लिये यह विधेयक रिइनऐक्ट करना पड़ रहा है। अगर हम इस विधेयक के शीर्षक को देखेंगे तो वह यह है कि--

"The U.P. Control of Supplies (Temporary Powers) Bill, 1953."

इसमें कभी नहीं है कि एसेंशियल सप्लाईज ऐक्ट की आप पूर्ति कर रहे हैं और विधेयक के उद्देश्य में भी नहीं है और न इसका उद्देश्य रहा है। यह हो सकता है कि कनैक्टेड जूरिस्डिक्शन में इसको माना जा सके जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमें अगर कंट्रोल की आवश्यकता पड़ी तो उसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि एसेंशल सप्लाईज ऐक्ट में अख्तियारात हैं वह प्रान्तीय सरकार को डेलीगेट किये जा सकते हैं। क्या यह सही नहीं है। सीमेंट पर आल इंडिया कंट्रोल है उसके पूरे-पूरे अधिकार

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

भारतीय सरकार से प्रान्तीय सरकार को डेलीगेट हो सकते हैं। क्या यह सही नहीं है कि इस प्रकार के अधिकार बहुत हैं जो कि सरकार ने दिये हैं। अब गन्ने की कीमत का प्रश्न है। इसकी कीमत इसी एसेंशिल सप्लाईज ऐक्ट के अनुसार मुकर्रर होती है। इसमें कोई आर्डिनेंस या विधेयक नहीं है। मैं समझता हूं कि श्रीमन्, कि इसके रिइनऐक्ट करने की कोई गुंजायश नहीं है। प्रान्तीय सरकार जिस वस्तु में कंट्रोल करना चाहती है एसेंशल सप्लाइज ऐक्ट के अनुसार वह अधिकार प्राप्त कर सकती है जैसे कि बहुत सी वस्तुओं के बारे में इसको अधिकार मिले हुये हैं। इसलिये अगर मंत्री जी इजाजत दें तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वस्तु स्थिति तो यह है कि इस विधेयक के रिइनऐक्टमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि एसेंशल सप्लाईज ऐक्ट के अनुसार आपको अधिकार मिल सकते हैं। मैं आपका ध्यान शिड्यूल की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें सीमेंट के अलावा और भी कई वस्तुओं का जिक्र है जैसे नान फारेस्ट मैटल्स, ब्रास ऐंड कापर यूटेंसिल्स, एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, मैंचेज, ब्रिक्स, फारेस्ट प्रोडयूस, कोल्हू कैटिल और नान एडीबिल आइल सीड्स और आइल्स आदि-आदि। इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान रखने योग्य है कि दियासलाई में कोई कंट्रोल नहीं है। मैंने जुगलकिशोर इन्क्वायरी कमेटी में देखा कि मैंचेज नो कंट्रोल और स्वयं मंत्री जी ने बतलाया कि कोई कंट्रोल नहीं है। यानी सन् १९५० से अब तक कोई कंट्रोल नहीं हुआ। तो खाली मैंचेज को शिड्यूल में रखने की क्या आवश्यकता है? साथ ही साथ नान-फ़ेरस मैटिल्स, ब्रास ऐंड कापर यूटेंसिल्स, एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, कैटिल्स, नानइंडेबिल आयल सीड्स ऐंड आयल्स को आपने उसमें नहीं रखा है तो फिर शिड्यूल में रखने की क्या आवश्यकता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि या तो वह इस विधेयक को वापस ले लें नहीं तो कम से कम इन पांच-छः आइटम्स को तो बिल्कुल शेड्यूल से निकाल दें जिन पर सन् ५० से कोई कंट्रोल किया नहीं है और जिनके बारे में उनका खुद भी कहना है कि उन पर कंट्रोल करने की कोई सम्भावना भी नहीं है। और अगर कोई संभावना होगी तो एसेंशल सप्लाइज ऐक्ट के अनुसार अधिकार आपको मिल सकता है। इसलिये मैं नहीं समझता हूं कि इन विषयों को रखने की आवश्यकता ही क्या है। अगर यह चीजें सरकार निकाल देती है तो फिर दो तीन चीजें ही शीड्यूल में रह जाती हैं। सीमेंट, ब्रिक्स, कोल्हू और फ़ारेस्ट प्रोडयूस। लेकिन फ़ारेस्ट प्रोडयूस का सम्बन्ध तो सिविल सप्लाइज विभाग से कुछ है नहीं। जुगुल किशोर इन्क्यायरी कमेटी में लिखा है कि इसका सम्बन्ध फ़ारेस्ट डिपार्टमेंट से है। यह हो सकता है कि क़ीमत पर आप तय करते हैं। इसकी निन्दा तो पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट में की गई है कि फारेस्ट डिपार्टमेंट की चीज की कीमत सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट करता है। बजट पर वादविवाद के समय मैंने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया था और माननीय मंत्री जी ने क़रीब-क़रीब इस बात को स्वीकार किया था कि यह व्यवस्था ग़लत है। तो फारेस्ट प्रोडयूस से सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट का कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये। अगर कंट्रोल की आवश्यकता है, जैसी कि है, तो वह कंट्रोल वन विभाग को रखना चाहिये। तो अब आयरन, स्टील और सीमेंट के सम्बन्ध में केवल इस विधेयक के शेड्यूल की आवश्यकता रह जाती है।

जहां तक ईंटों का सवाल है, माननीय बनारसी दास जी ने आज फिर वही शब्द दोहरा दिये जो आज से ग्यारह महीने पहले उन्होंने कहे थे। मैं जरा उनके उन शब्दों को पढ़ देना चाहता हूं :

> "आज कल ईंटों का भाव भी बहुत बढ़ रहा है और इस प्रकार का प्रश्न बराबर सामने आता रहता है कि जब सरकार उचित मूल्य पर उनको कोयला देती है तो उन्हें ईंटें उचित मूल्य पर बेचनी चाहिये। अगर ऐसा ही रहा तो किसी भी समय ईंटों के वितरण और उसकी कीमत पर नियंत्रण किया जायगा।"

ग्यारह महीने बीत गये, उनके शब्द, जो मैं समझता हूं कि बहुत वजन रखते हैं, गूंजते ही रह गये और कार्यवाही कोई नहीं हुई और ११ महीने बाद माननीय बनारसीदास जी ने वही शब्द ईंटों के बारे में कह दिये कि भाव बढ़ता जा रहा है। अगर नियंत्रण लगने वाला है तो लगाइये और नहीं लगने वाला है तो बार बार उसी चीज को दोहराना मैं समझता हूं कि न तो माननीय बनारसी दास जी को शोभा देता है, न माननीय मंत्री जी को शोभा देता है और न सदन को इससे कोई फायदा होता है। अगर ईंटों के दाम बढ़ रहे हैं और कोयला आप उनको दे रहे हैं तो सीधी सी बात है कि रेग्युलेट कीजिये और ईंटों के भट्ठों के बारे में शिकायतें हैं भी बहुत। कालोनाइजेशन डिपार्टमेंट के ईंटों के भट्ठों के बारे में मैंने स्वयं लिख कर शिकायतें भेजी थीं। तो ईंटों का जहां तक सवाल है यह प्रश्न हमारे सामने है।

अब रही सीमेंट की बात। मैं नहीं कह सकता लेकिन माननीय मंत्री जी अवश्य जानते होंगे कि मिर्जापुर की सीमेंट फैक्टरी कब तक तैयार हो जायगी। इस सम्बन्ध में माननीय उद्योग मंत्री ने पिछली मर्तबा यह कहा था कि मिर्जापुर सीमेंट फैक्टरी बनने ही वाली है, ज्यादा देर नहीं है, बाहर से सामान मंगाने में देर लग ही जाती है लेकिन अभी तक मैं नहीं समझ पाया कि सीमेंट का उत्पादन कम होगा। मैं यह भी नहीं जानता कि उन्होंने कोई आज्ञा सीमेंट के कोटे के बारे में दी है। सीमेंट का कोटा क्या है, उसके वितरण की तरकीब क्या है उसकी स्थिति क्या है, इन सबके बारे में मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी स्थिति स्पष्ट कर दें। क्योंकि इस सीमेंट के मिलने में विशेष रूप से देहाती जनता को बहुत कष्ट होता है और मैं समझता हूं कि वह माननीय मंत्री से भी छिपा नहीं है। जहां तक आयरन और स्टील का सम्बन्ध है माननीय सभा सचिव ने यह स्वीकार किया है कि पिछले साल हमें ८ हजार टन शीट्स मिली थीं लेकिन इस साल केवल अभी तक ४ हजार टन ही मिल पायी हैं।

**श्री बनारसी दास**—आप गलत कोट कर रहे हैं। पिछले वर्ष १६ हजार टन मिली थी और अब ६ महीने में ४ हजार टन मिली है।

**श्री नारायण दत्त तिवारी**—ठीक है इससे तो मेरा केस और भी बन जाता है। मैं अपने को ठीक किये लेता हूं। पिछले साल हमें १६ हजार टन शीट्स मिली थीं और इस साल इस समय तक केवल ४ हजार टन ही मिली है और बाकी साल में ८ हजार टन से ज्यादा मिलने की आशा नहीं है यानी पिछले साल से आधी मिलेगी। श्रीमान्, यह बड़े दुःख की बात है कि एक ओर तो हमें पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में यह बताया जाता है हमारा आयरन और स्टील का प्रोडक्शन बढ़ गया है, जितना पहले कभी नहीं था लेकिन दूसरी ओर हमारे प्रान्त के कोटे में आधी कमी कर दी गयी, यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से आशा करूंगा कि वे अपनी प्रभावशाली वाणी प्रयुक्त करेंगे और भारत सरकार को बतायेंगे कि जब उसका उत्पादन बढ़ा है तो कोटा क्यों कम किया जा रहा है। उन्होंने ही कहा कि कोटा बढ़ा है और हमको उसे सत्य ही मानना चाहिये और इस प्रकार हमें हमारा कोटा मिलना ही चाहिये।

इसके साथ ही साथ आयरन स्टील के वितरण के प्रश्न पर, वितरण के तरीकों के सम्बन्ध में हमारे माननीय सभा सचिव महोदय ने कोई प्रकाश नहीं डाला है। मैं समझता हूं जुगुल किशोर इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट ने इस संबंध में जो शिकायतें की हैं, माननीय मंत्री जी उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। सदन को इस बात के जानने का कोई मौका नहीं मिला है और कम से कम मुझे तो अभी तक यह नहीं मालूम हो सका कि इस कमेटी की सिफारिशों के स्वीकार करने की ओर सरकार ने अभी तक कोई क़दम क्यों नहीं उठाया है। आज स्थिति यह है कि २५० श्रेणियां जो लोहा सीमेंट की हैं उनको १४ उपश्रेणियों में बांट दिया गया है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

एक बात मेरी समझ में यह नहीं आती कि जब कोटे का विभाजन ऐग्रीकल्चर और नान ऐग्रीकल्चर बेसिस पर किया गया है तो देहाती क्षेत्रों को वह पूरा-पूरा कोटा क्यों नहीं मिलता। यद्यपि यह बात कि देहाती और ग़ैर-देहाती क्षेत्रों का विभाजन हो, अच्छी नहीं लगती लेकिन यह नीति तो सरकार की ही निश्चित की हुई है और आयरन और स्टील कंट्रोलर कलकत्ता द्वारा वही कोटा मंजूर किया जाता है जो यहां की सरकार ऐग्रीकल्चर और नानऐग्रीकल्चर बेसिस पर कोटा मुकर्रर करती है उसी बेसिस पर वहां से मंजूरी होती है? लेकिन देहात के नाम से मिला हुआ कोटा फिर उनको नहीं मिलता है, उसके वितरण का साधन नहीं है। आज भी जिलों के अन्दर ऐसी दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं जो मैं समझता हूं ६, ८, १२ महीनें और सालों हो गये, लेकिन उनका कोई निबटारा नहीं हुआ। उन लोगों को अभी तक कोई चादरें नहीं मिलीं। जुगुल किशोर इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में इस बात की मांग की गयी है कि जो चीजें इन श्रेणियों के अंदर आती हैं उनके बारे में दरख्वास्तें दफ्तर में ४ महीने से ज्यादा पेंडिंग नहीं रहनी चाहिये। प्रत्येक अर्जी ४ महीने में निपट ही जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि सभी अर्जियों को दो श्रेणियों में विभाजित कर देना चाहिये। एक वे जो मरम्मत से संबंध रखती हैं, दूसरी वे जो नये कंस्ट्रक्शन से संबंध रखती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे ज़िला सप्लाई दफ्तरों में इस प्रकार का श्रेणी-विभाजन होता है? क्या जनता की अत्यन्त आवश्यक मरम्मत की मांग की पूर्ति होती है? चाहे इस प्रकार के आदेश जारी कर दिये गये हों लेकिन ऐसा नहीं होता है। मिसाल के तौर पर जिसके मकान का टूटने का प्रश्न आता है, गिरने का प्रश्न आता है तो क्या उनके लिये कोई इन्तजाम किया जाता है। पहाड़ी इलाके की मैं मिसाल दे सकता हूं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको चादरें समय से नहीं मिलतीं। किसी की छत गिर रही है उसने अर्जी दे रखी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर माननीय मंत्री चाहें तो मैं इन लोगों के नाम भी बता सकता हूं।

जुगुल किशोर इन्क्वायरी कमेटी ने एक शिकायत और की वह यह है कि जिलों में हाउसिंग कमेटियां बनी हुई हैं लेकिन वे कोई काम नहीं करती हैं, और बहुत सी हाउसिंग कमेटियों की तो मीटिंग ही नहीं होती है, उनका कोई काम ही नहीं है। क्या जनता के कष्टों को दूर करने के लिये, इसके लिये इन चीजों का वितरण भली प्रकार से हो, सरकार ने कोई आदेश जारी किये हैं? और अगर वे काम कर रही हैं तो क्या उन्होंने सरकार को कोई रिपोर्ट दी है? जहां तक मेरे जिले का प्रश्न है मैं यह बता सकता हूं कि मुझे तो नहीं मालूम कि वहां पर हाउसिंग कमेटी की कोई मीटिंग हुई है। मुझे इसकी कोई सूचना नहीं मिली है। विधान सभा के सदस्य इसके मेम्बर हुआ करते हैं। अब कोई नई बात हो गई हो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो यही समझता हूं कि इस विधान सभा के मेम्बर इस कमेटी के मेम्बर हुआ करते हैं। फेब्रीकेटेड गुड्स तीन कटेगरी में आते हैं ए, बी और सी। बी और सी फेब्रीकेटेड में रखे गये हैं। इसमें कोटा बहुत कम मिलता है। इसका नतीजा क्या होता है कि अधिकतर कोटा ब्लैकमार्केट में चला जाता है। लोहे की छड़ियां इस फेब्रीकेटेड गुड्स में शामिल है। चूंकि फेब्रीकेटेड में लोहा भी शामिल है इसलिये मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या निर्देश हुये हैं और क्या भविष्य में ऐसी कोई प्रणाली बनने वाली है। अगर ऐसी प्रणाली बनने वाली है तो मैं समझता हूं कि इस अधिनियम पर इतने गम्भीर विचार और माननीय मंत्री जी की मेहनत व्यावहारिक रूप में नहीं रह जायगी। इसका व्यावहारिक रूप जब होगा, जब वास्तविक रूप से जनता इस विधेयक के सिद्धान्तों से कुछ लाभ उठा सके। मैं इस बात को मानता

हूं कि उससे जनता को कुछ लाभ तो होगा लेकिन वह लाभ का जो तरीका है वह बहुत निकम्मा और पुराना है। जुगुल किशोर इनक्वायरी कमेटी में इस चीज़ को साफ कर दिया है। इस विधेयक के जरिये से जो मार्ग अख्तियार किया जा रहा है उससे अधिक मात्रा में जनता को लाभ नहीं पहुंच सकता है। श्रीमान्, मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वह संगठन करने में बहुत होशियार हैं। इस विधेयक में जो छोटी-मोटी कमजोरियां हैं वह स्पष्ट हैं। वह इनको दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं तो समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिए। अगर वह इस विधेयक को वापस नहीं लेते हैं तो जो आइटम मैंने यहां पर कहे हैं उनको इस विधेयक से निकाल देंगे और लोहे और सीमेंट की प्रणाली को जनहित में सफल बनायेंगे।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और कुछ सुझाव देने के लिये खड़ा हुआ हूं। हर मनुष्य स्वतंत्रता चाहता है और हमारे राज्य विधान में स्वतंत्रता के लिए तमाम बातें की गई हैं। यहां कंट्रोल किया जाता है उसको कोई पसन्द नहीं करता है। परन्तु जब किसी वस्तु की कमी होती है तो नियंत्रण की आवश्यकता होती है कि यह वस्तु हर एक मनुष्य को जिसको उसकी आवश्यकता हो आसानी से मिल जाय। इसीलिये कंट्रोल किया जाता है। अभी इस विधेयक के संबंध में विरोधी दल की तरफ से कई बातें कही गईं। एक बात सुनकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ वह यह है कि सन् ४७ के ऐक्ट में यह बात दी हुई है कि आर्डिनेंस और ऐक्ट साथ साथ चलता रहे। इसमें तो यह दिया हुआ है कि जो आर्डर आर्डिनेंस के समय में पास हो चुके हैं वे आर्डर इस ऐक्ट में मान लिये जायंगे। यह बिल्कुल ठीक है। लेकिन यह कहीं पर नहीं दिया हुआ है कि आर्डिनेंस भी चलता रहे और ऐक्ट भी चलता रहे। सिर्फ जो इसमें अहकामात हैं, जो हुक्म हैं, जो परमिट आदि दिये गये हैं वे ही लागू रहेंगे। यही इसका मतलब है। मैं समझता हूं कि उनको समझने में काफी भूल हुई है।

सिर्फ मुझे यह कहना है कि इस कंट्रोल में सिर्फ वही चीजें रक्खी जायं कि जिन पर इस समय कंट्रोल है जिन पर या इस समय कंट्रोल लगाने की आवश्यकता है और बाकी जितनी चीजें हैं उन पर अब कंट्रोल न रहे। श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने बहुत जोर दिया चादरों पर। मुझे इस बात का खेद है कि उनकी सूचना में यह बात नहीं है कि अब चादरों पर कोई कंट्रोल नहीं है और उनको फ्री कर दिया गया है। उनको मालूम होना चाहिये कि उस पर कई महीनों से अब कंट्रोल नहीं है जो चाहे उसको बाजार से ले सकता है। इसलिये बहुत सी ऐसी बातें उन्होंने अपनी अज्ञानता से कही हैं। मैं भी यह समझता हूं कि जिन चीजों पर कंट्रोल चल रहा है वह तो रहे और बाकी चीजों को आप सूची से निकाल दीजिये। जैसे कि सीमेंट है आज-कल सीमेंट की बहुत बड़ी कमी है। यह किसी किसी नगर में तो पहुंच जाता है लेकिन बाज बाज जगहों पर इसका मिलना मुश्किल हो जाता है। बरसात में बहुत से मकान गिर जाते हैं और जब उनको बनाने का सवाल आता है तो सीमेंट मिलना असम्भव हो जाता है। इसलिये मैं तो यही कहूंगा कि जिन चीजों पर हम समझते हैं कि कंट्रोल लगाने की आवश्यकता है उन पर तो हम कंट्रोल लगायें लेकिन जो चीजें ऐसी हैं कि आसानी से मिल सकती हैं और उनकी कोई कमी भी नहीं है उनको इसकी सूची में रखना मैं ठीक नहीं समझता हूं। जैसे कि इसमें पीतल के बर्तन रक्खे गये हैं, अलमूनियम के बर्तन रक्खे गये हैं और इसी प्रकार की बहुत सी चीजें हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। मवेशी पर भी यहां पर कंट्रोल रक्खा गया है। मवेशी पर तो मेरे ख्याल में कभी भी कंट्रोल नहीं रहा है और उसको भी इस सूची में रखना मुझे ठीक नहीं जंचता है। ऐसे ही जो नान ऐडीबल आयल्स हैं, जो कि खाने में प्रयोग नहीं होते हैं उन पर भी कंट्रोल रखना उचित नहीं मालूम होता है। कंट्रोल तो सिर्फ उन्हीं चीजों पर होना चाहिये कि जिनकी कमी है और जिनकी अधिक आवश्यकता है जैसा कि मैंने कहा कि सीमेंट

[श्री रतनलाल जैन]

आदि हैं। मेरा विचार है कि जिन चीजों का मैंने पहले जिक्र किया है कि उन पर कंट्रोल होना चाहिये उनको छोड़ कर बाकी जितनी चीजें हैं, उनके ऊपर से कंट्रोल उठा देना चाहिये, यही मेरा सुझाव है।

**श्री शिव नारायण** (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बैठे-बैठे अपोजिशन की बेंच पर बैठने वाले माननीय सदस्य त्रिपाठी जी को सुन रहा था। त्रिपाठी जी ने विरोध किया चादर का, स्टील का और बाकी तमाम चीजें उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं हैं लेकिन मैं तो सिर्फ एक चीज की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि पूर्वी जिलों की तरफ ऐसी आपत्तिजनक बाढ़ आई है उससे बहुत बड़ी संख्या में मकान गिर गये हैं। और उनके लिये ईंटों की आवश्यकता है। आज तमाम मकान गिर गये हैं, बस्ती में मकान गिर गये हैं, गोरखपुर में मकान गिर गये हैं, देवरिया में मकान गिर गये हैं और ईंटों का कष्ट दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। गवर्नमेंट का सही सही अन्दाजा है माह मई और जून के अन्दर ईंटों का भाव २५ रुपये से २७ रुपये महाजनों ने कर दिया। मुझे तो दुःख है कि माननीय त्रिपाठी जी अपने को सोशलिस्ट कहते हैं लेकिन उनका दृष्टिकोण कैपिटलिस्ट की तरफ है। हम लोगों के घरबार टूट गये हैं और हम बेघरबार हो गये हैं और अगर कहीं सर्दियों में जरा सा भूचाल आ गया तो हम लोग साफ हो जायेंगे। फिर त्रिपाठी जी रोयेंगे और तब गेंदा सिंह जी कहेंगे कि कोई ईंटा देने वाला तक नहीं है।

**श्री गेंदा सिंह** (जिला देवरिया)— तब शायद आप नहीं होंगे।

**श्री शिव नारायण**—तब तो ईंटें भी लाल हो जायेंगी और मकान भी लाल रहेंगे। सर्वत्र आपके ही पसन्द का रंग होगा, दीवारें भी लाल होंगी और सारा मकान लाल होगा।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यही प्रार्थना करता हूं कि वह विशेष तौर से ईंटों को इसके अन्दर लें और ईंटों पर इस प्रकार का नियंत्रण रक्खा जाय। साथ ही साथ सीमेंट भी नियंत्रण के अन्दर रक्खा जाय। अगर सीमेंट को नियंत्रण के अन्दर आपने न रखा तो बनिये लोग ५ रुपये की जगह पर १०, १० रुपये बोरी के हिसाब से बेंचने लगेंगे। जिनको कि लाल टोपी वाले जो यहां बैठे हुये हैं सपोर्ट कर रहे हैं। आप इसको कटु शब्द न समझें, मैं निहायत विनम्र शब्दों में कहता हूं कि यह बिल्कुल सही बात है। जो चीज प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूं वही कह रहा हूं। हस्ब जरूरत जिस चीज की जरूरत मालूम होती है हम गवर्नमेंट के पास पहुंचते हैं तो वह हमारी बराबर मदद करती है। हमारे यहां बस्ती में जब चारे की दिक्कत हुई तो मैं माननीय फूड मिनिस्टर साहब से मिला और उन्होंने तुरंत ट्रंक काल वहां के कलेक्टर को किया जिससे वहां उसका इन्तजाम शीघ्र ही हो गया। इसके लिये मैं मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देता हूं कि जरूरत के मौके पर गवर्नमेंट हमारी बराबर मदद करती है। आपको चाहिये कि जितनी भी दिक्कतें हमारे सामने हैं उनको दूर करने की कोशिश करें, यह नहीं कि यहां बैठकर गवर्नमेंट को कोसा करें। अगर ईंट पर कंट्रोल न रखा गया तो गरीब लुट जायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं गवर्नमेंट से यह अपील करता हूं कि ईंट, सीमेंट और चादर पर अवश्य नियंत्रण रखा जाय। हमारे नारायण दत्त जी तिवारी बाहर नारा लगाते हैं कि यह सरकार निकम्मी है, इस निकम्मी सरकार को एक धक्का और दो। निकम्मा कहना तो बहुत आसान मालूम होता है लेकिन जब अमली जामा पहना जाता है तभी मालूम होता है कि निकम्मा कौन है। मेरा विश्वास है कि जब हम ईंट का एक मकान बना लेंगे और उसमें बिजली लगा लेंगे तो जिस वक्त जनरल चुनाव होगा उस वक्त यह कह सकेंगे कि कि हमने यह एक झोपड़ी बनायी है लेकिन आप उस वक्त क्या दिखलावेंगे। आप तो बस यही नारा लगावेंगे कि इस सड़ी गली सरकार

को एक धक्का और दो। आप प्रैक्टिकल मैदान में आइये, तब आपको मालूम होगा कि कौन किस जगह पर सही है। मैं आपसे निहायत अदब के साथ कहता हूं कि आप हमारे साथ कोआपरेट कीजिये, हमारे साथ हाथ बटाइये और जहां तक हो सके हमारे साथ चलने की कोशिश कीजिये।

एक सदस्य--आप ही इधर आ जाइये।

श्री शिव नारायण--हम क्यों आवें, हम तो अपनी जगह पर हैं ही। आप हमारे साथ चलने की कोशिश करें। इन शब्दों के साथ मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि ईंट, सीमेंट और चादर पर अवश्य नियंत्रण रखा जाय।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कंट्रोल शब्द जब हमारे सामने आता है तो मेरा व्यक्तिगत जो विचार है, मुझे यह शब्द बड़ा ही भयावह और भयंकर मालूम होता है। इसके फलस्वरूप जो जो परिणाम देश में हुये उन्हीं के कारण हमारी इलयावर पार्टी कांग्रेस को जनता से कुछ अलगाव भी हुआ और उस पर जितने भी लांछन लगाये गये उन सबका कारण एक यही है। परन्तु जो विधेयक हमारे सामने विचारार्थ प्रस्तुत है उसकी तरफ जब हम देखते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह एक ऐसा विधेयक है जो हमारे राज्य सरकार के वश की बात नहीं है। जब हम समझते हैं कि यह एक केन्द्रीय व्यवस्था है और यह बिल उसी से संबंधित है तथा जब तक केन्द्रीय स्कीम चालू रहेगी और जब तक उसकी आवश्यकता समझी जायगी परिस्थिति के अनुसार, तब तक राज्य सरकार को मजबूरन इसे लेकर चलना ही पड़ेगा। तो फिर इस विधेयक को इस पर विचार करके मान ही लिया जाय। एतदर्थ मैं इसका समर्थन करता हूं। अब जब २ यह विधेयक विचार के लिये हमारे सामने आया तो हमारे सामने की बेंचों पर बैठने वाले मित्रों में से हमारे माननीय साथी श्री नारायण दत्त जी तिवारी ने इसका विरोध किया और अपने विरोध के अन्दर बहुत सी बातें ऐसी उन्होंने बतलाई जिनका सारांश यह है कि जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। पिछले साल माननीय मंत्री जी ने क्या कहा? क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? ये भी सब बातें उन्होंने बतलायीं। लेकिन मैं अपने मित्र को इस संबंध में यह बतलाना चाहता हूं कि कंट्रोल जब तक चीजों की कमी है तभी तक है। जहां तक हो सकता है सरकार इस बात की कोशिश करती है कि जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति हो और जो गरीब जनता है, जिनकी पहुंच नहीं है उनको तो अवश्य ही इस कंट्रोल ही द्वारा सहारा मिला है अन्यथा जो भयंकर समय गुजर गया है उसमें उनका जीवन भी बचना मुश्किल हो जाता।

मेरे मित्र ने चादरों के ऊपर विशेष जोर दिया, सीमेंट और हाउसिंग कमेटीज के ऊपर भी जोर दिया और उसके वितरण के ऊपर आक्षेप भी किया। यह अवश्य है कि वितरण में कुछ न कुछ धांधली होती है लेकिन मुझे दुःख है कि उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया। अच्छा होता यदि इसके सम्बन्ध में कोई अपना सुझाव भी वे देते।

पहाड़ी इलाके का जिक्र करते हुए उन्होंने चादरों की बात पेश की कि हमारे यहां बड़ी दिक्कत हुई लेकिन सुझाव कुछ नहीं बतलाया कि इस तरह का उपाय किया जाय तो आसानी से मिल सकती हैं। हम समझते हैं कि विरोध होता है और होना ही चाहिये लेकिन विरोध के साथ सुन्दर सुझाव हों तभी उन पर विचार किया जा सकता है।

मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना कहना चाहता हूं कि चादरों का जो वितरण होता है उसमें बड़ी दिक्कत होती है। हाउसिंग कमेटीज जिलों के अन्दर बनी हुई हैं। विधान सभा के सदस्य भी शायद उसके मेम्बर हैं लेकिन वह नामिनल हैं। उनकी न तो कभी बैठक होती है और न वह कोई सहायता पहुंचा पाती हैं। अगर कोई दरख्वास्त दी भी गई तो १०० रुपये जमा करा लिये गये। कानपुर जाना पड़ा। आयरन कंट्रोल आफिस में गये तो वहां भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ा। अगर किसी को परमिट मिल भी गई तो मैं अपने यहां बहराइच जिले की दशा जानता हूं कि परमिट बस्ती पर कटती है और बस्ती से माल लाने में क्या दिक्कत होती है, यह वही जानते हैं जिनको लाना पड़ता है।

[श्री बसंत लाल शर्मा]

इसी तरह से हमारी सरकार द्वारा यह भी प्रबन्ध किया गया है कि थोड़ा सा सीमेंट सप्लाई आफिसर से लेकर प्लानिंग आफिसर को दे दिया गया और प्लानिंग आफिसर के जरिये, गांव सभाओं की तसदीक पर गांव वालों को मिलने लगा। रूरल एरियाज वाले खुश हुये कि गांवसभाओं की तसदीक पर उनको सीमेंट मिल जाया करेगा लेकिन देखने में यह आया कि यह प्लानिंग की जो नई स्कीम है जिसके लिये आशा यह थी कि यह स्कीम बड़ी सफलता के साथ और शुद्ध आचरण से चलेगी पर जैसे ही कंट्रोल देवता के पैर वहां पहुंचे वहां भी भ्रष्टाचार शुरू हो गया। सीमेंट की दरख्वास्तों पर फी बोरी२–२ रुपये तक लिया जाने लगा। मेरे जिले में एक क्लर्क था जो ऐसा करता था वह हेड क्लर्क हो गया लेकिन फिर भी रिश्वत लेता ही रहा। बाद में वह नानपारा में आफिशियेटिंग इन्सपैक्टर होकर आया और वहां जब कुयें के लिये सीमेंट की बोरियां दी गई, जो कि एक सार्वजनिक कार्य था, उसमें से भी ९ बोरी सीमेंट १० रुपये की दर से ब्लैक पर उसने बेचा। कांग्रेस कमेटी नानपारा के मंत्री से मैंने इंक्वायरी कराई क्योंकि शिकायतें मेरे पास आई उस पर रिपार्ट दी गई और अब उसे मुअत्तल कर दिया गया। पहले जब बुलाया गया तो उसने कहा कि जांच करवा ली जाय, अगर दोषी हूंगा तो सजा मिलेगी।

मैं केवल आलोचना नहीं करना चाहता, कुछ सुझाव भी मेरे हैं उनको देना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी उस पर विचार करेंगे। एक तो यह कि कुछ चीजों के लिये संशोधन है कि अनुसूची में से यह निकाल दी जायं और मैं भी यही समझता हूं कि उनको निकाल दिया जाय। कंट्रोल खत्म होने वाला है। जैसे-जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जायगा वैसे ही कंट्रोल भी खत्म होता जायगा। जैसे पशु तथा दियासलाई का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इनको इसमें नहीं रखना चाहिये। ये चीजें बड़ी आसानी से मिल सकती हैं और कंट्रोल की हवा लगने पर यों भी बाजार से छू हो जायंगी।

एक सुझाव यह भी है कि हाउसिंग कमेटीज जो जिलों में हैं बजाय जिले के हर तहसील में सर्किलवाइज बनायी जायं और गांव के लोगों को भी उसमें रखा जाय और जो दरख्वास्तें वहां आयें उनको वह तस्दीक करके रिपोर्ट लगा कर सप्लाई आफिसर के यहां भेजें और सप्लाई आफिसर उनको जिस तरतीब से वह आयें उसी नम्बर से परमिट काट दें। इससे परमिट आसानी से मिल जायगी।

माननीय जैन साहब ने कहा कि आयरन शीट पर से कंट्रोल हटा लिया गया। हो सकता है कि उनका कहना सही हो और बड़ी खुशी होती अगर कंट्रोल हट गया होता। लेकिन मेरी इत्तिला में ऐसी बात नहीं है।

(इस समय ३ बजकर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

अभी हाल में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आई। मैंने स्वयं दौरा किया जो गांव घाघरा और सरयू के बीच में पड़ते हैं। मकान बैठ गये। सीमेंट की बड़ी जरूरत है लेकिन एक बोरी भी सीमेंट नहीं मिल पा रही है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि सीमेंट आवश्यकता-नुसार उन गांव वालों को मिलनी चाहिये इसलिये स्थानीय कमेटियां बनायी जायं जो उसकी जांच करें कि वास्तव में जरूरत है या नहीं और वे रिपार्ट दें और उस रिपार्ट पर अमल किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)—सभा सचिव ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहा कि दो तीन चीजें ऐसी हैं जिन पर कंट्रोल होना आवश्यक है। उसमें स्टील और सीमेंट का खासतौर से नाम बतलाया गया। हमारा कोटा १६ हजार टन का था जब कि इस महीने में ४ हजार टन मिला है और आइंदा भी ४ हजार टन से ज्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है। इस विभाग के कर्मचारियों को आज कल काफी फुर्सत है। उनको चाहिये कि वह तफसील दें चीजों की जो नाकाफी मिलती हैं और उनके वितरण की वह व्यवस्था करें।

मैं माननीय शिवनारायण जी को बतलाना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के जिन सदस्यों ने विचार इस विधेयक पर किये हैं वे कतई यह नहीं चाहते कि इन चीजों पर से कंट्रोल हटा दिया जाय। समाजवादी पार्टी तो कंट्रोल की ज्यादा हामी है लेकिन इसके यह मानी नहीं कि माननीय शिवनारायण जी को छूट दे दी जाय कि कंट्रोल और राशन के नाम पर खूब गड़बड़ियां करें। जब-जब यह कहा जाता है कि इन विभागों में बहुत धांधलियां और परेशानियां हैं तो कांग्रेसी दल की तरफ से कहा गया कि हम लोगों का काम यही है कि इस किस्म की चीजों को पेश करें। आपकी आज्ञा से मैं एक सर्कुलर नम्बर एफ-९९२६, जिसको पी० आई० एस० सी० ने सब जिलाधीशों के नाम भेजा था, उसको उद्धृत करता हूं। वह यह है कि:—

CONFIDENTIAL.

No. F. 9926/PISC/FAB/ACD/D—10—52.

FROM Sri ShriPat, I. A. S.,
Provincial Iron & Steel Controller,
UTTAR PRADESH,

TO

ALL DISTRICT MAGISTRATES,
UTTAR PRADESH.

*Kanpur, August* 28, 1952.

SIR,

I HAVE the honour to refer to this office circular No. 9924/PISC/FAB/ACD/D-10/52, dated August 28, 1952, addressed to all licensed fabricators of this State, copy already endorsed to you, and to say that the majority of the socalled fabricators of iron and steel are non-genuine and had cropped up during the war to earn the blackmarket profit on iron and steel. It was extremely difficult to remove them on account of powerful vested interests behind them. They do not possess any workshop and have been selling their quota almost freely in the blackmarket, on the ostensible plea that it was not possible to keep a proper workshop on the small quota available to them. There is now no shortage of iron and steel and it is possible to make extra allotments to genuine fabricators. There is, therefore, no justification why they should not maintain proper workshops. There is ample margin for the genuine fabricators and there is no reason why they should not lift their full quota. I would, therefore, request you kindly to instruct your District Supply Officer to institute a proper enquiry and to inspect the workshops of all licensed fabricators of your district. Those who do not possess a proper workshop and do not maintain proper account of the materials released to them, should be recommended for cancellation of licences.

2. The enquiry should be made through gazetted officers and the result of the enquiry reported to this office by about the end of the next month.

यह अध्यक्ष महोदय, एक सरकारी उच्चाधिकारी का सर्कुलर है जिससे सरकार को मालूम होना चाहिये कि विरोधी दल ही इस बात को महसूस नहीं करता है कि स्टील और आयरन में धांधली होती है बल्कि और लोग भी इसको महसूस करते हैं जो कि सरकारी आफिस में बैठ कर काम करते हैं। जिस आफिस की तरफ से यह सर्कुलर जारी

[श्री राम नारायण त्रिपाठी]

हुआ है उसी आफिस की गड़बड़ी को रोका जाय तो काफी काम हो सकता है। जो नान जैन्वीन फेब्रीकेटर हैं अगर उनके लिये कोई कोटा न दिया जाय तो उससे भी काफी बचत हो सकती है। जो लोग सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और जिनको जरूरत रहती है उनको माल नहीं मिलता है। ऐसी सूरत में अध्यक्ष महोदय, यह आवश्यक है कि और भी इकोनामी करने के लिये हजारों लोगों को हजारों चीजें दी जायं तो ज्यादा लाभ हो सकता है और वह ज्यादा जैन्विन तरीके पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

सीमेंट के बारे में कमी है। जितने डी० एस० ओज० आफिस हैं वह हर जिले में ऐसा कर रहे हैं कि ५, ४ नाम से १०० बोरा और दो सौ बोरे का परमिट दे दिया जाता है और वह लोग उसका ब्लैक मार्केट करते हैं। आज कल सीमेंट की कमी है। इसलिये अगर माननीय मंत्री महोदय ऐसी व्यवस्था कर दें कि जितने बड़े बड़े टाउन एरियाज हैं और टाउन्स हैं वहां पर जाकर डी० एस० ओ० खुद इन्क्वायरी करें कि जितने परमिट काटे गये थे उनका इस्तेमाल किस तरह से हुआ तो मैं यह समझता हूं कि उनको बहुत से केसेज मिल सकते हैं।

**श्री अध्यक्ष**--अब आप विधेयक के ऊपर आ जायं और उसके सिद्धान्तों पर ही बहस करें।

**श्री रामनारायण त्रिपाठी**--कंट्रोल के सम्बन्ध में कहा गया और हमारे मित्र शिवनारायण जी ने भी कहा। हम भी कहते हैं कि ईंट पर जरूर कंट्रोल होना चाहिये। बल्कि एक साल हो गया है अभी ईंटों के ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया है। हो सकता है कि ईंटों पर भी कंट्रोल करना पड़े क्यों कि उसके ऊपर आज कंट्रोल नहीं है और अगर वह किसी तरह का है भी तो वह कायदे के मुताबिक नहीं है और किसी व्यवस्था के अनुसार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ में चाहता हूं कि केवल जिन चीजों की शार्टेज हो और क़ीमत बढ़ रही हो तब ही कंट्रोल उन पर किया जाय और अगर इसकी अवधि सन ५५ तक बढ़ाई जाती है तो जिन चीजों पर कंट्रोल रखा जाय उनकी ठीक से व्यवस्था करके सख्त से सख्त तरीके से कानून की पाबन्दी कराई जाय और जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाय।

**श्री गेंदा सिंह**--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के द्वारा माननीय अन्न मंत्री जी की इच्छा है कि उनको अगले दो वर्ष के लिये और कुछ चीजों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया जाय। मैं समझता हूं कि इनमें से कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिन पर नियंत्रण की आवश्यकता कुछ हद तक है लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि जिनका नाम मुझे तो इस विधेयक के सम्बन्ध ही में मालूम हुआ और मैंने आज ही उन पर नियंत्रण की बात सुनी और मैं समझ सका कि उन पर नियंत्रण है। जैसे पीतल के बर्तन, ताम्बा या इसी प्रकार के कुछ बीज तिलहन वग़ैरह। आम तौर से गांव में कहीं इस तरह की बात नहीं है कि इन सब चीजों पर कोई समझता हो कि नियंत्रण है। लोग चाहे जिस भाव से बेचते और खरीदते हैं और लोग नहीं जानते कि सरकार की ओर से भी कोई निर्ख नियत है और हमें उसी निर्ख पर खरीदना चाहिये और न व्यापारी ही इस बात को वहां जानने की कोशिश करते हैं और सरकार का राशनिंग विभाग का कर्मचारी वर्ग भी चेष्टा करता कि जनता इस बात को जाने कि जिससे नियंत्रण से लाभ उठा सके। ऐसी हालत में मैं अन्न मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसी गैर जरूरी चीजों का नाम इसमें रखने से कोई लाभ नहीं है बल्कि शुबहा इस बात का हो सकता है कि जो नियंत्रण करने वाले कर्मचारी हैं वह इसके द्वारा व्यापारी वर्ग से कुछ अनुचित लाभ उठाते हों और यदि इससे जनता का कोई लाभ नहीं है तो केवल इस शुबहे को बढ़ाने के

लिये उन चीजों का नाम विधेयक में रखना उचित न होगा। इसी सम्बध में मैं सीमेंट के सम्बन्ध में दो चार बातें निवेदन करना चाहता हूं। सीमेंट ऐसी वस्तु है जिस पर नियंत्रण रखना आवश्यक है परन्तु इस सम्बन्ध में मैं यह जरूर कहूंगा कि सीमेंट के वितरण में बड़ी गड़बड़ी है। संयोग से जिस दिन मैं इस अधिवेशन में भाग लेने के लिये घर से आ रहा था तो एक गांव के सभापति जी मुझसे मिले और उन्होंने मुझ से यह आशा प्रकट की कि मेरी बदौलत उनको सीमेंट मिल जायगा। अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मैं अपने को कुछ अनाड़ी मानता हूं और जब उन्होंने यह इच्छा प्रकट की तो मैंने उनसे अपनी मजबूरी जाहिर की और कहा कि मैं तो यह भी नहीं जानता कि कौन सा तरीक़ा परमिट हासिल करने का हो सकता है लेकिन वहां कुछ लोग बैठे हुये थे, उन्होंने कहा कि कसिया के प्रोजेक्ट आफिसर के पास जाइये वहां कुछ सीमेंट मिल जायगी, उनके पास कुछ सीमेंट बटवाने के लिये आया हुआ है। वहीं पर दरख्वास्त लिखी गई और वह उन अफसर के पास गये और उसके एक दो घंटे बाद जब मैं बस पर बैठने के लिये आ रहा था तो वह प्रोजेक्ट अफसर के बंगले की तरफ से निकल रहे थे। मैंने उनसे कहा कि कहो भाई सीमेंट मिल गया? उन्होंने कहा कि मुझे वहां से तो नहीं मिला लेकिन और जगह से बन्दोबस्त हो गया। वह उसको बिलकुल सीरियस भी नहीं समझते थे कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जो काम गैर मामूली हो। वह यह भी नहीं समझ रहे थे कि दूसरे सीमेंट वाले ने जो दिया है उसने भी कोई कुसूर किया है। उनके चेहरे से ऐसी बात भी नहीं टपकती थी। हमने पूछा कि कैसे मिल गया? उन्होंने बताया कि एक साहब इस बाजार में कुछ सीमेंट रखते हैं, यहां से नहीं मिला, लेकिन वहाँ से दो या ढाई रुपया प्रति बोरी ज्यादा देकर मिल गया। उन्होंने नाम भी बताया लेकिन मैं जल्दी में था और कोई यह बीमारी ऐसी नहीं है कि जो इतनी दुर्लभ हो, आम बीमारी है। इसलिये मैंने कोई बहुत निगाह डालने की भी कोशिश नहीं की। सरकार की तरफ से शिकायत हो सकती है कि तुम्हारा फर्ज था कि तुम उस बुराई को दूर करने में मदद करते लेकिन हमारा अनुभव इस मामले में यह है कि १९४६ में हमारे गांव का एक किसान कुआं बना रहा था और उसको पांच छः बोरे सीमेंट दिलानी थी।

श्री अध्यक्ष--इस सदन में अखबार नहीं पढ़ा जायगा।

श्री गेंदा सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैंने सीमेंट दिलाने की चेष्टा की लेकिन उस व्यक्ति को सीमेंट उस आदमी से जिसको सरकार की ओर से सीमेंट बांटने के लिये मुकर्रर किया गया था, उसने ब्लैक मार्केट के भाव से सीमेंट बेचा और उसकी रिपोर्ट मैंने सप्लाई आफिसर के पास की, मुकदमा चला और मुकदमे में बड़ी परेशानी हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि कम से कम मुझे सात या आठ तारीखों पर जाना पड़ा और जहां तक मुझे याद है तीन चार तारीखों में मुझे आनेजाने का व्यय भी नहीं मिला। उस समय मैं असेम्बली का मेम्बर भी नहीं था उस समय जरा पैसे की और कमी थी। जिस आदमी ने ब्लैक मार्केटिंग की थी उसने जो घेरना शुरू किया तो मैं कह नहीं सकता, जिनको वह मेरा गुरू समझता था उनको भी नहीं छोड़ा, जिनको दोस्त समझता था उनको भी नहीं छोड़ा और जितने पैंतरे वह लगा सकता था सारे पैंतरे लगाये। फिर बयान हुआ और बयान होने के बाद नीचे की अदालत से चार हजार रुपये उस पर जुर्माना हुआ। (एक आवाज) माननीय मौर्य जी मैं अड़ा रहा। अगर मुकदमे का नतीजा सुनते तो मौर्य जी को सवाल करने की जरूरत न होती। उसके बाद उसकी अपील गोरखपुर के रीजनल कंट्रोलर के यहां हुई और उन्होंने चार हजार रुपये के जुर्माने को घटा कर दो सौ रुपये जुर्माने की सजा दी। वह जेलखाने से बहुत घबराता था और उसकी सारी कोशिश यह थी कि अगर किसी प्रकार सजा भी हो तो जेलखाने की सजा न हो। जुर्माने की सजा होगी तो फिर निपट लिया जायगा। जेलखाने की सजा दिलवाने में मैं कामयाब न हो सका और मेरी सिर्फ एक गवाह से ज्यादा की हैसियत नहीं थी। उसको सिर्फ दो सौ रुपये जुर्माने की सजा हुई और उस बेचारे ने जिसने कुएं के लिये सीमेंट खरीदी थी

[श्री गेंदा सिंह]

उसने कान पकड़ लिया कि अब कभी इनसे सीमेंट के लिये सिफारिश नहीं करवाऊंगा । और जो कोई इस तरह से सुनता था रघुनाथ उसका नाम था, रघुनाथ जिससे यह बयान कर देता था कि भाई तीन बोरी सीमेंट खरीदने के लिये और कुआं बनवाने के लिये मैं उनके पास गया और उसके बाद तीन वर्ष हमारा मुकदमा लड़ने में लगा तो फिर अब मैं कभी सीमेंट मांगने के लिये नहीं जा सकता। तो यही हालत है जो कि माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं, कि आज भी जो अभाव ग्रस्त जिले हैं जिनके लिये उन्हें दूसरे मुल्कों से, अपने मुल्क के दूसरे कोने से अनाज मंगाकर के ए० पी०स्कीम की शक्ल में या और किसी तरह से सहायता करनी पड़ती है, उनके यहां अगर कुआं बनाने की जरूरत पड़ती है और पांच बोरे भी सिमेंन्ट की जरूरत पड़ती है तो उनको नहीं मिल सकती और आजकल यह सीमेंट जो है वह ब्लैक मार्केटिंग में बिकती है। तो इस बात का प्रबन्ध करना चाहिये कि सीमेंट का वितरण ठीक ढंग से हो।

ईंटों के संबंध में मैं माननीय अन्न मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ईंटों की भी हालत ऐसी ही है कि आज कहीं पर सिवाय शहरों के मुश्किल से देहात में कहीं इस तरह की बात है कि कंट्रोल भाव पर ईंट मिलती हों या यह मालूम भी होता हो लोगों को कि कोई नियंत्रण का भाव भी है। बाजार में तो ईंट खरीदने वाले जो हैं वह मजबूर होते हैं और जिस भाव पर बेंचने वाला चाहता है उस भाव पर उन्हें खरीदते हैं। आते ही एक दिन मेरे मन में इच्छा थी कि जो यह सरकारी मकान बन रहे हैं मजदूरों के उन मकानों को कहीं देखूं क्योंकि यह चालक मद्यसार वाला जो विधेयक सदन के सामने आनेवाला है उसमें मुझे मालूम था कि उस शीरे के पैसे से ये मकान बनाये जा रहे हैं तो उसकी कैफियत सरकार के सामने रखने की इच्छा रखता था। इसलिये मैंने एक मकान की जानकारी की, एक ऐसी कम्पनी के बारे में जानकारी की कि जिसके बारे में आमतौर से यह कहा जा सकता है कि यूनाइटेड प्रविन्सेज शुगर कम्पनी लिमिटेड के नाम से देवरिया जिले में वह कम्पनी है, उसने मकान बनाये हैं सरकारी पैसे से जो मजदूरों के लिये बनाये जा रहे हैं। मुझे यह मालूम हुआ कि उसने अपनी ईंटों के दाम ५० रु० हजार तक रखा। अब माननीय अन्न मंत्री जी के उप सचिव जी यह सदन को और हमको भी बतलाकर के लाभ उठाने का अवसर दें कि ऊंचा से ऊंचा भाव इस प्रदेश में ईंट का क्या है। ५० रु० हजार मेरे ख्याल से बहुत ऊंचा दाम है और शायद ५० रु० भाव कहीं पर भी ईंट का नहीं है। तो इस प्रकार की कम्पनी के बारे में जब जानकारी मेरी हुई तो मुझको वाकई आश्चर्य हुआ। उस कम्पनी के बारे में मेरा ख्याल है कि पहले भी उसने ब्लैक मार्केटिंग की है। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता था कि सरकारी पैसे का वह इस तरह की चीज पर ब्लैक मार्केटिंग करेगी। मुझे इसका भी ध्यान तब हुआ जब मैंने इस विधेयक की फेहरिस्त में ईंट का भी नाम देखा। मैं ऐसा समझता था कि वह अपनी इच्छा से जितनी कीमत चाहे लगा सकता था। तो जहां एक तरफ मैं यह कहता हूं कि ऐसी चीजें जिनका अभाव हो उनके लिये सरकार अपने हाथ में ताकत रखे, तो दूसरी तरफ मैं इसी ख्याल से इस बात को कहता हूं कि सरकार अपने हाथ में इस ताकत को रख करके जिनकी आवश्यकता है उनकी आवश्यकता की पूर्ति पर ध्यान रखे और मैं खासतौर से जिस तरफ कि माननीय नारायण दत्त जी ने भी ध्यान दिलाया, माननीय अन्न मंत्री जी का फिर से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जहां पर खेती के लिये आवश्यक हो सरकार सहायता करती है, मदद करती है, सब्सिडी देती है कि कुएं बनाये जायं, पुलियां बनाई जायं या घर बनाये जायं, मरम्मत किये जायं, इन सब चीजों में जिस सामान की जरूरत पड़ती है वह नियंत्रण में है, तो उनके वितरण की ठीक व्यवस्था की जाय। और यदि ठीक वितरण की व्यवस्था नहीं हो सकी तो क्या पड़ी है कि माननीय मंत्री जी अपने सर पर एक ऐसा बोझ लें कि जिसको वह ढो न पावें। मुझको यह विश्वास है कि वह अपने काम में बहुत माहिर हैं और जैसा कि माननीय रामनारायण जी ने साफ संकेत किया कि इस वक्त कुछ काम का बोझ हल्का जरूर है। अगर माननीय अन्न मंत्री जी के ऊपर कुछ काम का बोझ है पर उनका विभाग जो है वह तो इस समय फुर्सत से है। मैं कम से कम उन्हें इस सदन में भी कहना चाहता हूं कि देवरिया में उनके विभाग

ने इस समय सराहनीय काम किया है, ए० पी० शाप्स खोल करके। इस समय जिन गांवों में पत्थर पड़े थे, जहां बाढ़ आई हुई है उन गांवों में जिस तरह चींटा दौड़ता है गुड़ देख करके वह हालत थी हमारे यहां के लोगों की। जिस समय ए० पी० शाप्स पर गल्ला पहुंचता था ट्रकों के जरिये उस वक्त सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग पहुंच करके थोड़ा गल्ला उठाने के लिये दौड़ते थे। इस जमाने में कुछ ज्यादा मुनाफा कमाने के लिये जो लोग अनाज के व्यापारी थे उनसे मैंने बहुत हाथ जोड़े कि दुकानें खोल लें लेकिन उन्होंने दूकान खोलना पसन्द नहीं किया। लेकिन उनके विभाग वालों से जिस वक्त मैंने अपना दुखड़ा रोया और जब मैं उनको खुद अपने साथ एक जगह लेकर गया तो मैंने उनसे कहा कि आपको तकलीफ नहीं होने पायेगी आप स्वयं अपने आदमियों द्वारा ट्रकों से अनाज भेज दीजिये। आपका रुपया और अनाज जो है उस पर हम पहरा दिलायेंगे और जो खिदमत आपकी हो सकेगी वह करेंगे। हमने कोई खिदमत उनकी दूसरी नहीं की, लेकिन उनको इत्मीनान दिला दिया कि आपके ऊपर गांवमें कोई मुसीबत नहीं आने देंगे क्योंकि अन्न और रुपया उनके पास था। तो उन्होंने अनाज भेजा है और बरसात में खुली जगहों में उनको बड़ी भारी तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने इस काम को पूरा किया और इससे हजारों आदमियों को लाभ पहुंचा नहीं तो अनाज का बाजार इतना ऊंचा हो गया था कि माननीय अध्यक्ष महोदय कागजों में जो अनाज का बाजार आता है वह बिलकुल फर्जी आता है, वहां मकई का भाव २० रुपया मन का हो गया। पौने दो सेर की भी मकई कहीं कहीं पर बिक गयी। २८, २८ रुपये मन का चावल का भाव तो इस वक्त है लेकिन चावल उस वक्त और भी मंहगा हो गया था। सवा सेर, एक सेर दो छटांक का चावल मोटा मिलता था। लेकिन जबसे ए० पी० शाप्स का अनाज जाने लगा तब से मंदा हो गया।

इस संबंध में एक बात मैं कहूंगा कि कभी कभी लाल दाने की बजरी भी वहां जाती है जिसे वहां वाले तो बहुत अच्छा समझते हैं लेकिन वहां उसे कोई पसन्द नहीं करता। इस विधेयक से तो खैर उसका कोई मतलब नहीं है लेकिन मैंने यह कहा कि जिस समय विभाग वाले उपयोगी.....

**श्री शिवनारायण**—आप लाल चीज को बुरा क्यों कहते हैं ?

**श्री गेंदा सिंह**—हर चीज लाल नहीं चाहिये। आखिर बगैर सफ़ेद के हमारी वकत नहीं रहेगी। हम नहीं चाहते हैं कि हम ही अकेले रहें।

तो इसलिये मैं जरूर चाहूंगा कि उनका विभाग इस समय जो चीजें वितरण के लिये हों उनका समुचित प्रबन्ध करने में कार्य करें क्योंकि वह एक बड़ी भारी फौज आज भी है। हम नहीं चाहते कि वह फौज बेकार हो कर अनएम्पलायमेंट के गढ़े में जा गिरे। हम जरूर चाहते हैं कि वह अपने पांच सात साल के तजुर्बे से फायदा उठावें और समाज के कल्याण में उनकी शक्ति को लगावें। अगर इस तरह से उन्होंने जनता में अपने को साबित किया कि वह काम के आदमी हैं, इस विभाग में रहने पर भी जन उपयोगी कार्य कर सकते हैं तो इस प्रकार से आगे का रास्ता उनका भी ठीक होगा और हमारा भी रास्ता बनेगा और यह नियंत्रण जिसको हमारे सदन ने कहा कि बड़ा भयावह शब्द कंट्रोल मालूम होता है वह भयावह न होकर कल्याणकारी हो। मैं माननीय न्याय मंत्री जी जो कि वर्तमान हैं उनसे यह आशा करता हूं, कि वह इसे ऐसा बनायेंगे जिससे कि यह आगे के लिये कारगर साबित हो सके।

**श्री शिवनारायण**—मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री बनारसी दास**—अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर जो भाषण हुये हैं और जो सुझाव दिये गये हैं उनके लिये मैं माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं। माननीय नारायण दत्त जी ने जो कानूनी उलझन पेश की वह मैं समझता हूं कि गौर के साथ विधेयक को पढ़ नहीं पाये

[श्री बनारसी दास]

इसलिये मूल अधिनियम की धारा १६ के द्वारा आर्डिनेंस को जो रिपील किया गया तो उनको इस प्रकार की परेशानी हुई कि आर्डिनेंस और यह अधिनियम दोनों साथ साथ कैसे चल रहे हैं। उन्हें मालूम होना चाहिये कि हमारे प्रांत में जबसे पहले यह कानून आर्डिनेंस के द्वारा सन् १९४६ ई० में आया था और सन् १९४७ ई० में सदन के विधेयक के द्वारा उस आर्डिनेंस को खत्म कर दिया गया। इसलिये मूल अधिनियम के अन्दर जो कि सन् १९४७ ई० में पेश किया गया था उसमें आर्डिनेंस को रिपील करने के लिये यह धारा पेश की गयी थी। अब तक जितने भी विधेयक इस सदन के सामने आये वह सब संशोधन थे और वह अवधि बढाने के लिये थे। जब कोई विधेयक पेश होता है तो उससे पहले जो आर्डिनेंस होता है उसे रिपील करने की धारा उसके अन्दर होती है। आज इस प्रान्त के अन्दर समानान्तर रूप से आर्डिनेंस और अधिनियम दोनों चल रहे हैं यह आप को भ्रम है। मैंने यह नहीं कहा था।

**श्री नारायण दत्त तिवारी**—मैं कुछ कहना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**—हां कहिये।

**श्री नारायण दत्त तिवारी**—श्रीमान माननीय सभा सचिव महोदय ने बताया कि रिनैक्ट किया जा रहा है और वह वैसा का वैसा रखा गया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि शेडयूल वैसे का वैसा क्यों नहीं रखा गया है जैसा कि सन् १९४७ ई० में था?

**श्री बनारसी दास**—अभी नारायण दत्त जी का जो संकेत हुआ शायद वह रिइनैक्टमेंट का मतलब नहीं समझते हैं। जहां तक कि अनुसूची का सवाल है, अनुसूची में तो संशोधन बराबर होते रहे हैं। कई मर्तबा मैंने पहले भी निवेदन किया कि १९५०-५१ ई० में अनुसूची के अन्दर संशोधन हुये हैं इसलिये जिनको पहले ही निकाल दिया गया उनका यहां पर प्रश्न नहीं उठता है। सन् १९४७ ई० की अनुसूची है उसमें कोई अन्तर नहीं है। आपको इस बात का भी सदेह हुआ कि सुप्रिम कोर्ट ने जबकि हमारे यहां के कानून को उचित माना तो फिर रिइनैक्टमेंट की क्या जरूरत है। मैंने यह कहा इस प्रकार के जहां पर भी सरकार के द्वारा नये कोड के अन्दर, कानून के अन्दर अवधि बढ़ाई गई है, सुप्रिमकोर्ट का फैसला है और उसके आधार पर हमारे कानूनी विभाग का यह मत था कि हाईकोर्ट का फैसला गलत है। इसलिये सन् १९५२ ई० में जिस वक्त कि संशोधन विधेयक पेश किया गया उसमें रिइनैक्टमेंट का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता था, इसलिये जो आपने कानूनी द्वन्द बताया वह तो स्वयं उनका एक असमंजस था और उसमें वह उलझ गये थे। वर्ना बात बिल्कुल साफ है कि रिइनेक्टमेंट की आवश्यकता है। जो माकूल सुझाव होते हैं और जो प्रान्त के हित में होते हैं उनको मानने के लिये सरकार की ओर से कोई संकोच नहीं होता है। सरकार का कोई भी ऐसा इरादा नहीं है कि अनावश्यक वस्तुओं को शेड्यूल के अन्दर रखें। नारायणदत्त जी ने, गेंदा सिंह जी और भाइयों ने जो सुझाव उपस्थित किये हैं इस अनसूची के अन्दर जैसा कि उन्होंने बतलाया कि कैटिल, नानफैरस मैटिल्स, अलमोनियम, यूटैन्सिल्स इन सब के बारे में जो सुझाव आते हैं उनको मैंखुशी के साथ स्वीकार करने के लिये तैयार हूं और अनुसूची के अन्दर इन्हीं चीजों को रखना चाहता हूं जिनकी कि आवश्यकता है। तो इस समय अनुसूची के अन्दर केवल सीमेंट, मैचेज ब्रिक्स, फारेस्ट प्रोड्यूस, कोल्हूज ऐंड बार्यलिंग पैन्स, शुगरकेन क्रशर्स और आयरन स्टील प्राडक्ट्स आपके संशोधन को मानने के बाद यह ७ चीजें रह जाती हैं। इस वक्त सीमेंट, फारेस्ट प्रोड्यूस, कोल्हूज ऐंड बार्यलिंग पैन्ल और आयरन स्टील प्रोडक्ट्स पर कंट्रोल हैं। ३ चीजें केवल अनुसूची के अन्दर ऐसी रह जाती हैं जिनके अनुसूची में होने से सरकार को यह अधिकार प्राप्त होता है कि किसी समय आवश्यकता होने परउन पर कंट्रोल किया जा सकता है। वे ब्रिक्स, शुगरकेन क्रशर्स और मैचेज हैं। जहां तक ब्रिक्स का सवाल है, अभी सदन में जो आवाज उठी वह बहुत कुछ हद तक सही है। नारायण दत्त जी ने कहा है कि आज से ११ महीने पहले इस संबंध में मैंने कुछ कहा था और उसका जो उद्धरण उन्होंने दिया है उससे कोई भी कंट्रेडि-

कंट्राडिक्शन वे नहीं बतला सकते उस समय भी मैंने यही कहा था कि ब्रिक्स को हम अनुसूची में इसलिये रख रहे हैं कि यदि भाव बढते हैं तो हम उन पर नियंत्रण करें। बड़ी कठिनाई तो यह हो जाती है कि जब किसी वस्तु पर हम कंट्रोल लगाना चाहते हैं तो उससे यह समझा जाता है कि जनता की कठिनाई बढ़ जायगी। लेकिन मुझे याद नहीं है कि नारायण दत्त जी या किसी और सदस्य की ओर से यह मांग की गई हो कि अनुसूची में ब्रिक्स हैं और उन पर कंट्रोल लगाया जाय। बजट पर उसके बाद और भी मौके मिले लेकिन अब गेंदा सिंह जी कहते हैं कि ईंटों का भाव ५० रुपये तक बढ़ गया है। इसलिये संभव है कि इंटों पर कंट्रोल किया जायगा और उचित मूल्य पर वे मिल पावेंगी। अभी जी० सी० शीट्स के लिये जो कुछ कहा गया उससे यह मालूम होता है कि उन्होंने यह समझा है कि केवल ये शीटस ही आयरन और स्टील में आती हैं। यह आयरन और स्टील की केवल एक वस्तु है। आयरन और स्टील की काफी वृद्धि की है जिसके परिणामस्वरूप आज सिवा चादर के और किसी चीज पर कंट्रोल नहीं है। श्री नारायण दत्त जी ने बड़े परिश्रम के साथ आचार्य जुगुलकिशोर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया। वह काफी वैलइनफारम्ड हैं लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें इसका भी ज्ञान नहीं है कि आयरन और स्टील से करीब करीब नियंत्रण समाप्त हो चुका है। केवल जी० सी० शीट्स पर है। वह जो गर्डर्स और फैबिकेटेड गुड्स की बात करते थे तो उनसे तो कंट्रोल कभी का खत्म हो गया है। इसलिये आचार्य जुगुलकिशोर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देने से, जिस पर सरकार ने कोई अमल नहीं किया और वह आउट आफ डेट है, कोई संबंध नहीं है। जी० सी० शीट्स का उत्पादन हमारे देश में जरूर कम हुआ है और उसका मुख्य कारण है कि उसके लिये बहुत सी चीजें, जैसे गंधक हमें बाहर से मंगानी पड़ती हैं जिसमें काफी कठिनाई होने से उत्पादन में कमी हुई है। तो अब सिवाय शीट्स के और किसी वस्तु के लिये यह कोई आशंका नहीं है कि इतने महीनों से दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं और चीजें नहीं मिल रही हैं।

जहां तक सीमेंट का सवाल है सन् १९४९ ई० में हमारे प्रांत में १ लाख ३७ हजार ३७१ टन सीमेंट प्राप्त हुआ। १९५० में १ लाख ८० हजार ९३२ टन, १९५१ में २ लाख ४१ हजार २३८ टन और १९५२ में ३ लाख ३७ हजार २५९ टन सीमेंट प्राप्त हुआ। इससे आप देखेंगे कि उत्तरोत्तर हमारे प्रांत के अन्दर सीमेंट का कोटा बढ़ता चला गया है और वह करीब करीब ढाई गुना हो गया है। लेकिन हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे प्रांत की आवश्यकतायें कम हो गई हैं और उसी मात्रा के अन्दर जरूरियात नहीं बढ़ी हैं। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि आज हमारे यहां बहुत से कम्यूनिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी १५ अगस्त से हम इसका क्षेत्र और भी विस्तृत करने जा रहे हैं। प्लानिंग विभाग आज हमारे प्रांत के कोने कोने में जा रहा है। इसकी मांग एक हजार वैगन्स फी महीने की है। उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये २.२४ लाख टन की जरूरत है। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट के अन्य विभागों के लिये भी एक लाख ५६ हजार टन सीमेंट की आवश्यकता है। सरकार की आवश्यकता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यद्यपि हमारे प्रान्त का कोटा बढ़ गया है लेकिन सीमेंट की कमी बराबर अब भी हमारे प्रांत में पाई जाती है।

अभी हमारे मित्र श्री गेंदा सिंह जी ने कहा कि इसके नियंत्रण का सवाल है, वितरण का सवाल है, इसमें बहुत से दोष पाये जाते हैं। श्री बसंत लाल जी ने गोंडा का जिक्र किया कि इस प्रकार की शिकायतें हैं। यदि इस प्रकार की शिकायतें सामने लाई जायंगी तो अवश्य उनकी जांच की जायगी और जो लोग भी अपराधी होंगे उनको दंडित किया जायगा। सीमेंट के वितरण के संबंध में जो व्यवस्था और शिकायत है, मैं मानता हूं कि कुछ हद तक हो सकती है लेकिन लोगों का आज यह ख्याल बन गया है और जब भी कंट्रोल का जिक्र आता है तो वह समझते हैं कि कंट्रोल, भ्रष्टाचार और करप्शन यह पर्यायवाची शब्द हैं। जहां कंट्रोल होता है वहां करप्शन होता ही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह ठीक ऐसा ही है जैसे किसी आदमी को बुखार हो रहा हो और डाक्टर उसके थर्मामीटर लगाकर कहता है कि तुम्हें बुखार है। वह कहता है कि थर्मामीटर ने बुखार कर दिया। कंट्रोल से करप्शन पैदा नहीं होता है। वह तो

[श्री बनारसी दास]

पहले से ही मौजूद है। जब कंट्रोल सामने आया तो उसको एक लीगल फार्म दे दी गई और वह एक जुर्म बन गया। पहले लोग इसको समझते नहीं थे। इसलिये जहां तक व्यवस्था का सवाल है हो सकता है अगर किसी जिले के आँकड़ों को इकट्ठा करें, तो ५ या १० फीसदी सीमेंट ब्लैक मार्केट में चला जाता हो तो क्या इससे यह है कि सब को डिकंट्रोल कर दें। अपनी ओर से यही प्रयत्न रहता है कि जनता को चीजें उचित कीमत पर मिलें। इसमें हमें इंकार नहीं है कि लोगों को काफी आवश्यकायें हैं। बहुत से लोग गलत परमिट भी हासिल कर लेते हैं और नाजायज तरीके से पैसा हासिल किया करते हैं। प्रयत्न तो हमारी तरफ से किया जाता है लेकिन जब गेंदा सिंह जी कोर्ट में जाने से थक गये हैं तो उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह से स्थित का सामना किया जाता है।

अलाटमेंट के बारे में श्री नारायण दत्त जी तिवारी ने कहा कि हाउसिंग कमेटीज की मीटिंग्स नहीं होती हैं। विधान सभा के मेम्बर्स तो उनमें नहीं हैं। गवर्नमेंट नोमनी के स्थान पर अब पंचायत का प्रतिनिधि होगा। इसकी शिकायत गवर्नमेंट के सामने नहीं आई। शायद इसके सदस्य इसमें दिलचस्पी नहीं लेते हैं। इसलिये जहां तक हाउसिंग कमेटी का सवाल है तो जो सदस्य हैं वह मीटिंग बुलायें। इसकी सहायता के लिये ही यह बिल रखा गया है। इसमें सभी आवश्यक वस्तुयें हैं और जो अनावश्यक वस्तुयें होंगी वह शेड्यूल में से निकाल दी जायंगी। केवल वही वस्तु रहेंगी जिन पर कंट्रोल है या निकट भविष्य में कंट्रोल की आवश्यकता होगी।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) विधेयक, १९५३, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खंड २ व ३

यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ का पुनर्विहित किया जाना।

२--यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) के उपबंध जो इस अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित हैं एतद्द्वारा पुनर्विहित (re-enact) किये जाते हैं और वे २५ जनवरी, १९५५ तक प्रचलित रहेंगे और उक्त ऐक्ट (अधिनियम) की समाप्ति पर यू० पी० जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानों वह उस समय किसी उत्तर प्रदेश के अधिनियम (U. P. Act.) से निरस्त (repeal) किया गया था।

आज्ञाओं (आर्डर्स) इत्यादि का जारी रहना।

३--(१) मूल अधिनियम के अधीन किसी अधिकार के अभिप्रत प्रयोग (purported exercise) के अन्तर्गत दी गयी अथवा दी गई समझी गयी कोई आज्ञा ( order ) जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से तत्काल पूर्व प्रचलित हो प्रचलित रहेगी और इस अधिनियम के अन्तर्गत दी गयी आज्ञा ( order ) समझी जायगी, और ऐसी किसी आज्ञा ( order ) के अधीन की गई सभी नियुक्तियां, दिये गये लाइसेंस और परमिट तथा प्रचारित आदेश जो उक्त आरम्भ के तत्काल पूर्व प्रचलित हों, उसी प्रकार प्रचलित रहेंगे और इस अधिनियम के अनुसार की गयी, दिये गये अथवा प्रचारित समझे जायेंगे।

(२) संदेह को दूर करने के लिये एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि उपधारा (१) के प्रयोजनों के निमित्त, पूर्वोक्त प्रकार से दी गई प्रत्येक आज्ञा ( order ) अथवा की गई प्रत्येक नियुक्ति, दिया गया

लाइसेंस अथवा परमिट और प्रचालित आदेश जो यदि उक्त आरम्भ से पूर्व उक्त ऐक्ट समाप्त न हुआ होता, प्रचलित होते, ऐसे आज्ञा नियुक्ति, लाइसेंस परमिट और आदेश समझे जायंगे जो उक्त आरम्भ से तत्काल पहले प्रचलित थे और सदा प्रचलित रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—खंड २ और ३ में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

## अनुसूची (धारा २)

## THE UNITED PROVINCES CONTROL OF SUPPLIES (TEMPORARY POWERS) ACT, 1947

(UNITED PROVINCES ACT NO. II OF 1947)

---

AN

ACT

*to provide the continuance during a limited period to control certain essential commodities,*

WHEREAS it is expedient to provide for the continuance during a limited period of powers to control certain essential commodities;

It is hereby enacted as follows:

1. Short title, extent, commencement and duration

(1) This Act may be called the United Provinces Control of Supplies (Temporary Powers) Act, 1947.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force at once.

2. *Definitions*—In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context—

(*a*) "essential commodity" means any of the commodities mentioned in the Schedule* and such other commodity as the State Government may, by notified order, specify;

(*b*) "notified order" means an order notified in the official *Gazette*;

(*c*) "State Government" means Uttar Pradesh Government.

---

*NOTE—The following commodities have been specified to be essential commodities vide notified orders mentioned against each—

| | |
|---|---|
| (1) Sugarcane crushers operated by Power and centrifugal machines (used in the manufacture of Khandsari or crystal sugar in an open factory) whether or not operated by power, | Notification no. 2578-S/XVIII (C)—112-50, dated September 28, 1950. |
| (2) Iron and Steel Products. | Notification no. 1070/XXIX—B—(D-5), dated March 30, 1950. |

*3. Powers to control essential commodities.*—The State Government, so far as it appears to it to be necessary or expedient to control any essential commodity, may, by notified order provide—

(*a*) for regulating by licences, permits or otherwise the storage, transport, distribution, disposal, production, acquisition, use, consumption or manufacture of any essential commodity;

(*b*) for controlling the prices at which any essential commodity may be bought or sold;

(*c*) for prohibiting the withholding from sale of any essential commodity ordinarily kept for sale;

(*d*) for requiring any person holding stock of an essential commodity to sell the whole or a specified part of the stock at such prices and to such persons or class of persons, or in such circumstances, as may be specified in the order:

(*e*) for regulating or prohibiting any class of commercial or financial transactions relating to any essential commodity which in the opinion of the authority making the order are, or if unregulated are likely to be, detrimental to public interest;

(*f*) for collecting any information or statistics with a view to regulating or prohibiting any of the aforesaid matter;

(*g*) for requiring persons engaged in the production, supply or distribution, of or trade or commerce in, any essential commodity to maintain and produce for inspection such books, accounts and records relating to their business, and to furnish such information relating thereto, as may be specified in the order;

(*h*) for any incidental and supplementary matter, including in particular the entering and search of premisess, vehicles, vessels and aircraft, the seizure by a person authotised to make such search of any article in respect of which such person has reason to believe that a contravention of the order has been, is or is about to be committed, the grant or issue of licences, permits or other documents, and the charging of fees therefor.

*4. Delegation of powers.*—The State Government may, by notified order, direct that the power to make orders under section 3 shall , in relation to such matter and subject to such conditions, if any as may be specified in the direction, be exercisable also by such officer or authority subordinate to the State Government as may be specified in the direction.

*5. Effect of orders inconsistent with other enactments.*—Any order made or deemed to be made under section 3 shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment other than this Act or any instrument having effect by virtue of any enactment other than this Act.

6. *Penalties.*—If any person contravenes any order made or deemed to be made under section 3, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both, and if the order so provides, any Court trying such contravention may direct that any property in respect of which the Court is satisfied that the Order has been contravened shall be forefeited to Government.

7. *Special provisions regarding fines.*—It shall be lawful for any Magistrate of the first class specially empowered by the State Government in this behalf, to pass sentence of fine exceeding one thousand rupees on any person convicted of any offence punishable under this Act.

8. *Attempts etc. to contravene orders.*—Any person who attempts to contravene, or abets a contravention of any order made or deemed to be made under section 3 shall be deemed to have contravened that order.

9. *Offences by -corporations.*—If the person contravening the order made or deemed to be made under section 3 is acompany or other body corporate, every Director, Manager, Secretary or other officer or Agent of such company or body corporate or of the Managing Agent thereof shall. unless he proves that the contravention took place without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent such contravention be deemed to be guilty of such contraventtr.

10 *False statements.*—If any person—

(*i*) when required by any order made or deemed to be made under section 3 to make any statement or furnish any information, makes any statement or furnishes any information, which is false in any material particular and which he knows or has reasonable cause to believe to be false, or does not believe to be true, or

(*ii*) makes any such statement as aforesaid in any book account, record, declaration, return or other document which he is required by any such order to maintain or furnish he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both.

11. *Burden of proof in certain cases.*—Where any person is prosecuted for contravening any order made or deemed to be made under section 3, which prohibits him from doing an act or being in possession of a thing without lawful authority, or without permit or licence, the burden of proving that he has such authority permit, or licence be on him.

12. *Cognizance of offences.*—No Court shall take cognizance of any offence punishable under this Act, except on a report in writing of the facts constituting such offence made by a person who is a public servant as defined in section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860).

13. *Power to try offences summarily.*—Any magistrate or bench of magistrates empowered for the time being, to try in a summary way the offence specified in sub-section (1) of

section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898), may, on application in this behalf being made by the prosecution, try in accordance with the provisions contained in sections 262 to 265 of the said Code any offence punishable under this Act.

14. *Savings as to orders.*—(1) No order made or deemed to be made in exercise of any power conferred by or under this Act shall be called in question in any Court.

(2) Where an order purports to have been made and signed by an authority in exercise of any power conferred by or under this Act a Court shall, within the meaning of the Indian Evidence Act, 1872 (Act I of 1872) presume that such order was so made by that authority.

15. *Protection of action taken under the Act.*—(1) No suit, presecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any order made or deemed to be made under section 3.

(2) No suit or other leagal porceeding shall lie against the Government for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any order made or deemed to be made under section 3.

16. *Repeal and saving.*—(1) The United Provinces Contro of Supplies (Temporary Powers) Ordinance, 1946 (U. P. Ordinance II of 1946) is hereby repealed.

(2) Any order made or deemed to be made under the said Ordinance and in force immediately before the commencement of this Act shall continue in force and be deemed to be an order made under this Act; and all appointments made, licences or permits granted and directions issued under any such order and in force immediately before such a commencement shall likewise continue in force and be deemed to be made, granted or issued in pursuance of this Act.

(3) For the removal of doubts, it is hereby declared—

(*a*) that for the purposes of the said Ordinance and this Act an order of the nature referred to in section 5 of the said Ordinance made before the commencement of the said Ordinance and not previously rescinded shall be deemed to be, and always to have been, an order in force immediately before such commencement, notwithstanding that such order, or parts of it, may not then have been in operation either at all or in particular areas;

(*b*) that for the purpose of this Act an order made or deemed to be made under the said ordinace and not rescinded prior to the commencement of this Act shall be deemed to be an order in force immediately before the commencement of this Act, notwithstanding that such order, or parts of it, may not then be in operation either at all or in particular areas.

17. *Rule making power.*—The state Government may, after previous publication by notification in the official *Gazette*, make rules to give effect to the purposes of this Act.

SCHEDULE
[ see section 2 ( a ) ]

(1) Cement
(2)
(3) Non-ferrous metals.
(4) Brass and copper utensils.
(5) Aluminium utensils.
(6)
(7)
(8) Matches.
(9)
(10) Bricks.
(11) Forest produce, including fire-wood, timber, charcoal, bamboo, baib grass and rosin.
(12)
(13) *Kolhus* and "boiling pans" used in the manufacture of *gur* and *rab.*
(14) Cattle.
(15) Non-edible oil-seeds and oils.
(16)
(17)

---

श्री मोहन सिंह (जिला बुलन्दशहर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं :—

" मूल अधिनियम की धारा २ (ए) की अनुसूची से निम्नलिखित हटा दिय जायं :—

(3) Non-ferrous metals.
(4) Brass and Copper utensils.
(5) Alluminium Utensils.
(14) Cattle
(15) Non-edible oil-seeds and oils."

अध्यक्ष महोदय, यह जो इसमें " २ (ए) " हिन्दी में लिखा हुआ है इसके बजाय अंग्रेजी का स्माल " (a) " होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—अच्छा।

श्री मोहन सिंह—श्रीमान्, जहां तक इस संशोधन की उपयुक्तता और आवश्यकता का सम्बन्ध है वह तो जो तक़रीर अब से पहले माननीय बनारसीदास जी द्वारा सरकार की ओर से और इधर वाम पक्ष की ओर से हुई उनसे यह पता चलता है कि सब पक्षों ने इसको माना है कि इन वस्तुओं पर न तो इस वक्त कंट्रोल है और न इनकी कमी ही है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस संशोधन को स्वीकार करने में कठिनाई नहीं होगी और यह संशोधन स्वीकार कर लिया जायगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से इस संशोधन में एक और संशोधन करना चाहता हूं। माननीय मोहन सिंह जी के संशोधन में जो वस्तुयें अनुसूची से निकाल देने की सूची है उसमें जो आइटेम ८ है मैचेज का वह भी जोड़ दिया जाय कि वह भी अनुसूची से निकाल दिया जाय।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

इस संशोधन को उपस्थित करते समय मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैचेज पर, जिस प्रकार माननीय मोहन सिंह जी ने कहा कि नान फ़ेरस मेटिल्स, ब्रास ऐंड कापर यूटेंसिल्स आदि पर कोई कंट्रोल नहीं है उसी प्रकार मैचेज पर भी कोई कंट्रोल नहीं है जहां तक मुझे सूचना मिली है। हाल में कोई नोटीफ़िकेशन निकल गया हो तो मैं नहीं कह सकता। और न इस पर अभी कोई कंट्रोल होने की कोई सम्भावना ही है और अगर कोई ऐसी सम्भावना हो तो एसेंशल सप्लाईज़ ऐक्ट के अनुसार यू० पी० की सरकार इस बात का अधिकार केन्द्रीय सरकार से ले सकती है कि वह फिर से दियासलाई पर या इनमें से किसी भी वस्तु पर दोबारा कंट्रोल लगा ले। तो एक तो मेरी प्रार्थना यह है।

दूसरे जो माननीय सभा सचिव महोदय को यह ग़लत फ़हमी हो गई है कि मैंने यह कहा कि आयरन और स्टील पर कंट्रोल लगा हुआ है तो मैंने यह नहीं कहा था, मैं तो जी० सी० शीट्स के बारे में ही कह रहा था।

**श्री अध्यक्ष**--उसका जवाब अब आप नहीं दे सकते।

**श्री नारायण दत्त तिवारी**--मैं ज़रा स्पष्टीकरण कर रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इनके निकाल देने के बाद भी एसेंशल सप्लाईज़ ऐक्ट के अनुसार इन पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जहां तक आयल और आयल सीड्स का सवाल है मैं समझता हूं कि इनकी प्योरिटी की ओर भी माननीय मंत्री जी ध्यान रखेंगे।

**अन्न मंत्री (श्री चन्दभानु गुप्त)**--अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री मोहन सिंह जी ने उपस्थित किया है वह सरकार को मान्य है परन्तु जो संशोधन माननीय नारायण दत्त जी ने उपस्थित किया है उसके सम्बन्ध में मुझे आपत्ति है और वह आपत्ति इसलिये है कि यद्यपि अभी तक दियासलाइयों पर कोई कंट्रोल नहीं था परन्तु जैसा कि बनारसी दास जी ने अपने भाषण में बताया कि इसके द्वारा केवल हम प्रदेशीय सरकार को इस बात का अधिकार देते हैं कि अगर आवश्यकता पड़े तो वह नियंत्रण लगा दे। यह भी सच है कि एसेंशियल सप्लाईज़ ऐक्ट के मातहत हम केन्द्रीय सरकार से इसके लिये इजाज़त मांग सकते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ मैं माननीय तिवारी जी को इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि जब-जब इस प्रकार के संशोधन हम लाते हैं तब तब हमें उन संशोधनों को केन्द्रीय सरकार को भेजना पड़ता है और उनकी इजाज़त पहले से ले लेनी होती है इसके बाद ही कोई संशोधन हम अपने यहां एसेंशियल सप्लाईज़ ऐक्ट में ला सकते हैं। जब हमने केन्द्र से इजाज़त मांगी तो उन्होंने सीमेंट और दियासलाइयों दोनों के लिये ही इजाज़त दे दी है। मैं नहीं चाहता कि इन्हें नियन्त्रित करने का कोई अवसर आये लेकिन यदि आवश्यकता हो तो क्यों उसी समय केन्द्रीय सरकार के पास जायं। दियासलाई ऐसी वस्तु है जो रोज़मर्रा की चीज़ है। हर एक को इसकी जरूरत पड़ती है। मैं आशा करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को यह विधान सभा इस अथारिटी को देगी। इन शब्दों के साथ यह जो संशोधन श्री मोहन सिंह जी ने पेश किया है मैं सरकार की ओर से स्वीकार करता हूं।

**श्री नारायण दत्त तिवारी**--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**--आपके बोलने का समय नहीं है।

**श्री नारायण दत्त तिवारी**--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की जानकारी माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि इस प्रान्त में दियासलाई का कितना उत्पादन है और उसकी कितनी मांग है। मैं इस चीज़ को स्पष्ट रूप में जानना चाहता हूं कि हमारे सूबे में कितनी मांग है।

(श्री चन्द्रभानु गुप्त)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं जो मैं श्री नारायण दत्त जी को बता सकूं। आंकड़ों को मालूम करके उनको बता सकता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि मूल अधिनियम की धारा २ (a) की अनुसूची से निम्नलिखित हटा दिये जायें :—

(3) Non-ferrous metals.
(4) Brass and Copper utnensils.
(5) Alluminium Utensils.
(14) Cattle.
(15) Non-edible oil seeds and oils.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित अनुसूची इस विधेयक का भाग बनी रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

## उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरीपावर्स) विधेयक, १९५३

यूनाइटेड प्राविंसेज कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ के उपबन्धों को अधिक अवधि के लिये पुनर्विहित (re-enact) करने का

### विधेयक

यह आवश्यक है कि यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ के उपबन्धों को अधिक अवधि के लिये पुनर्विहित (re-enact) किया जाय;

अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्ष नाम प्रसार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम, १९५३ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चन्द्रभानु गुप्त—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपर्युक्त विधेयक पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) विधेयक, १९५३ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## *उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ रेवेन्यू (प्रक्रिया का प्रख्यापन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९५३

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ़ रेवेन्यू (प्रक्रिया का प्रख्यापन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९५३, पर विचार किया जाय। यह एक नया विधेयक है जो बोर्ड आफ रेवेन्यू की प्रक्रिया के प्रख्यापन तथा वैधीकरण के बारे में है। रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल की धारा १७०, १७१ और १९० में लिखा हुआ है कि अगर बोर्ड आफ रेवेन्यू का एक मेम्बर फैसला देता है और उसके द्वारा फैसले में तब्दीली और रद्दोबदल न हो तो ऐसी सूरत में वह बोर्ड का फैसला होता है। अगर डिक्री में कोई तब्दीली हो या किसी तरह से सुधार हो जाय या डिक्री रद्द की जाय तो ऐसी सूरत में वह बोर्ड आफ रेवेन्यू के मेम्बर जो फैसला करेंगे उसकी दूसरे बोर्ड आफ रेवेन्यू के मेम्बर के पास से उसकी कांकरेंस हासिल करेंगे और जब उनकी स्वीकृति हासिल हो जायेगी तो वह फैसला बोर्ड का फैसला समझा जायगा। अभी तक यह होता आया है कि एक मेम्बर ने फैसला किया और अगर पहले का फैसला रद्द हुआ और दूसरे मेम्बर ने उस पर अपनी कांकरेंस दी तो उसके लिए उन्होंने यह ठीक नहीं समझा कि बोर्ड फिर से उसको सुने या वकीलों की फिर से उसमें बहस हो। अब एक मुकदमे के सिलसिले में जो कि दफा ५९ का मुकदमा था बोर्ड ने फैसला दिया। ऐसी सूरत में माननीय हाई कोर्ट के समक्ष कांस्टीटयूशन की आर्टिकिल २२६ के अनुसार एक और आपत्ति उठायी गयी कि बोर्ड के मेम्बरान, सब पार्टियों को सुनें लेकिन अर्थात फैसला तब तक आखिरी फैसला नहीं समझा जायगा जब तक कि बोर्ड के दूसरे मेम्बर भी बहस न सुन लें चुनांचे इस आपत्ति की वजह से जो अभी तक बोर्ड के फैसले होते रहे हैं, वह अगर एक मेम्बर ने फैसला कर लिया और फिर दूसरे मेम्बर ने उस पर कुछ फैसला किया तो उसमें यह कठिनाई हो जायगी और भविष्य में एक दिक्कत पैदा हो जायगी। इसी दिक्कत को दूर करने के लिये यह विधेयक पेश किया जा रहा है। जो दफा ५९ में बोर्ड का फैसला था उसमें एक माननीय सदस्य ने यह फैसला किया कि अपील रद्द कर दी जाय। वह दूसरे मेम्बर के पास गयी और दूसरे मेम्बर ने अपना फैसला यह दिया कि नीचे की अदालत की डिक्री बहाल की जाय। फिर तीसरे मेम्बर ने फैसला किया कि अपील रद्द की जाय और चौथे ने पास किया कि तीसरे मेम्बर का फैसला ठीक है, बोर्ड की डिक्री बहाल की जाय। इस अपत्ति को दूर करने के लिये फिर बोर्ड की एक मीटिंग बैठी और उसमें यह फैसला हुआ कि डिक्री बहाल की जाय। इस तरह से उस पर निर्णय हो पाया। इन्हीं तमाम दिक्कतों को दूर करने के लिये यह विधेयक पेश किया गया है ताकि जितने बोर्ड के फैसले हुए हैं उनमें कोई दिक्कत न हो और भविष्य में बोर्ड के मेम्बरों को यह अधिकार होगा कि चाहे तो वे सुनें और न चाहें तो न सुनें और इस प्रकार से जिस कठिनाई का सामना करना पड़ता है उससे छुटकारा मिल जाय।

मुझे आशा है कि यह भवन इसको स्वीकार करेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मुझे तो आम नियमों के अनुसार आपके द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करनी है कि जो सूरज मल वर्सेज बोर्ड आफ रेवेन्यू के

---

*३ अगस्त को, १९५३ कार्यवाही में छपा है।

हाईकोर्ट का जो केस है उसका जो फैसला निकला है उसकी प्रतियां हमें मिल जायं क्योंकि यह रेलीवेन्ट डाकूमेंट है और इसको प्राप्त करने की कोशिश की जाय और उस पर विचार करने के बाद इसको मानेंगे। दूसरे जहां तक विधेयक का प्रश्न है, माननीय मंत्री जी ने जो बात कही कि बोर्ड के मेम्बरों का जो फैसला हो उनको वैलिडेट करने के लिये यह बिल लाया गया है, दूसरे उन्होंने जो यह कहा कि वह चाहे तो सुनें और चाहे तो न सुनें इसका उनको अधिकार हो तो जहां न सुनने के लिये सवाल रक्खा है मैं इस सिद्धान्त का विरोध करता हूं। इससे तो यह साबित होता है कि हाई कोर्ट ने फैसला किया और अगर कोई मेम्बर मामले की सफाई करता है तो यह लाजिमी हो कि वह बोर्ड इस बात का मौका दे कि वह वकीलों के द्वारा अपने मामले की पैरवी कर सके। तो इस बिल में जहां पर सिद्धान्त का सवाल आता है उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उसमें सिद्धान्तों का उल्लंघन किया गया है। पुराने फैसले के बाद जो कार्यवाही हो, वह तो ठीक ही है लेकिन भविष्य में भी अगर हाईकोर्ट द्वारा उनकी अवहेलना हो तो उसको मौक मिलना चाहिये कि वह सफाई पेश कर सके, चाहे वह उसके विरुद्ध फैसल हो या उसके हित में। बोर्ड को यह अधिकार देना कि चाहे तो वह उसको न करे या करे उसके ऊपर छोड़ दिया जाय, मैं समझता हूं कि यह न्यायसंगत नहीं है। इसमें लिखा है..

Provided that every member as aforesaid may, before pronouncing of concurring in the judgement , if he considers nescessary.

"इफ ही कंसिडर्स नेसेसरी" पर ज्यादा जोर दिया गया है।

**श्री अध्यक्ष**— आप यह चाहते हैं कि वह फैसला आपके सामने आवे। आप उस फैसले को देखना चाहते हैं?

**श्री नारायण दत्त तिवारी**—जी हां।

**श्री अध्यक्ष**— मैं समझता हूं अगली मीटिंग जो सोमवार को हो तो उस वक्त वे आपको दिखला दें। और तब आपका भाषण जारी रहेगा।

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य** से वे फैसले तो आपके पास मौजूद होंगे?

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**— जी हां, मेरे पास मौजूद हैं।

## आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३

**श्री अध्यक्ष**—मुझसे यह कहा गया है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी चाहते हैं कि आगरा यूनीवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, जिसको वे सबेरे पुरःस्थापित नहीं कर सके थे क्यों कि माननीय सदस्यों की टेबिल पर उस वक्त वह रखा नहीं गया था , अब पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय। चूंकि अब वह वितरित हो चुका है इसलिये मैं उनको इसके लिये इजाजत दे देता हूं। इसमें माननीय सदस्यों को स्टडी करने के लिये पूरी तरह से मौका मिल जायगा। विचार के लिये तो वह बाद ही में आवेगा और उसके लिये काफी समय मिल जायगा।

**शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)**—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से आगरा यूनीवर्सिटी (संशोधन) विधेयक १९५३, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३७२–३९३पर)

**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)— एक बात मैं जानना चाहता हूं। विधान का प्रश्न तो मैं उठाना नहीं चाहता चूंकि पहले जब आगरा यूनिवर्सिटी आर्डिनेंस आया था तो उस सम्बन्ध में मैंने विधान का प्रश्न उठाया था तो आपने अपना फैसला दे दिया था लेकिन फिर भी मैं अपनी जानकारी के लिये माननीय मंत्री जी से यह जानना

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत करने के पहले, चूंकि इसमें से राजपूताना शब्द हटा दिया गया है लेकिन और दूसरे प्रान्तों के नाम जहां तक कि मैंने पढ़ा है नहीं हटाये गये हैं, तो जहां उन्होंने इस शब्द को हटाने की व्यवस्था की है तो क्या और प्रान्तों की स्थिति को देखते हुए उन्होंने इस बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट के विधानवेत्ताओं से इस संशोधन विधेयक के बारे में कोई राय ले ली है कि यह विधान के अनुसार ठीक है ?

श्री अध्यक्ष—जिस वक्त यह विचार के लिये सामने आवे उस वक्त इसका उत्तर दे दिया जाय।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार १०, अगस्त १९५३ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
७ अगस्त, १९५३।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ... ३१२.. पर)

**Notice under section 7 of the Preventive Detention Act, 1950 (Act No. IV of 1950), as amended from time to time.)**

WHEREAS by virtue of order no. 311-ST dated Apri 23, 1953 you Gurdayal Singh s/o Sri Jhngjit Singht Thakur resident of village Barobara district Agra heve been detained under sub-clause (II) of clause (a) of sud-section (1) of sub-section 3 of the preventive detention Act, 1950 (Act IV of 1950), as amended from time to time.

(Now, therefore, in pursuance of the Provisions of section 7 of the said act you are hereby informed that the grounds of your detention are:—

1. That on 26. 1. 1953, you took out a procession at Shamsabad and village Kaulara Kalan, in which slogans were shouted at your initwative that "Poonji pati" should be lootted. You thereby incited people to Violence.

2. That on 27. 1. 1953, at 4,00 p. m. yow addressed a secret meeting of workers at the house of Natholi Koli in Shamsabad and advised them to collect money for purchase of firearms secretly. You also incited them to use violence against those Government servants who come for the realisation of taxes.

3. That on 15. 3. 1953 you again held a meeting at the house of Natholi Koli at Shamsabad, and among other items you advised them again that they should incite kisans against Government servants and use violence against them.

4. That on about 15-3-1953 you collected funds secretly in village Kaulara Kalan and Shamsabad for purchase of country made 12 pistols and automatic pistols from Jagdish Prasad Shulka of Farrukhabad, who is a prominent worker of R. S. P. I.

5. That in the morning of 7-4-1953 in village Barobara you incited the landless labour to take forcibly possession over the lands of kisans, and face the latter with their lathis.

6. That in the night of 7-4-1953, you held a secret meeting at the house of Sri Abdul Ghani at Shamsabad, where you advised workers to contact the landless labour and incite them to take forcibly possession of the lands of kisans. That you laso assured the workers that they could get arms from you if necessary.

These activities on your part are prejudicial to the maintenance of public order, and I am satisfied that there is reasonable apprehension of a continuance of these activities on your part. With a view, therefore, to prevent you from continuing this course of action it has been considered necessary to detain you.

Also, in pursuance of the provisions of the said section of the said Act, you are further informed that you have a right to make a representation against the order under which you are detained. If you wish to make such a representation you should address it to the Home Secretary to the State Government through the undersigned.

Also, in pursuance of section 9 of the Preventive Detention(Second Amendment) Act (No. LXI of 1952) you are further informed that you have a right of personal hearing before the Advisory Board constituted under the Act, If you desire to be heard in person by the Board, you should specifically say so in your representation.

Given under my hand and seal of the Court this twentythird day of April, 1953.

Sd. J. M. RAINA.
District Magistrate, Agra.

Date 23-4-1953.

## नत्थी (ख)

( देखिये पीछे पृष्ठ ३६९ पर )

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६।

## आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३

आगरा युनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ को और अधिक संशोधित करने का विधेयक

यू० पी० ऐक्ट, ८ १९२६।

ऐसे प्रयोजनों के निमित्त जो यहां पर आगे चलकर प्रतीत होंगे, आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ में संशोधन करना आवश्यक है,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम १९५३ कहलायेगा।

(२) यह धारा और धारायें ३५ और ३६ उस दशा को छोड़कर जिसके लिये इसमें व्यवस्था की गई है, तुरन्त प्रचलित होंगी और अन्य धारायें ऐसे दिनांक से प्रचलित होंगी जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस संबंध में निश्चित करे,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सरकारी गजट में इस अधिनियम के प्रथम प्रकाशन के बाद किसी भी समय राज्य सरकार के लिये इस अधिनियम से संशोधित आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अनुसार, यूनिवर्सिटी अथारिटीज के समान्यतः उपर्युक्त संगठन के लिये आवश्यक कोई भी कार्य करना जिसके अन्तर्गत स्टैट्यूट्स बनाना (framing of statutes ) भी है, वैध होगा, किन्तु धारा ३६ के अन्तर्गत किसी भी आज्ञा को मानते हुये इस प्रकार संगठित कोई भी यूनिवर्सिटी अथारिटी तब तक सत्तारूढ़ ( come into being ) न हो सकेगी अथवा कार्य आरम्भ नहीं कर सकेगी जब तक दूसरी धारायें प्रचलित न हो जायं,

और प्रतिबन्ध यह भी है कि पूर्वगामी प्रतिबन्धात्मक वाक्य द्वारा मिले अधिकारों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा बनाये गये कोई भी स्टैट्यूट्स तब तक प्रचलित रहेंगे जब तक इस अधिनियम द्वारा संशोधित आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अधीन की गयी कोई बात या किये गये किसी कार्य द्वारा वे अधिक्रांत ( superseded ) न हो जायं।

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २ का संशोधन।

२—आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, (१९२६ जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है ) की धारा २ में—

(१) खंड (*a*) के बाद निम्नलिखित खंड (*aa*) के रूप में जोड़ दिया जाय—

"(*aa*) 'Autonomous college' means an affiliated college declared as such by the University in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 24-A."

(२) खंड (*b*) के बाद निम्नलिखित खंड (*bb*) के रूप में जोड़ दिया जाय :—

"(*bb*) 'Ordinances' means Ordinances of the University made under this Act and for the time being in force".

(३) खंड (*d*) के बाद निम्नलिखित खंड (*dd*) के रूप में जोड़ दिया जाय :–

"(*dd*) 'State Government' means the Government of Uttar Pradesh".

(४) खंड (*f*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:–

"(*f*) 'teacher' means a teacher of the University or a teacher of an affiliated college, and includes a Principal."

(५) खंड (*f*) के बाद निम्नलिखित नये खंड (*ff*) और (*fff*) के रूप में रख दिये जायं:–

"(ff) 'teachers of affiliated colleges' means persons employed in affiliated colleges for giving instruction for University degrees;

(ffl) 'teachers of the University' means persons employed by the University for giving instruction or conducting research."

(६) खंड (*h*) के बाद निम्नलिखित नया खंड (i) के रूप में रख दिया जाय:–

"(*i*) 'Working Men's College' means an affiliated College recognised by the University in accordance with sub-section (2) of Section 24-A."

३–मूल अधिनियम की धारा ४ में–

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ४ का संशोधन।

(१) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नांकित रखा जाय :–

"(2) to confer degrees and other academic distinctions on persons who—

(*d*) have pursued an approved course of study in an affiliated College, or in more than one affiliated colleges situate in the same town, in accordance with an arrangement arrived at among them and sanctioned by the Vice-Chancellor, or

(*b*) are teachers in educational institutions under conditions laid down in the Statutes and Ordinances or

(*c*) are inspecting officers in a Department or Education and fulfil the conditons laid down in the Statutes and Ordinances, or

(*d*) have carried on independent research under conditions laid down in the Statutes and Ordinances, or

(*e*) are women who have carried on private study under conditions laid down in the Statutes, and have passed the examinations of the University under conditions laid down in the Statutes, Ordinances and Regulations.

*Explanation.*—The degrees conferred under clause (*a*) and those conferred under clauses (*b*) to (*e*) shall be termed and stated in the relative diplomas as 'internal' and 'external' respectively."

(२) उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(4) to institute certificates of proficiency, to make provision for instruction for and to grant such certificates, under coditions laid down in the Ordinances."

(३) उपधारा (५) में शब्द " ānd Regulation " निकाल दिये जायं

(४) उपधारा (५) के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द" Lucknow " के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"or in the area that may, after the coming into force of the Agra University (Amendment ) Act, 1953, be included within the limits of a University established by law, except with the consent of such University"

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ६ का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

visitation

6 (1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct of the University and its buildings, and of any affiliated college or hostel, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University. The State Government shale also have the right to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the University or and affiliated College. The State Government shall, in every case of inspection or inquiry, give notice to the University or the affiliated College (as the case may be) of its intention to cause an inspection or inquiry to be made, and the University or the College concerned shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

(2) The State Government shall communicate to the Executive Council or the Management of the affiliated College (as the case may be) its views with reference to the results of such inspection or inquiry and shall, after ascertaining the opinion of the Executive Council or the Management of the College thereon, require the University, or the College to take such action as it may direct.

(3) The Executive Council or the Management of the College shall then within such time as the State Government may appoint comply with the directions given and report to the State Government."

५—मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (२) निकाल दी जाय। यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ८ का संशोधन।

६—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः— यू० पी० ऐक्ट ९, १९२६ की धारा ९ का संशोधन।

"9(1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor from amongst persons recommended by the Executive Council in accordance with sub-section (2).

(2) The Executive Council shall, as far as may be, at least thirty days before the date on which a vacancy is due to occur in the office of the Vice-Chancellor and also whenever so required by the Chancellor, recommend to the Chancellor the name of persons not exceeding three in number who in its opinion are suitable to hold the office of Vice-Chancellor.

Provided that the Chancellor may before making the appointment return the names recommended by the Executive Council to it for reconsideration and the Council may then make fresh recommendations.

(3) Where the number of names proposed in the Executive Council for being recommended to the Chancellor under sub-section (2) does not exceed three, the Council shall recommend all such names, but if the number exceeds three the Council shall out of the names so proposed elect three names according to the system or proportional representation by means of the single transferable vote.

(4) The Vice-Chancellor shall be paid a salary of Rs.2,000 per month and be provided a furnished residence at Agra rent free or in lieu thereof be paid an allowance of Rs.200 per mensem.

(5) The Vice-Chancellor shall hold office for a period of five years, but may at any time relinquish office by submitting his resignation to the Chancellor not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved.

(6) No person, who has at any time previously held in a substantive capacity the office of Vice-Chancellor in the University, shall be eligible for re-appointment.

(7) Subject as aforesaid, other conditions of service of the Vice-Chancellor may be prescribed by the Statutes.

(8) Where a vacancy occurs or is likely to occur in the office of Vice-Chancellor by reason of leave, illness or any cause other than resignation in accordance with sub-section (5) or the expiry of the term, the Registrar shall report the fact forthwith to the Chancellor who shall make such arrangement as he deems fit for carrying on the duties of the Vice-Chancellor and shall at the same time call upon the Executive Council to forward its recommendations in accordance with sub-sections (2) and (3).

(9) Until the Chancellor has made arrangements under sub-section (8) the Registrar shall carry on the current duties of the office of Vice-Chancellor."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १० का संशोधन।

७—मूल अधिनियम की धारा १० में—

(१) उपधारा (२) में शब्द "statutes" और "and" के बीच में कामा लगा दिया जाय और उसके बाद शब्द "the Ordinances" रख दिये जायं,

(२) उपधारा (५) में शब्द "statutes" और "and" के बीच में कामा लगा दिया जाय और उसके बाद शब्द "the Ordinances" रख दिये जायं।

(३) उपधारा (६) में शब्द "statutes" और "and" के बीच में कामा लगा दिया जाय और उसके बाद शब्द "the Ordinances" रख दिये जायं

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ११ का संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा ११ में—

(१) उपधारा (२) में शब्द "fixed by the Executive Council" के स्थान पर शब्द "prescribed by the Ordinances" रख दिये जायं।

(२) उपधारा (३) में शब्द "menial" के स्थान पर शब्द "inferior" रख दिया जाय।

(३) उपधारा (४) में शब्द "the Statutes" और शब्द "and" के बीच में कामा लगा दिया जाय और उसके बाद शब्द "the Ordinances" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १२ का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा १२ में शब्द "the Statutes" और शब्द "and" के बीच में कामा लगा दिया जाय और उसके बाद "the Ordinances" रख दियं जायं।

यू० पी० ऐक्ट, ८, १९२६ की धारा १३ का संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की धारा १३ के मद (Iv) में शब्द "The Board of Inspection" के स्थान पर शब्द "the Finance Committee" रख दिये जायं।

११—मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :— यू० पी० ऐक्ट, १९२६ की धारा १४ का संशोधन।

the senate 14. (1) Subject to the provisions of the Statutes, the Senate shall consist of the following members :

Provided that—

(*a*) the total number of members excluding the ex-officio and life members shall not exceed 125;

(*b*) the number of members who may be in the service of the University or an affiliated college shall at no time exceed one-half of the total number of members mentioned in the preceding clause;

Class I. *Life Members*—

(i) Such persons as may be appointed by the Chancellor to be life members on the ground that they have rendered eminent service to the University or to the cause of learning;

Provided that their number in the Senate shall not at any time be more than four.

(ii) Persons who have made donations of Rs.20,000 or more to and for the purposes of the University.

(iii) All persons who have held the office of Vice-Chancellor in the University for one complete term.

Class II. *Ex-officio Members*—

(i) the Chancellor;

(ii) the Minister of Education in the Government of Uttar Pradesh;

(iii) the Vice-Chancellor;

(iv) the Director of Education, the Director of Industries, the Diercetor of Agriculture, and the Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh;

(v) the Vice-Chancellors of all the other Universities established by law within the territory of Uttar Pradesh ;

(vi) the members of the Executive Council of the University.

*Class III.*

Representatives, not exceeding ten, as may be determined in accordance with the Statutes, of persons who have made donations of sums of Rs. 2,500 or more but less than Rs. 20,000 elected in the manner prescribed by the Statutes.

*Class IV.*

Representatives not exceeding five of industries, commerce, learned bodies and the professions.

*Class V.*

Five persons who are members of the Uttar Pradesh Legislature, out of whom four shall be members of the Legislative Assembly and one shall be a member of the Legislative Council.

*Class VI.*

Representatives of the Registered Graduates not exceeding twenty, to be elected according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote by the Registered Graduates from among such Registered Graduates as are not in the service of the University or an affiliated college and whose names have been on the Register of Graduates for at least three years:

Provided that no registered graduate shall be entitled to vote at an election unless his name has been on the Register for at least one year prior to the date appointed for the return of voting papers.

*Class VII.*

Representatives of the Academic Staff and the Management of affiliated colleges :

Such number as may be prescribed in each case by the Statutes of—

(i) Teachers of the University ; ..

(ii) Principals of affiliated colleges teaching for post-graduate degrees;

(iii) Principals of affiliated colleges teaching for Bachelor's degrees only ;

(iv) Teachers of affiliated colleges teaching for post-graduate degrees;

(v) Teachers of affiliated colleges teaching for Bachelor's degrees only.

(vi) Representatives not exceeding six of the mangements of the affiliated colleges of whom not less than one-half shall be representatives of the managements of colleges teaching for post-graduate degrees :

Provided that an affiliated college shall not be deemed to be teaching for post-graduate degrees unless it has sent up candidates for examination for such degrees in at least three subjects not all of which are languages.

*Class VIII.*

Nominees of the Chancellor not exceeding ten.

(2) Subject to the provisions of Section 36 the term of members other than members belonging to classes I and II shall be five years.

(3) The manner of selection of members of classes III, IV, V, VI, and VII shall be determined by the Statutes.

(4) The Chancellor may declare vacant the seat of a member who has absented himself from three consecutive annual meetings of the Senate without sufficient cause."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १६ का संशोधन।

१२—मूल अधिनियम की धारा १६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

Powers and duties of the Senate

"16. (1) Subject to the provisions of this Act, the Sente shall have the power to review the acts of the Executive Council and the Academic Board and shall, except as otherwise provided for by this Act and the Statutes, exercise all the powers of the University.

(2) In particular and without prejudice to the foregoing provision the Senate may :

(*a*) make Statutes and amend and repeal them ;

(*b*) consider and cancel Ordinances ;

(*c*) consider and pass resolutions on the annual report, the annual accounts and the financial estimates ;

(*d*) consider and pass resolutions on any matter of general policy connected with the University."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १७ का संशोधन।

१३—मूल अधिनियम की धारा १७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

The Executine Council.

"17. (1) The Executive Council shall be the Chief executive body of the University.

(i) The Vice-Chancellor ;

(ii) The Director of Education, Uttar Pradesh ;

(iii) The Principal, Sarojini Naidu Medical College, Agra ;

(iv) The Principal, Government Agricultural College, Kanpur ;

(v) Four of the Deans of the Faculties to be selected in the manner prescribed by the Statutes ;

(vi) Three Principals of affiliated colleges to be selected in the manner prescribed by the Statutes;

(vii) Four persons nominated by the Chancellor of whom one shall be an expert in Engineering ;

(viii) Four members of the Senate not being members mentioned in items (i) to (vii) above who are not engaged in teaching in the University or an affiliated college, elected by the Senate according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(2) The Statutes shall prescribe the manner of selection and rotation and the qualification of the members belonging to clauses (v) and (vi) of sub-section (1).

(3) The Statutes relating to the nomination, election and appointment of members of the Executive Council shall contain suitable provisions so as to secure that not more than one person connected with any one affiliated colleges as Principal or Manager or in any other capacity shall be member of the Executive Council.

(4) Subject to the provision of Section 36 the term of office of members other than ex-officio members shall be five-years."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १८ का संशोधन।

१४—मूल अधिनियम की धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

Powers and duties of the Executive Council

18. (1) Subjec to the provisions of this Act and the Statutes, the Executive Council shall have the following powers and duties, namely—

(*a*) to hold, control and administer the property and funds of the University ;

(*b*) to accept the transfer of any movable or immovable property on behalf of the University ;

(*c*) to administer any funds placed at the disposal of the University for specific purposes ;

(*d*) to frame the Budget of the University ;

(*e*) to award fellowships, scholarships, bursaries, medals and other rewards in accordance with the Statutes and Ordinance relating thereto ;

(*f*) save as otherwise provided for by this Act and the Statutes, to appoint the officers, teachers of the University and other servants of the University, to define their duties and the conditions of their service and to provide for the filling of temporary vancancies in their posts ;

(*g*) to prescribe the courses of study for the examinations and degrees of the University ;

(*h*) to arrange for the holding of examinations and publication of the results ;

(*i*) subject to the previous sanction of the Chancelor, to grant affiliation to a college for teaching for specified degrees and to withdraw such affiliation ;

(*j*) to arrange for and direct the inspection of all affiliated colleges and hostels ;

(*k*) to control and manage and to frame rules for the University Library or Libraries and to appoint a Library Committee ;

(*l*) to regulate and determine all matters concerning the University in accordance with this Act, the Statutes, and the Ordinances, and to exercise such other powers as may be conferred or imposed on it by this Act and the Statutes.

(2) The Executive Council shall not exceed the limits of recurring and non-recurring expenditure to be incurred in each financial year as determined by the Finance Committee.

(3) The Executive Council shall take no action in regard to the courses of study except after considering the advice of the Academic Board ;

(4) No teacher shall be employed by the University until provision has been made for his salary in the Budget of the University.

(5) It shall be the duty of the Executive Council to carry out the resolutions passed by the Senate but where in any case it is not able to do so it shall inform the Senate of its inability with the reasons therefor."

१५—मूल अधिनियम की धारा १९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १९ का संशोधन।

Academic Board

"19. (1) The Academic Board shall be the academic body of the University and shall subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, have the control and general regulation, and be responsible for the maintenance of standards of instruction, education and examination and for research in the University, and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes. It shall further have the right to advise the Executive Council on all academic matters,

(2) The constitution of the Academic Board and the term of office of its members shall be prescribed by the Statutes."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २० का संशोधन।

१६—मूल अधिनियम की धारा २० के स्थान पर निम्नलिखित धारा २० और २०-ए के रूप में रख दिया जाय

Finance Committee.

"20 (1) The Finance Committee shall consits of

(i) The Vice-Chancellor ;

(ii) Two persons nominated by the State Government ;

(iii) Two persons who are not in the service of the University or of any affiliated college, elected by the Senate, so however, that not more than one is a member of the Executive Council.

(2) The Registrar shall be the Secretary of the Committee

(3) Three members of whom at least one shall be a member nominted by the State Government shall form a quorum.

(4) Members of the Finance Committee other than ex-officio members shall hold office for five years.

20-A. (1) The Finance Committee shall have the following duties, namely—

(*a*) it shall examine the accounts and the Audit Report and make recommendations to the Executive Council in regard to them ;

(*b*) it shall fix limits for the total recurring and the total non-recurring expenditure for the year based on the income and resources of the University ;

(*c*) it shall scrutinize the financial estimates of the University for the ensuing year and make its comments on them, which shall be considered by the Executive Council.

(*d*) it shall perform such other functions as may be assigned to it by the Statutes.

(2) The Finance Committee shall take into consideration the views of the Executive Council in performing its duties referred to in clauses (*b*) and (*c*) of sub-section (1)."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २१ का संशोधन।

१७—मूल अधिनियम की धारा २१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय।

The faculties.

"21.(1) The University shall include such Faculties as may be prescribed by the Statutes. Each Faculty shall, subject to the control of the Academic Board, have charge of the courses of study and direction of research work in the subjects assigned to it by the Ordinances.

(2) The constitution and powers of the Faculties shall be prescribed by the Statutes.

(3) There shall be a Dean of each Faculty who shall be responsible for the due observance of the Statutes, Ordinances and Regulations relating to his Faculty.

(4) The manner of appointment and the term of office of the Dean shall be prescribed by the Statutes."

१८—मूल अधिनियम की धारा २२ निकाल दी जाय। यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २२ का निकाला जाना।

१९—मूल अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (२) नें शब्द "regulations to be made by the Executive Council after consideration of the recommendations of the Academic Board" स्थान पर शब्द "the ordinancesr रख दिए जायें। यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २३ का संशोधन।

२०—मूल अधिनियम की धारा २४ के स्थान पर निम्नलिखित धारा २४ तथा २४–ए क रूप में रख दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २४ का संशोधन।

Affiliated Collages.

"24.(1) Every College which was an affiliated college on the first day of July, 1953, under and in accordance with the provisions of this Act, shall continue to be such college until the affiliation is cancelled or otherwise withdrawn under this Act.

(2) Notwithstanding anything contained in the Act or in the conditions of affiliations of any affiliated college it shall not be lawful, so long as the affiliation continues, for an affiliated college having post-graduate classes to maintain Intermediate classes simultaneously with pot-graduate classes.

Provided that any such College which on the Ist day of July, 1953, was maintaining simultaneously Intermediate and post-graduate classes may, at its option, continue both the Intermediate and post-graduate classes so, however, that one or the other of these classes shall cease to be maintained before the expiry of the academic year 1956-57.

(3) Without prejudice to the provisions of the foregoing sub-sections, no college shall after the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953, be affiliated if it maintains classes for preparing students for the Intermediate examination,

(4) Every application for affiliation to the University by a College not already affiliated and every application of an affiliated College for starting courses of instructions for a new Degree shall be, subject to the provisions of clause (i) of sub-section (1) of section 18, be dealt with in accordance with the Statutes. But nothing in this sub-section shall be deemed to require the previous sanction of the Chancellor under clause (i) aforesaid for the granting of an application of an affiliated to start instruction in a subject (being a subject in which instruction is not already given) for a degree in respect of which the College is already affiliated and every such application may be dealt with by the Executive Council without reference to the Chancellor.

(5) Every affiliated college shall furnish such reports, returns and other particulars as the Executive Council may call for on its own motion or at the instance of the Academic Board.

(6) The Executive Council shall cause every affiliated college to be inspected from time to time at intervals not exceeding 5 years by one or more persons authorised by it in this behalf.

(7) The Executive Council may call upon any affiliated college so inspected to take within a specified period such action as may appear to it to be necessary.

(8) The affiliation of an affiliated college which fails to comply with the directions of the Executive Council or to fulfil the conditions of affiliation may be withdrawn in accordance with the provisions of the Statutes.

24-A (1) It shall be lawful for the University to grant to an affiliated College, which satisfies the conditions prescribed in this behalf by the Statutes, the privilege of varying for the students receiving instruction in such college, in the manner and to the extent approved by the University, the courses of study prescribed by the University, and holding examninations in the courses so varied. Such a College shall be declared to be an 'Autonomous College' in the manner prescribed by the Statutes.

(2) The University may under conditions prescribed by the Statutes, recognise an affiliated College for the purpose of providing courses for degrees to persons (otherwise eligible for admission to such courses) who may be unable to enrol as whole-time students by reason of being engaged in busi-

ness, trade or industry, or employed in other forms of service. The course for such students shall extend over a period which shall not be less than one and a half times the prescribed duration thereof. Such courses shall be organized separately."

२१—मूल अधिनियम की धारा २५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २५ का संशोधन।

Appointment of teachers of the University and affilated Colleges.

25. (1) There shall be a Selection Committee for each subject to study which shall consist of—

(i) The Vice-Chancellor ;

(ii) The Dean of the Faculty concerned ;

(iii) One Princiapal of an affiliated college teaching for post-graduate degrees and possessing expert knowledge of the subject, to be nominated by the Academic Board ;

(iv) two persons possessing expert knowledge of the subject, to be nominated by the Chancellor.

(2) Before nominating the experts referred to in sub-section (1), the Chancellor shall obtain from the relevant Faculties of at least two Universities of India names of experts in each subject and shall nomitate three persons from amongst them:

(3) Teachers of the University shall be appointed by the Executive Council in accordance with the provisions of clause (*f*) of sub-section (1) of section 18 on the advice of the Selection Committee concerned ;

Where the Executive Council disagrees with the advice of the Selection Committee, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

(4) Every decision to make a substantive appointment of a teacher of an affiliated college shall be reported by the management of the college to the Vice-Chancellor within 15 days from the date thereof. The continuance of the appointment shall be subject to the approval of the Vice-Chancellor who may with the concurrence of the Selection Committee concerned disapprove of the same, in which case it shall be terminated as soon as may be but not later than the date of expiry of the period of probation.

२२—मूल अधिनियम की धारा २५ के बाद निम्नलिखित नई धारायें २५—ए और २५- बी के रूप में जोड़ दी जायं :— यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ में नई धारा २५—ए और २५—बी का रखा जाना।

25-A. (1) No teacher recruited after the commencement of the Agra University (Amendment) Act,

1953, shall be entitled to impart instruction for a post-graduate degree or to guide research unless he is recognised for these purposes by the Chancellor on the advice of the Selection Committee referred to in sub-section (1) of Section 25.

(2) No teacher recruited before the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953 shall, with effect from such date not later than one year from the said commencement as the State Government may by notification fix, be entitled to impart instruction for post-graduate degrees or to guide research unless—

(*a*) he was recruited to a post carrying the emoluments assigned in accordance with the scales prescribed in the College concerned for teachers intended for post-graduate teaching; or

(*b*) he was recruited expressly for imparting instruction for post-graduate degrees; or

(*c*) he had for a total period of seven years before the said commencement imparted instruction to graduate classes; or

(*d*) he has been approved for the purpose by the Chancellor upon the recommendation of a Selection Committee constituted in accordance with sub-sections (1) and (2) of Section 25.

Conditions of service of officers and teachers employed on contract.

25-B. (1) Subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances relating to the conditions of service, every salaried officer and teacher of the University shall be appointed under a written contract which shall be lodged with the University and a copy of which shall be furnished to the officer or teacher concerned.

(2) Any dispute arising out of a contract referred to in sub-section (1) shall, on the request of the officer or teacher concerned, be referred to a tribunal of arbitration whose decision shall be final. Every such request shall be deemed to be submission to arbitration, upon the terms of this section within the meaning of the Arbitration Act, 1940 (Act X of 1940), and all the provisions of that Act with the exception of section 2 thereof shall as far as possible apply.

(3) The tribunal of arbitration provided for in sub-section (2) shall consist of one member nominated by the Executive Council and one member nominated by the officer or teacher concerned and an umpire appointed by the Chancellor.

(4) The University shall constitute for the benefit of its officers, teachers, clerical staff and servants, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes, such pension, insurance and provident funds as it may deem fit."

२३—मूल अधिनियम की धारा २६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २६ का संशोधन।

statutes. 26. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and shall in particular provide for the following—

(*a*) the constitution, powers and duties of the Authorities of the University ;

(*b*) the election, appointment and continuance in office of the members of the said Authorities of the University and the filling of vancancies and all other matters relative to those Authorities for which it may be necessary or desirable to provide,

(*c*) the appointment, powers and duties of the officers of the University ;

(*d*) the constitution of a pension or provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of officers, teachers and other employees of the University and of affiliated Colleges ;

(*e*) the conferment of honorary degrees ;

(*f*) the withdrawal of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions ;

(*g*) the establishmet, combination, sub-division and abolition of Faculties ;

(*h*) the conditions under which colleges and other institutions may be admitted to the privileges of the University and be liable to the withdrawal of such privileges ;

(*i*) the institution of fellowships, scholarships, medals and prizes; and

(*j*) all other matters which are required by this Act to be provided for by the Statutes.

२४—मूल अधिनियम की धारा २७ के बाद निम्नलिखित धारा २७—ए और २७—बी के रूप में रख दिये जायं यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ में नई धारा २७—ए और २७—बी का रखा जाना।

ordinances. "27-A' (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for any matter permitted by this Act or the Statutes to be provided for by Ordinances and for any other matter, including the giving of religious instruc-

tion, which the Executive Council considers it advisable to provide for by Ordinances.

(2) Without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (1) the Ordinances shall provide for the following matters, namely—

(*a*) the admission of students to the University and their enrolment as such ;

(*b*) the conditions under which students shall be admitted to the degree and other courses and to the examinations of the University and shall be eligible for degrees and certificates ;

(*c*) the fees to be charged for courses of study and for admission to the examinations, degrees and certificates of the University ;

(*d*) the remuneration and allowances, including travelling and daily allowances, to be paid to examiners, tabulators, inspectors andother persons employed on the business of the University;

(*e*) the number, qualifications, emoluments and the terms and conditions of service of teachers of the University ;

(*f*) the conditions of the award of fellowships, scholarships, studentship, medals and prizes ;

(*g*) the conduct of examinations, including the term of office, the manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators ;

(*h*) the conditions of the residence of students;

(*i*) the maintenance of discipline among students ;

(*j*) all other matters which by this Act or by the Statutes are required to be or may be provided for the Ordinances.

(3) Ordinances shall be made by the Executive Council but no Ordinance shall take effect until it has been approved by the Chancellor after considering the views of the Senate ;

Provided that no Ordinance—

(*i*) affecting the admission or enrolment of students or prescribing examinations to be recognised as equivalent to the University examinations ; or

(ii) affecting the conditions, mode of appointment or duties of examiners or the conduct or standard of an examination or any course of study ; shall be made, amended, repealed or added to unless a draft of such Ordinances has been proposed or previously approved by the Academic Board.

(4) The Executive Council shall not have power to amend any draft referred to in the proviso to sub-section (3) but may reject the proposals or return the draft to the Academic Board, for reconsideration, either in whole or in part, together with any amendments which the Executive Council may where the Executive Council rejects the draft, the Academic Board may appeal to the Senate, which shall consider the draft at its next meeting and its decision shall be final.

(5) An Ordinance made by the Executive Council under sub-section (3) shalll be submitted, as soon as may be, to the Chancellor and the Senate. It shall be considered by the Senate at its next meeting. The Senate shall have the power, by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members voting, to reject any such Ordinance.

(6) After the Senate has approved an Ordinance, it shall forward its views to the Chancellor who may either allow or disallow it.

27-B. (1) Notwithstanding anything in section 27-A the Executive Council may, if it is of the opinion that an emergency has arisen, frame and enforce an Ordinance on any of the matters referred to in sub-section (2) of the said section.

(2) An Ordinance framed under sub-section (1) shall have the same force and effect as an Ordinance framed and enforced under and in accordance with section 27-A, but every such Ordinance shall be submitted to the Senate and the Chancellor shall cease to operate at the expiration of one year from the date of its enforcement or if the Senate or the Chancellor disapproves it before the expiration of one year, upon such disapproval.

**२५—मूल अधिनियम की धारा २८ और २९ के स्थान पर निम्नलिखित धारा २८ के रूप में रख दिया जाय :**

**यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २८ और २९ के स्थान पर एक नई धारा का रखा जाना।**

Regulations. 28. The Executive Council may make Regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances, on its own motion or upon the motion of an Authority of the University, on the following matters—

(*a*) the procedure to be observed at the meetings of Authorities of the University and the number of members required to form a quorum ;

(*b*) the form and the manner of notice to be given of the meetings and the business to be transacted there; the preparation of records of proceedings and similar matters ;

(*c*) the courses of study to be laid down for the examinations of the University ;

(*d*) the classification or inclusion of the subjects of study in the various Faculties; and

(*e*) the matters which by this Act or the Statutes are to be, and may be prescribed by the Regulations ;

Provided that the Executie Council shall not consider the draft of any Regulation relating to items (*c*) and (*d*) except on the recommendation of the Academic Board ;

(2) No Regulation shall be made in respect of matters which are to be provided for by Statutes and Ordinances under this Act."

यू० पी० ऐक्ट,८, १९२६ की धारा ३० का संशोधन।

२६—मूल अधिनियम की धारा ३० में वर्तमान धारा की उपधारा (१) के रूप में परिणत किया जाय और उसके बाद निम्नलिखित उपधारा (२) के रूप में रख दिया जाय –

"(2) The University shall not, save with the previous sanction of the State Government, recognise (for the purpose of admission to a course of study for a degree), any degree conferred by any other University or as equivalent to the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, U. P. any examination conducted by any other authority."

यू० पी० ऐक्ट,८, १९२६ की धारा ३१ का संशोधन।

२७—(१) मूल अधिनियम की धारा ३१ में (१) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(3) There shall be at least two paper-setters for each subject of study prescribed for a dgree and as nearly as possible one-half of the number of examiners appointed in each subject shall be persons not in the service of the University or an affiliated college."

(२) उपधारा (३) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा (४) तथा (५) के रूप में जोड़ दिया जाय:

"(4) The examiners in each subject shall be appointed by rotation from the panel of names prepared in the manner prescribed by the Ordinances.

(5) Every person appointed as examiner shall as a condition of appointment agree that he will not undertake examination work in excess of the limits laid down in the Ordinances."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ३३ का संशोधन।

२८—मूल अधिनियम की धारा ३३ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(2) The annual accounts and Balance Sheet of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall be submitted to the State Government for purposes of audit. The

State Government shall appoint an Auditor possessing appropriate professional qualifications and engaged in the active practice of his profession and shall determine the scale of his remuneration. After Audit the accounts and Balance Sheet together with the Audit Report shall be published by the Executive Council in the Government *Gazette* and copies thereof shall be submitted to the Senate and to the State Government."

२९—मूल अधिनियम की धारा ३३ की उपधारा (३) के रूप में निम्नांकित बढ़ा दिया जाय :

"(3) It shall be lawful for the State Government to require any person, who is found to have spent or authorised the expenditure of funds in excess of the amount provided in the financial estimates or in violation of any provision of this Act, the Statute or the Ordinance to reimburse the amount so spent and the Government may take all such steps as may be deemed necessary."

३०—मूल अधिनियम की धारा ३५ में शब्द "Body of the university" और शब्द "The matter" के बीच निम्नांकित रख दिया जाय :— यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ३५ का संशोधन।

"or whether any decision of the University or any Authority thereof is in conformity with this Act, the Statutes and the Ordinances."

३१—मूल अधिनियम की धारा ३६ में निम्नलिखित उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय और वर्तमान धारा की संख्या बदल कर उपधारा (१) कर दी जाय : यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ३६ का संशोधन।

"(2) A person who is a member of an Authority of the University as a representative of another body whether of the University or outside shall retain his seat on the University Authority so long as he continues to be a member of the body by which he was appointed or elected and thereafter till his successor is duly appointed."

३२—मूल अधिनियम की धारा ३७ में शब्द "members" के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ३६ का संशोधन।

"or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found not to have been entitled to do so."

३३—मूल अधिनियम की धारा ३९ निकाल दी जाय : यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ३९ का निकाला जाना।

३४—पद "Rajputana" जहां कहीं भी मूल अधिनियम में आया हो, निकाल दिया जाय पद "राजपूताना" का निकाल दिया जाना।

संक्रमणकालीन उपबन्ध।

३५—मूल अधिनियम, आगरा यूनीवर्सिटी (अनुपूरक) अधिनियम, १९५२ अथवा इस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुये इस अधिनियम के सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशन के बाद किसी भी समय चांसलर किसी भी व्यक्ति को वाइस चांसलर नियुक्त कर सकते हैं और ऐसी नियुक्ति करने के लिये धारा ९ में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करना आवश्यक न होगा। इस प्रकार नियुक्त वाइस चांसलर इस अधिनियम के अधीन वाइस चांसलर के सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा तथा कर्त्तव्य और कार्यों का सम्पादन करेगा और एक वर्ष तक या ऐसी लम्बी अवधि तक जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने वाले वाइस चांसलर के लिये अपेक्षित हो, अपने पद पर होगा।

३६—मूल अधिनियम की धारा ४० के बाद धारा ४०—ए के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:

"40-A. The State Government may, for the purpose of removing any difficulties, in relation to the transition from the provisions of this Act, as it existed prior to its amendment by the Agra University (Amendement) Act, 1953, (hereinafter referred to as "the Amending Act) to the provisions of this Act, as amended by the Amending Act, by order published in the official *Gazette*—

(*a*) direct that this Act, amended as aforesaid shall during such period as may be specified in the order, take effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem fit to be necessary or expedient; or

(*b*) direct that till such time, not exceeding one year from the commencment of the Amending Act, as the University Authorities are constituted or appointed under and in accordance with this Act, amended as aforesaid, the powers, duties and functions, exercisable or dischargeable by such University Authorities shall be exercised and discharged by the corresponding authorities established on the date immediately before the commencement of the Amending Act; or

(*c*) direct that any Statute or Regulation in force at the date immediately preceding the coming into force of the Amending Act shall continue in force subject to such alteration, modification, addition or omission, as it may deem fit to be necessary or expedient, until superseded by anything done or any action taken under this Act, as amended by the aforesaid Act; or

(*d*) make such other temporary provision for the purpose of removing any such difficulty as it may deem fit to be necessary or expendient ;

Provided that no such order shall be made after twelve months from the date of the commencement of the Amending Act."

## उद्देश्य और कारण

आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट २७ वर्ष पहले पारित हुआ था। इसमें कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जो यूनिवर्सिटी सिनेट और एग्जीक्यूटिव कौंसिल में राजस्थान के कालेजों के प्रतिनिधित्व से संबद्ध हैं। जयपुर में विश्वविद्यालय स्थापित हो जाने के फलस्वरूप इन उपबन्धों में असामंजस्य आगया है। उपयुक्त अवधि में इस ऐक्ट के कार्यान्वित होने पर यह भी पता चला है कि इसमें कुछ कमियां रह गयी हैं। इसके अतिरिक्त इस बात की भी आवश्यकता है कि उच्च शिक्षा के स्तर को जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यथोचित निश्चित किया जाय। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने इस पर विचार किया है और राधाकृष्णन् कमीशन तथा अन्य निकायों ने भी इस प्रश्न पर ध्यान दिया है। आशा है कि विश्वविद्यालय के प्रशासन में जो खराबियां आ गई हैं वे इससे दूर हो जायंगी और ऐसी स्थिति आ जायगी जिससे शिक्षा उसी स्तर पर दी जा सकेगी जैसा इन सम्मेलनों में निश्चित किया गया है।

अतएव सदन के विचारार्थ यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

हरगोविंद सिंह,
शिक्षा मन्त्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—५८ एल० ए०—१९५३—८५०।